खण्ड-131, अंक-1
सोमवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(8 मार्च, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 131 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8।।29

सोमवार, ८ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४१)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमालसिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंदवल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दातारांम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री

धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्राम राय, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री

रामसुभग वर्मा, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुबिलश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री

हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री

हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रसड़ा तहसील जिला बलिया में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से खरीफ की फ़सल को हानि

*१—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया के अन्तर्गत रसड़ा तहसील में विगत अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण बहुत से गांवों में खरीफ की फसल समूल नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो ऐसे कितने ग्राम हैं ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—खरीफ की फसल को केवल ३०३ गांवों में ८ आने से १६ आने तक की हानि पहुंची है।

*२—श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या यह सच है कि ऐसे गांवों से (जहां खरीफ की फसल समूल नष्ट हो गयी है) स्थगित खरीफ की मालगुजारी पुनः वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसी कुछ शिकायतें अवश्य सरकार को प्राप्त हुई हैं और जिलाधीश को इस सम्बन्ध में उचित आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री गंगा प्रसाद सिंह—इनको छोड़कर और कितने गांव हैं जिनमें ८ आने से लेकर १६ आने तक का नुकसान हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जवाब देखने से माननीय सदस्य को पता चलेगा कि ८ आने से लेकर १६ आने तक के नुकसान वाले गांवों की संख्या ३०३ बतलायी गयी है। अगर अधिक होता तो अधिक बतलाया जाता ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तहसील में कुल कितने गांव हैं और ८ आने से नीचे कितने गांवों को नुकसान पहुंचा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—५५५ गांवों में ८ आने से कम नुकसान हुआ और ३०३ गांवों में ८ आने से अधिक नुकसान हुआ। इस प्रकार कुल ८५८ गांव हुये।

श्री गेंदा सिंह—सरकार की तरफ से इन गांवों की सहायता क्या की गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आर्थिक सहायता के लिये ४३ हजार रुपया दिया गया और मालगुजारी में छूट के लिये जो विचाराधीन है १,०८,६२० रु० ९ आने है और तकावी जो मुल्तवी की गयी है वह १,२०,००० रु० है और इस वक्त १५ मार्च तक के लिये जहां ८ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है हर तरह की तकावी की वसूली मुल्तवी कर दी गयी है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि जिन गांवों में नुक्सान हुआ है उन गांवों में भी मालगुजारी की वसूली जारी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो जैसा कहा गया है कुछ शिकायतें मिली थीं और मैं जब स्वयं गया था तो कुछ लोगों ने शिकायतें की थीं। यहां से आदेश भेज दिया गया है कि वसूली न हो और मुल्तवी कर दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलायेगी कि इस आदेश के पहले ऐसी आज्ञा नहीं थी कि वे मालगुजारी वसूल न करें ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जहां जहां छूट मिली है जिलाधीश ने स्वयं मालगुजारी की वसूली मुलतवी कर दी है।

श्री बनविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन गांवों की बाढ़ से रक्षा करने के लिये कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बाढ़ से रक्षा करने के लिये विशेष योजना सारे सूबे के लिये विचाराधीन है और यहां के लिये भी विचाराधीन है। फ्लड कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है, उसके अनुसार सरकार विचार कर रही है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया सरकारी सहायता स्वरूप दिया गया था वह किन मदों में खर्च हुआ है और किस प्रकार से लोगों को दिया गया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिन मदों में दिया गया था उन्हीं पर खर्च हुआ। इसका ब्यौरा मेरे पास इस समय नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

भूमि प्रबन्धक समितियों को या उनके चेयरमैनों को गांव का नक्शा और खसरा खतौनी देने की व्यवस्था

*३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव समाज की भूमि-प्रबन्धक समितियों को या उनके चेयरमैनों को गांव का नक्शा और खसरा खतौनी देने की व्यवस्था वह कब करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—भूमि प्रबन्धक समितियों को नक्शा और खसरा की नकलें नहीं दी जायंगी। खतौनी के उस हिस्से की नकल, जिससे कि भूमि प्रबन्धक समिति का सम्बन्ध होगा, दी जायगी और इसके लिए आदेश जारी हो रहे हैं। लेखपालों के और कागजात का मुआइना समितियां बगैर फीस के कर सकती हैं और अगर उन्हें नकलों की जरूरत हो तो भी बगैर फीस के दी जा सकती हैं। गांव समाज मैनुवल के पैरा १०८ के मातहत गांव समाज की कुल जायदाद का रजिस्टर भी बनाया जायेगा।

*४—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को यह मालूम है कि गांव से संबंधित कागजात न मिलने के कारण भूमि-प्रबंधक समितियां अन्धकार में हैं और अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर पा रही हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—भूमि प्रबंधक समितियों का काम अब धीरे-धीरे चालू हो गया है मगर उसका सबब कागजात की नकलें न मिलना नहीं है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या गांव का नक्शा मूल्य देने पर आसानी से गांव समाजों को मिल जायगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—गांव का नक्शा मूल्य देने पर सभी को मिल जाता है गांव समाज को भी मिल जायगा ।

श्री राजाराम शर्मा—गांव समाजों को खसरे की नकल देने में जिसमें कि लेखपाल रद्दोबदल करते हैं कौन सी कठिनाई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—गांव सभाज को उन्हीं खसरों की नकल दी जा सकती है जिनका सम्बन्ध गांव समाज से है और उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। लेखपाल अब गांव समाज के मंत्री बना दिये गये हैं। सभी कागजात उनके पास रहते हैं और इसलिये गांव समाज के इस्तेमाल के लिये सभी कागजात समझे जा सकते हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—गांव समाज को खतौनी की नकल कौन से सन् और फसली की दी जायगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जिससे उनका सम्बन्ध होगा और जिसकी आवश्यकता होगी।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गांव समाज की जगहों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और गांव समाज में जानकारी न होने की वजह से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उसके बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—गांव समाज की जिन जगहों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है उसके लिये नियम ११५ में विशेष रूप से सुविधा दी गयी है ताकि वह गांव समाज की जमीन प्राप्त की जा सके। जानकारी न होने की वजह से जो दिक्कत हुई उसके लिये अब लेखपालों को आदेश दे दिये गये हैं और उनके अनुसार वे जानकारी कर सकते हैं और आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

लखनऊ आयुर्वेदिक कालिज का पाठ्यक्रम क्लासरूम तथा संचालन-व्यवस्था

*५—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगली जुलाई में लखनऊ में जो आयुर्वेदिक कालेज सरकार खोलने जा रही है उस सम्बन्ध में पाठ्यक्रम, क्लास रूम तथा संचालन व्यवस्था के लिये क्या क्या प्रबन्ध हो चुका है और क्या-क्या होने को बाकी है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—आयुर्वेदिक कालिज का पाठ्यक्रम बनाया जा चुका है। कालिज लखनऊ विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक यूनानी फैकेल्टी से सम्बद्ध होगा। अतः पाठ्क्रम को विश्वविद्यालय के स्वीकृत्यर्थ भेज दिया गया है। कालेज किंग्स इंगलिश अस्पताल, लखनऊ, में स्थापित किया जावेगा। इमारत में वृद्धि की जा रही है। एक ४८ शैय्या वाला नया वार्ड बन चुका है। लेक्चर हाल, आयुर्वेदिक आउट डोर, आपरेशन थियेटर, अनाटमी ब्लाक इत्यादि बन रहे हैं। आवश्यक इमारतों का प्रबन्ध किया गया है। बाकी इमारतें आगे बनती रहेंगी। कालेज एवं अस्पताल की संचालन व्यवस्था हेतु सुझाव देने के लिये एक समिति बन गयी है जो शीघ्र रिपोर्ट देगी। इस बात की पूरी कोशिश है कि कालेज अगली जुलाई-अगस्त में चलने लगे।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ५ श्री व्रज विहारी मिश्र ने पूछा ।

तारांकित प्रश्न

ग्राम समाजों के मुकदमों की पैरवी के लिए वकीलों की नियुक्ति

*१—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्येक जिले में ग्राम सभाओं एवं ग्राम समाजों के मुकदमात की पैरवी करने के लिये वकील नियुक्त हुये हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—ग्राम समाज के मुकदमों की पैरवी करने के लिए प्रत्येक जिले में वकीलों की नियुक्ति की गई है किन्तु ग्राम सभाओं के संबंध में नहीं।

*२—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वकीलों की फीस अदायगी की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री चरण सिंह—अंतरिम काल के लिये इन वकीलों की फीस सरकारी कोष से दिये जाने का विचार है किन्तु अन्त में गांव समाजों को अपने मुकदमों के खर्चे का भार स्वयं ही उठाना होगा। ग्राम सभा के सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभाओं एवं ग्राम समाजों के वकीलों की नियुक्ति हो जाने के बाद भी प्रधानों को इस बात की छूट है कि वह चाहे जिस वकील को अपने ग्राम-सभा एवं ग्राम समाज के मुकदमे की पैरवी के लिये अधिकृत करें ?

श्री चरण सिंह—ग्राम समाजों के सम्बन्ध में इस प्रकार की छूट नहीं है किन्तु ग्राम सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने के लिये चूंकि वकील नियुक्त नहीं किये गये हैं, इसलिये इन मुकदमों की पैरवी के लिये ग्राम सभा के प्रधान किसी वकील को अधिकृत कर सकते हैं।

जौनपुर में बाढ़ पीड़ित किसानों को सहायता

*४—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में बाढ़ के कारण किसानों को जो क्षति पहुंची है उसके लिये कौन-कौन सुविधायें किसानों के लिये सरकार द्वारा दी जायेंगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बाढ़ पीड़ित किसानों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गईं—

(१) १०,००० रुपये मुफ्त सहायता तथा बाढ़ से रक्षा के हेतु विविध व्यय के लिये स्वीकृत किया गया।

(२) गिरे हुए मकानों के पुनर्निमाण के हेतु १७,००० रुपये की तकावी स्वीकृत की गयी।

(३) एक लाख रुपये की तकावी बीज तथा बैल खरीदने के लिये स्वीकृत की गयी।

(४) जौनपुर, मड़ियाहूं तथा मछलीशहर तहसीलों में जहां चारे की कमी थी, ५ वैगन भूसा बाहर से मंगा कर क्रय-मूल्य पर जिसमें रेलभाड़ा और दूसरे खर्च नहीं शामिल हैं, किसानों को दिसम्बर तक बांटा गया।

(५) ३५ ए० पी० की दूकानें खोली गयीं, जिनके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों को सस्ता गल्ला दिया गया।

(६) २,४१,४८९ रुपये मालगुजारी तथा ५,९३४ रुपये लगान की वसूली स्थगित कर दी गयी तथा छूट देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(७) स्वास्थ्य विभाग ने गोमती के किनारे तथा सई के किनारे ५ केंद्र खोल कर लोगों को कुनाइन आदि दवायें बांटीं, कुओं को स्वच्छ रखा तथा रोगों को रोकने का प्रयत्न किया। इन प्रयत्नों से बाढ़ क्षेत्र में बीमारी महामारी का रूप न धारण कर सकी।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूध का पाउडर भी बांटा गया।

*५—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में गोमती नदी की बाढ़ के कारण किन-किन गांवों को अधिक क्षति पहुंची है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—गोमती नदी की बाढ़ से जौनपुर जिले में जिन गांवों को अधिक क्षति पहुंची है उनकी सूची संलग्न है--

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७-७० पर।)

*६—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिले में कोई बाढ़ कमेटी बनी है? यदि हां, तो उसमें कितने सदस्य हैं और उसके द्वारा क्षति ग्रस्त गांवों के लिये क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, जिले में एक स्थायी बाढ़ सहायता कमेटी सन् १९४५ से ही स्थापित है, इसके पदाधिकारी तथा सदस्य इस प्रकार हैं—

सभापति—जिलाधीश।

उप-सभापति—सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस।

मंत्री—सिटी मैजिस्ट्रेट।

संयुक्त मंत्री—तहसीलदार जौनपुर।

अवैतनिक कोषाध्यक्ष—श्री सांवल दासा
सरकारी कोषाध्यक्ष।

सदस्य .....
सिविल सर्जन।
जिला जज।
सब-परगना हाकिम।
जिला सप्लाई अफसर।
जिला नियोजन अधिकारी।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी।
सब-तहसीलदार।
नगरपालिका के अध्यक्ष।
जिला परिषद् के सभापति।
सब स्कूलों के अध्यक्ष।
नगरपालिका तथा जिला परिषद् के सभी सदस्य।

इस कमेटी द्वारा बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार किया गया और तदनुकूल कार्यवाही की गयी। जिन गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचा, वहां से लोगों को खतरे से पूर्व हटाने का प्रबन्ध किया गया। असहाय लोगों के खाने का प्रबन्ध किया गया। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में मलेरिया के निवारण के लिए कुनेन की गोलियां बांटी गयी। जहां आवश्यकता समझी गयी ए० पी० योजना के द्वारा सस्ते गल्ले का प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १० हजार रुपया मुफ्त सहायता, १७ हजार रुपया मकान बनाने के लिये और एक लाख रुपया तकावी, बीज तथा बैल खरीदने के लिये दिया गया वह सब रुपया बांटा गया या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जो दस हजार रुपया मुफ्त सहायता के लिये दिया गया है उसमें से २०१५-९-० दिया जा चुका है, मकानों के लिये जो १७,००० दिया गया है उसमें से ४,००० रु० दिया जा चुका है और कुछ दरख्वास्तें विचाराधीन हैं और एक लाख रुपया जो तकावी का बीज और बैलों के लिये दिया गया उसमें से ६०,५०० रु० दिया जा चुका है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रुपया दिया जा चुका है उसके अलावा जो दरख्वास्तें इस सम्बन्ध में विचाराधीन हैं उनको भी रुपया दिया जायगा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---हां, जो विचाराधीन हैं और मुस्तहक़ होंगे पाने के लिये उनको जरूर दिया जायगा ।

बस्ती जिले की बांसी तहसील में पटवारियों की संख्या

*७---श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में कुल कितने पटवारी थे और कितने छटनी में निकाले गये हैं ?

श्री चरण सिंह---बस्ती जिले की बांसी तहसील में कुल २१४ पटवारी थे। उनमें से ७६ छटनी में निकाले गये।

*८---श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त पटवारियों में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने त्याग-पत्र देकर ४ मार्च, सन् १९५३ के पूर्व अपना त्याग-पत्र वापस ले लिया था और कुछ ऐसे थे जिन्होंने त्याग-पत्र दिया ही नहीं था ? यदि हां, तो इन पटवारियों को किन कारणों से निकाला गया ?

श्री चरण सिंह---१४९ पटवारियों ने त्याग पत्र दिये थे। इनमें से १४८ पटवारियों ने ४ मार्च सन् १९५३ तक अपने त्याग पत्र वापिस लेने के लिए प्रार्थना की थी। ६५ पटवारियों ने त्यागपत्र नहीं दिये थे। जिन ७६ पटवारियों को छटनी में निकाला गया उनका ब्योरा इस प्रकार है---

२ पटवारी ६० वर्ष से अधिक अवस्था के हो गये थे।

१ के विरुद्ध फौजादारी मुकदमा चल रहा था।

१ को फालिज मार गया था और नौकरी के काबिल नहीं था।

६ शरीया पटवारी थे जो कि शिक्षा सम्बन्धी योग्यता का प्रमाण न दे सके।

६६ ऐसे पटवारी थे जिन्होंने या तो पटवारी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, या जिनका ऐमालनामा खराब था या जो ५७ १/२ वर्ष से अधिक आयु के थे।

कुल ७६

भुवाली बीज गोदाम में गबन

*९---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि भुवाली गोदाम में एक लाख रुपये से भी अधिक रुपये का गबन पकड़ा गया है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं, केवल ५१८६ रु० ६ आना के नुकसान की रिपोर्ट मिली है जिसमें से २२३५ रु० १४ आने कर्मचारियों से वसूल किये जा रहे हैं। जो उसके उत्तरदायी है। शेष २६५३ रु० ११ आने में से किसानों से २६५३ रु० २ आने की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

मामले की जाँच पुलिस द्वारा हो रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जो ५१८६ रु० का जो नुकसान है उसका विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कैश ६ आने, स्टाक और आलू के बीज में कमी १८२७ रु० ६ आने बकाया जो किसानों से वसूल हुआ और जो उन्होंने कभी दिखाई १८६ रु० २ आने किसानों से जो बोज लिया गया और वह नहीं मिला २१६रु० ६ आने गल्ला जो सवाई पर दिया गया वह बांड पर वह २६५३ रु० २ आने जो बाँड देकर किसान ले गये थे लेकिन किसान उस बाँड पे इन्कार कर रहे हैं उसकी तहकीकात हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि इस मामले की जाँच पुलिस कितने अर्से से कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—गबन की रिपोर्ट २५ मार्च, १६५२ को मिली और एस० डी० ओ० भुवाली द्वारा जांच हो रही है। पुलिस किस तारीख से जाँच कर रही है इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह गबन की रिपोर्ट किसने की और किस तारीख को की ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह गबन की रिपोर्ट डी० ए० ओ० ने २५ मार्च, १६५२ को की।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह रिपोर्ट कमी की की गई थी या गबन की की गई थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो कमी हुई उसी के लिये रिपोर्ट हुई लेकिन जाँच से पता चला कि ग़बन हुआ है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की अवपनीय किस्में

*१०—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ने की वे कौन कौन सी क़िस्में हैं, जिन्हें लगाने के बारे में गन्ना विकास विभाग द्वारा मनाही की गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—निम्नलिखित गन्ने की किस्में उत्तर प्रदेश में बोने के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दी गयी हैं—

सी० ओ० २०५ ई० के० २८ सी० ओ० ३३१ सी० ओ० ३७० (पतली या माचुवा) सी० ओ० २१३ सी० ओ० २६० सी० ओ० २४४ कन्हैया सी० ओ० के २६ सी० ओ० के २८५ सुआ ७६ या विसेन्डा (केवल रामपुर जिले में) और तिरेला (केवल बहेड़ी और गोकुलनगर मिलों के क्षेत्रों में जो बरेली और नैनीताल में स्थित हैं।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि इन किस्मों को अनुपयुक्त घोषित करने के पहले शुगरकेन रिसर्च कौंसिल से भी सलाह ली जाती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो फैक्टरी के नुमायन्दों की और शुगर केन ग्रोअर्स के नुमायन्दों की एक मीटिंग हुई थी और उसमें यह फ़ैसला किया गया। इस मीटिंग में करीब ६७ रेप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया था और उन्होंने यह तय किया कि ये क़िस्में नुकसानदेह हैं, इनमें राट वगैरह लगता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को यह मालूम है कि जिन गन्ने की क़िस्मों पर पुरस्कार मिला है उस गन्ने की खेती वहाँ पर नहीं कराई जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से सवाल दोहराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---आप जरा फिर से अपने सवाल को दोहरा दें।

श्री गेंदा सिंह---जिन गन्ने की किस्मों की खेती करने पर लोगों को पुरस्कार मिला है उन किस्मों की खेती वहाँ नहीं कराई जा रही है, क्या माननीय मंत्री को इसका पता है ?

(प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिला नहीं। मैंने पूछा था कि इंडियन रिसर्च कौंसिल से सलाह ली जाती है ?

श्री अध्यक्ष---सलाह ली गयी या नहीं, यह आप पूछ सकते है। क़ायदे की बात तो आप खुद जान सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन गन्ने की किस्मों को अनुपयुक्त घोषित करने के पहले जो इंडियन शूगर केन रिसर्च कौंसिल है उसकी भी राय ली गयी या वैसे ही तय कर दिया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---संभवतः ली गई।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सी० ओ० के० -२१५ क्या है, जरा हमें समझाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह आपको प्रश्न से पता लग जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो केन ग्रोअर्स और फैक्टरी वालों की मीटिंग का जिक्र किया वह कब हुई ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

नैनीताल जिले की सितारगंज और खटीमा तहसीलों के किसानों को लकड़ी का वितरण

*९१---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितारगंज व खटीमा तहसील जिला नैनीताल के काश्तकारों को सालाना हक़ के रूप में कितनी लकड़ी दी जाती है ? क्या मकान बनाने के हेतु उन्हें कोई लकड़ी नहीं दी जाती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---नैनीताल जिले की सितारगंज और खटीमा तहसीलों के काश्तकारों को जंगल से हक़ के रूप में लकड़ी तराई व भाबर गवर्नमेंट इस्टेट्स रूल्स वेनुअल के मातहत उनके हलों की संख्या के आधार पर दी जाती है जिसका विवरण भाबर और तराई

के इलाक़ों के लिये परिशिष्ट ६ के शेड्यूल "अ" और "ब" में अलग अलग दिया हुआ है। काश्तकारों को उनकी जोत के आधार पर मकान बनाने के लिये भी लकड़ी दी जाती है जिसका विवरण उक्त परिशिष्ट ६ के नियम ३ (डी) में दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास सितारगंज और खटीमा तहसीलों के थारू और बोक्सा काश्तकारों की शिकायत आयी है कि इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—नियम का पालन तो किया जा रहा है। लकड़ी लोगों को दी गई है।

श्री अध्यक्ष—सवाल यह पूछा गया कि कोई शिकायत आई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं। कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन कौन सी लकड़ी हल और मकान बनाने के लिये दी जाती है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिस लकड़ी से हल बनता है वह हल के लिये दी जाती है और जिस लकड़ी से मकान बनता है, वह लकड़ी मकान के लिये दी जाती है, यही साल हर्दुआ वगैरह।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस लकड़ी से हल बनता है और किस लकड़ी से मकान बनता है?

श्री अध्यक्ष—यह तो माननीय सदस्य स्वयं जान सकते हैं।

बनारस ज़िले में मैजिस्ट्रेटों के इजलास में तीन वर्ष से पड़े हुये मुकदमें

*१२—**श्री राम लखन** (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले में एस० डी० एम०, एम० डी० ओ० तथा जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों के इजलास में कितने मुकदमें तीन वर्ष से पेशी में पड़े हैं?

श्री चरण सिंह—इन न्यायालयों में ऐसा कोई मुकदमा पेशी में नहीं है जो तीन वर्ष से पड़ा हो।

*१३—**श्री राम लखन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मुकदमों के फैसले में विलम्ब होने का क्या कारण है?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

*१४-१६—**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—[५ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

गोरखपुर में तहसील फरेंदा के गांवों को बाढ़ से खतरा

*१७—**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में फरेन्दा तहसील के अन्तर्गत बाढ़ के कारण राप्ती नदी से जो-जो गाँव कट कर गिर गये हैं, या खतरे में हैं, उन्हें अलग बसाने के लिये क्या सरकार कोई व्यवस्था कर रही है?

श्री चरण सिंह—फरेन्दा तहसील में राप्ती नदी की बाढ़ से कोई गांव कट कर नहीं बहे हैं। हाँ, बाढ़ से कुछ गाँव पानी से घिर जाते हैं।

गोरखपुर में कैम्पियर गंज और फरेन्दा आदि के किसानों की फसल को जंगली पशुओं से हानि

*१८—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जंगली भारी बेसी के जंगली पशुओं द्वारा जिला गोरखपुर में कैम्पियरगंज और फरेंदा के बीच तथा राजपुर आदि के किसानों की फसल का प्रतिवर्ष बहुत नुक़सान होता है ?

श्री चरण सिंह—शासन को यह सूचना प्राप्त हुई है कि जंगली पशुओं द्वारा इस क्षेत्र के किसानों की फसल को प्रतिवर्ष नुकसान होता है।

*१९—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त प्रकार के पशुओं से फसल के बचाव की कोई व्यवस्था सोच रही है ?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है इस वर्ष मथुरा या मेरठ जिले में जंगली पशुओं के पकड़ने का एक केंद्र खोलने तथा साथ ही पशु पालन तथा नियोजन विभागों के कर्मचारियों और प्रभावित जिलों के अन्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने का आयोजन किया जा रहा है।

८ एकड़ से कम के भूमिधर व सीरदार

*२०—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार Land Reforms Act की २३७ वीं धारा के अनुसार आठ एकड़ से कम के भूमिधरों या सीरदारों को अपनी आराजी पूरी करने के लिये सरकार नोटिफिकेशन करने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी करने का सरकार का अभी कोई विचार नहीं।

*२१—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—यदि हां, तो कब तक नोटिफिकेशन होने की संभावना है?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

*२२—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—धारा २३७ में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

बस्ती जिले में राप्ती नदी के घाटों की व्यवस्था

*२३—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि बस्ती जिले में राप्ती नदी के कई घाट आज भी राज्य बाँसी के सिपुर्द हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—राप्ती नदी का कोई भी घाट अब बाँसी राज्य के सिपुर्द नहीं है।

*२४--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार इन घाटों को अपने तहत में लेने या जिला बोर्ड को दिलाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपरोक्त सभी घाट सम्बन्धित गाँव समाज या जिला बोर्ड में निहित किये जा चुके हैं।

श्री राजाराम शर्मा--जो घाट गाँव समाजों को दिये गये हैं उनमें जो मल्लाही लगती है वह किसी गाँव समाज में कुछ और किसी में कुछ लगती है। तो क्या सरकार इनमें एकरूपता लाने के लिये कोई चार्ट बना चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक बनायेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--नहीं, ऐसा तो कोई चार्ट नहीं बना है। विचार किया जायगा।

*२५--श्री राजाराम शर्मा--[स्थगित किया गया।]

गवर्नमेंट गार्डेन चौपटिया जिला अल्मोड़ा में सेव के पेड़ों की कलमें

*२६--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गवर्नमेंट गार्डेन चौपटिया अल्मोड़ा जिले में सेव के पेड़ों की क़लम (Scion wood) रखने का कुछ प्रबन्ध है ? यदि हाँ, तो ये कलमें और बाग़ वालों को मुफ्त या क़ीमत ले कर दी जाती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हाँ। सेव के पेड़ों की कलम (Scion wood) का प्रबन्ध सरकारी बाग़ की नर्सरी में प्रयोग करने के लिये है। प्रायः यह बेची नहीं जाती है, पर यदि कुछ आवश्यकता से अधिक बच जाती हैं तो क़ीमत लेकर बेची जाती हैं।

*२७--श्री गेंदासिंह--उक्त प्रकार की कलम प्रति वर्ष कितनी रखी जाती हैं और उससे सरकार को क्या लाभ होता है और क्या ऐसा भी होता है कि वर्ष में कुछ कलम शेष भी रह जाती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बाग़ की नर्सरी के लिये चुनी हुई क़लम (Scion wood) आवश्यकतानुसार रखी जाती है। जहाँ तक लाभ का सम्बन्ध है क़लमी पौधे (Grafted plants) तथा चश्मे वाले पौधे (Budded Plants) बनाने के लिये कलम का प्रयोग होता है। अतएव कलम (Scion wood) का लाभ पृथक् रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि कलमी पौधे और चश्मे वाले पौधे बेचने में उनके उगाने का व्यय भी लगाया जाता है।

*२८--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन कलमों को बेचने के भाव क्या-क्या हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कलम (Scion wood) के बेचने का भाव उत्तर प्रदेश में १ आना प्रति कलम और उत्तर प्रदेश के बाहर २ आना प्रति कलम है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी कलमों की जरूरत बाग़ की नर्सरी के लिए पड़ती है और पिछले वर्ष कितनी कलमें बेची गईं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—फूड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट द्वारा कुमायूं के बागों को जो कलमें दी गई हैं क्या वह वही कलमें हैं जो चोपटिया गार्डेन में बनती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य --हो सकता है कि इनमें से भी हों।

आजमगढ़ जिले में मल्लाहों के हकों की रक्षा

*२९--श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि गत १० जनवरी को जब वे आजमगढ़ जिले में गये थे तो उनको इस तरह की शिकायतें मिलीं कि गांव समाज के प्रधानों ने मौजाशयों को मल्लाहों को न देकर दूसरी जाति के लोगों को, जो मछली पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, दे दिये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

*३०--श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री गाँव समाज मैनुअल में इस प्रकार की कोई धारा जोड़ने जा रहे हैं जिसके द्वारा मल्लाहों के हक़ों की रक्षा की जा सके ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गाँव समाज मैनुअल के द्वितीय संस्करण में परिच्छेद ४१ के उपपरिच्छेद ३ (क) और ३ (ङ) द्वारा मल्लाहों के हकों की रक्षा के लिये उचित व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी इस द्वितीय मैनुअल के संशोधन के बावजूद भी आजमगढ़ के कुछ मल्लाहों को हक़ नहीं दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मल्लाहों की कोई ऐसी शिकायत है यह गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं आया। अगर माननीय सदस्य शिकायत करें तो इसकी तहकीकात की जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलायेगी कि भूमि प्रबन्धक समिति ने मल्लाहों को इस आदेश के अनुसार ठेके नहीं दिये और पहले की ही तरह दिये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--संशोधन के पहले जो ठेके दिये गये हैं वे अपनी जगह ठीक हैं। संशोधन के बाद जो दिये जायेंगे वे संशोधन के अनुसार दिये जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार ऐसे ठेकेदारों के मामले में जिनकी भूमि-प्रबन्धक समिति ने २५ फीसदी छूट नहीं दी है उन पर विचार करने के लिये फिर से जिलाधिकारियों को आदेश देगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—नियम के विरुद्ध कोई कार्यवाही अगर भूमि प्रबन्धक समिति ने की है उसकी शिकायत मिलने पर मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री हरखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आजमगढ़ के पगड़ी ताल के मल्लाहों ने वहाँ के जिलाधीश और हाकिम परगना से इस तरह की शिकायत की थी कि उन्हें कोई राहत नहीं दी गई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ब्योरेवार तो नहीं बताया जा सकता कि पगड़ी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ लेकिन अगर कोई जायज शिकायत हुई होगी तो उसकी जरूर सुनवाई हुई होगी।

जमींदारी उन्मूलन क़ानून लागू होने के समय उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ ज़मींदार

*३१—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बतायेगी कि जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के समय उत्तर प्रदेश में कितने अंग्रेज़ ज़मींदार थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के समय उत्तर प्रदेश में १७७ अंग्रेज ज़मींदार थे।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अंग्रेज ज़मींदार सूबे के किन-किन ज़िलों में थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिले के ब्योरे के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि इन अंग्रेजों में से बहुत से छोड़ कर बाहर चले गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसकी जानकारी स्वयं माननीय सदस्य को बहुत काफी होगी ।

श्री गेंदासिंह—तो क्या जो अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़ कर बाहर चले गये उनकी रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट को रोक देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो छोड़कर चले गये होंगे उनकी रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

आज़मगढ़ में दस गुना जमा करने पर भी प्रार्थियों को प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध

*३२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आज़मगढ़ ज़िले की किन-किन तहसीलों में कितने प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र पड़े हुये हैं जिनका दस गुना ले लिया गया है पर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ज़िला आज़मगढ़ में कुल २,२०,८७६ प्रार्थना-पत्रों में केवल सगरी तहसील में १६४ प्रार्थना-पत्र ऐसे पड़े हुये हैं जिनमें दस गुना जमा होने पर भी प्रमाण-पत्र अब तक नहीं दिये गये। यह सब प्रार्थना-पत्र नवम्बर तथा दिसम्बर सन् १९५३ में दिये गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन दस गुना लगान देने वाले किसानों को अभी तक प्रमाण-पत्र न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रमाण पत्र कुछ सूरतों में देने में दिक्कत होती है यानी खसरे की नक़ल दाखिल न की हो या उस सम्बन्ध में निज़ा हो या कोई सूट चल रहा हो तो इन कारणों से प्रमाण-पत्र देने में दिक्कत होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सच है कि जिन किसानों ने १० गुना लगान दिया और उनके प्रमाण-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये तो फिर उनको वह रुपया वापस करने में आनाकानी की जाती है ?

श्री चरण सिंह—यह सच नहीं है कोई आनाकानी नहीं की जाती है।

श्री गेंदा सिंह---जिन किसानों को १० गुना देने के बाद प्रमाण-पत्र नहीं मिले उनकी कितनी रक़म १० गुना में जमा थी ?

श्री चरण सिंह---कितनी रक़म उन्होंने जमा की इसके लिये तो नोटिस की जरूरत है लेकिन जिनको ऐसी सनद नहीं प्राप्त हुई है उनमें से ९९ फीसदी ऐसे हैं जो विवादग्रस्त हैं और जिनकी बाबत सिविल सूट चल रहे हैं। उनका टाइटिल क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही उनका टाइटिल क्लियर हो जायगा उनको सनद जारी कर दी जायगी।

श्री गेंदा सिंह---तो क्या सरकार उस जमा की हुई रक़म पर कोई सूद देने का विचार कर रहा है ?

श्री चरण सिंह---सूद का क्या सवाल है सनद मिलते ही उनकी मालगुजारी रुपया जमा कर देने की तिथि से ही कम हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सगड़ी तहसील के अलावा फूलपुर तहसील में और कितनी दरख्वास्तें पड़ी हैं ?

श्री चरणसिंह---सवाल केवल एक तहसील की बाबत था उसका जवाब दे दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---सवाल में तो यह है कि किन किन तहसीलों में कितने प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र पड़े हुये हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जैसा कि जवाब में कहा गया कि सगड़ी में केवल १६४ प्रार्थना-पत्र पड़े हुये हैं बाक़ी २,२०,४०० डिस्पोज आफ कर दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिस तारीख से लोगों ने १० गुना लगान दिया है उसी तारीख से उनकी आधी मालगुजारी हो जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिस तारीख से रुपया जमा करने पर भूमिधर प्राप्त करने की सनद उनको मिल जायगी उसी तारीख से मालगुजारी आधी कर दी जायगी।

सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ के धानवाले क्षेत्र में सिंचाई के लिये सहायता

*३१---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में धान वाले खित्ते में प्रायः हर साल पानी के अभाव के कारण कहत की सी हालत पैदा हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से मिले हुये २४ लाख रुपये में से तहसील के उक्त हिस्से में कुछ बांध बनवाने तथा पानी की और दूसरी सुविधा पैदा करने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सगड़ी तहसील के धान वाले क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में वर्षा के अभाव के कारण अगहनी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी।

केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत २४ लाख रुपये का अनुदान केवल पक्के कुओं के बनाने में सहायता देने के लिये था। इस अनुदान में से आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में १५९ पक्के कुओं के बनाने के लिये प्रति कुआं ४०० रुपये की सहायता दी गई है। सिंचाई के अन्य साधनों के निर्माण पर इस धन को व्यय नहीं किया जा सकता था।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को पता है कि बहुत से कुएँ इनमें ऐसे हैं जिनमें या तो पानी नहीं है या बहुत कम पानी है ?

श्री चरण सिंह---ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार ने अपनी किसी प्रचार पुस्तिका द्वारा जनता को बतलाया है कि यह ८०० रुपये की सहायता दी गयी है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य पुस्तिका को पेश कर सकते हैं उसका नाम पढ़कर सुना दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि जो सबसिडी की रक़म ४०० रुपये की दी जाने वाली थी वह सारी रक़म १५९ कुओं में दे दी गयी है, अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---कुआं बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट जब अफसरों को हो जाय और तस्दीक होकर सार्टिफिकेट मिल जाय तो यह दे दी जाती है।

रोडवेज़ सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर के स्टोर में चोरी

*३४---**श्री उमाशंकर**---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि रोडवेज़ सेंट्रल बर्कशाप, कानपुर के स्टोर में दो साल के भीतर कितने हजार की चोरियां हुई हैं और उनमें क्या कार्रवाई हुई ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---पिछले दो वर्षों में सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर में २१,९५९ रुपये की चोरियां हुईं। पुलिस ने इस सम्बन्ध में सेंट्रल वर्कशाप के १० कर्मचारियों पर शुबहा किया जिनमें से एक चोरी के बाद ही लापता हो गया और बकिया ९ वर्कशाप से पृथक् कर दिये गये।

*३५---**श्री उमाशंकर**---क्या सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर में कोई विदेशी इंजीनियर रखा गया है ? यदि हां, तो उसको क्या तनख्वाह है और वह किस पद पर रक्खा गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हाँ, श्री हरबर्ट क्वीहनेल, जो जर्मनी के इंजीनियर हैं सेंट्रल वर्कशाप के चार्ज में बहैसियत चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के काम करते हैं, उनकी तनख्वाह १२००-१००-२४०० रु० प्रति माह के स्केल में है।

श्री उमाशंकर---क्या कानपुर वर्कशाप में कुछ ग़बन भी हुआ है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इसकी सूचना नहीं है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को पता है कि इस वर्कशाप की चोरियों के सम्बन्ध में नवाबगंज वार्ड कांग्रेस कमेटी के उपमंत्री ने १८-११-४९ के 'दैनिक प्रताप' में एक बयान दिया था ? इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उमाशंकर---क्या कानपुर वर्कशाप में कोई लोहे के परमिट की चोरी हुई ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---कोई सूचना इसकी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो स्टोर से चोरी हुई है वह किस किस सामान की हुई है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मोटर के पार्ट्स चोरी हुये थे।

काशीपुर में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*३६---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को विदित है कि काशीपुर में जिन राजनीतिक पीड़ितों को हाल में जमीन दी गई है उन्हें मकान या बीज की भी सहायता दी गई है ?

श्री चरण सिंह---काशीपुर में जिन राजनीतिक पीड़ितों को हाल मे जमीन दी गयी है उनमें से अधिकांश स्वयं मकान बनाना चाहते हैं, न कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा। इसलिये अभी तक मकान का प्रबंध नहीं किया जा सका है। बीज सहायक समिति स्थापित करने के उपरान्त उन्हें कृषि विभाग से मिलता है।

जिला गोंडा में दस गुना जमा करने पर प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध

*३७---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा मे तहसील तरबगंज परगना महादेवा में ३० जून, १९५० तक कितने किसानों ने दसगुना जमा किया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---परगना महादेवा, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में ३० जून, १९५० तक कुल १७१८ किसानों ने दस गुना लगान जमा किया।

*३८---श्री गंगा प्रसाद---क्या यह सच है कि जिन किसानों ने दस गुना लगान जमा कर दिया है उनको अभी तक प्रमाण-पत्र नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो न मिलने का क्या कारण है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं, केवल ६ किसानों को प्रमाण-पत्र नहीं मिले, क्योंकि उनके प्रार्थना-पत्रों में वैधानिक त्रुटियां थीं।

*३९---श्री गंगा प्रसाद---क्या यह सत्य है कि जिन काश्तकारों ने दसगुना जमा किया है उनको पूरा लगान देना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जब से उन्होंने दस गुना दिया है तब से आधा लगान मुजरा देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं, जिन काश्तकारों ने पूरा दस गुना लगान जमा करके सनद प्राप्त कर ली है उन्हें केवल आधा लगान देना पड़ता है परन्तु जिन काश्तकारों को सनदें नहीं मिली हैं उन्हें पूरा लगान देना पड़ता है। जब उन्हें सनदें मिल जावेंगी तब पूरा रुपया जमा करने की तारीख से लगान आधा समझा जायगा और इससे अधिक जमा किया हुआ लगान उन्हें वापस कर दिया जायगा ?

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन काश्तकारों को सनद नहीं मिली है वह किन कारणों से नहीं मिली है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कहीं ऐसा होता है कि काश्तकारों के नाम दर्ज नहीं होते, कहीं खतौनी की नकल दाखिल नहीं होती, नंबरान गलत होते हैं, अथवा कोई डिस्प्यूटेड केस होता है उनमें सनद मिलने में देरी होती है।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन काश्तकारों ने १० गुना लगान जमा कर दिया है और रसीदें मिल गयी हैं, उनके रसीदें दिखलाने पर भी कुर्क अमीन रुपया क्यों वसूल करते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जब तक उनको भूमिधरी की सनद नहीं मिलेगी तब तक पूरा लगान वसूल किया जायगा।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिन लोगों ने दस गुना लगान जमा कर दिया है और जिनको सनद नहीं मिली है, उनके आंकड़े इकट्ठे किये जायं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जहां के बारे में सवाल पूछा गया है वहां के आंकड़े मौजूद हैं और सनद क्यों नहीं मिली है इसके कारण भी बता दिये गये हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दस गुना देने के बाद भी कितने किसानों को अभी तक पूरा पूरा लगान देना पड़ता है ?

श्री चरण सिंह—उन सबको जिनको सनद नहीं मिली है।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ़्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ६ व्यक्तियों को सनद नहीं मिली है उनको अगर सनद न मिली तो उनका रुपया वापस कर दिया जायगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अगर वे सनद के मुस्तहक़ न हुये और उन्होंने रुपया लेना चाहा तो उनको रुपया वापस कर दिया जायगा।

*४०-४१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[२३ मार्च, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २१ व १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मेरठ डिवीजन के जिलों को देहली में मिलाने का प्रश्न

*४२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यू० पी० के मेरठ डिवीजन के जिलों को सूबा देहली में मिलाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जनमत कराने का विचार कर रही है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं। यह प्रश्न सरकार के सामने नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार के पास ऐसी कोई मांग आयी है कि मेरठ डिवीजन को सूबा देहली में मिला दिया जाय ?

श्री चरण सिंह—कोई मांग अभी नहीं आयी है।

झांसी जिले में रोडवेज

*४३—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह झांसी जिले में रोडवेज चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में और कब से ?

*४४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने इस सम्बन्ध में लारी मालिकों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया है ? यदि हां, तो क्या निर्णय किया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है। प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के चलने से जो गाड़ियां बेकार हैं उन्हें नयी लाइनों के चलने पर प्राथमिकता दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—उसका तो जवाब ही नहीं दिया गया। जब जवाब ही नहीं मिला तो इस पर आप पूरक सवाल नहीं कर सकते।

अतारांकित प्रश्न

बाढ़पीड़ित क्षेत्रों की स्थिति

१—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार ने बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की स्थिति की सूचना भारत सरकार को दी है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि वह मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री चरण सिंह—जी हां, परन्तु प्रचलित रीत्यानुसार भारत सरकार को लिखे गये मूल पत्र की प्रतिलिपि मेज पर नहीं रक्खी जा सकती। भारत सरकार से जो कहा गया है उसका सारांश यह है—

प्रदेश के पूर्वी जिले कई वर्षों से प्राकृतिक विपत्तियों के शिकार होते रहे हैं। इन जिलों की जनसंख्या का अधिकांश ऐसे छोटे-छोटे किसानों का है जिनके खेत छोटे और अलाभकर हैं। इन जिलों में नदियों की संख्या भी बहुत अधिक है। इस वर्ष वर्षा ऋतु के आरम्भ से ही पानी असाधारणरूप से अधिक गिरा और परिणामस्वरूप सभी मुख्य नदियों में बाढ़ आ गयी और इन जिलों की खरीफ की फसल के अधिकतर भाग को क्षति पहुंची। सब से अधिक हानि आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, इलाहाबाद, गाजीपुर और फैजाबाद जिलों को पहुंची है।

राज्य सरकार के द्वारा सभी संभव उपायों से इस क्षेत्र की पीड़ित जनता की सहायता का प्रबन्ध किया गया है, परन्तु राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य के आय-व्ययक में कई वर्षों से व्यय आय से अधिक होता रहा है और इस वर्ष भी ४ १/२ करोड़ रुपये की कमी है। इस स्थिति में बाढ़पीड़ितों की सहायता का कार्य अकेले राज्य सरकार के बूते के बाहर की बात है। अतः भारत सरकार से निवेदन किया गया है कि वे १९५ लाख रुपये के अनुमानित व्यय का आधा सहायता अनुदान के रूप में तथा बाक़ी आधा ऋण के रूप में राज्य सरकार को देने की कृपा करें।

आजमगढ़ की तहसील फूलपुर में टेस्टवर्क

२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बतायेंगे कि क्या फूलपुर तहसील, जिला आजमगढ़ की जनता की ओर से टेस्ट वर्क शीघ्र चालू करने की मांग आयी है ?

श्री चरण सिंह—जिला आजमगढ़ की तहसील फूलपुर में टेस्ट वर्क खोलने की मांग वहां के कुछ व्यक्तियों द्वारा जनवरी, १९५३ में की गई थी। उस समय कुछ कार्य खोले गये थे परन्तु मजदूरों के पर्याप्त संख्या में न आने के कारण इन कार्यों को बन्द करना पड़ा था। अभी हाल में भी कुछ मौखिक मांगें इस सम्बन्ध में जिलाधीश से की गयी थीं जिनके फलस्वरूप ३ स्थानों पर पुनः टेस्ट वर्क चालू किये गए। इनमें से दो टेस्ट वर्कों का हाल वही हुआ जो पहले टेस्ट वर्कों का अर्थात् मजदूरों की अपर्याप्त संख्या के कारण कार्य बन्द करना पड़ा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव सचिव, विधान सभा के पास भेजा था, उसको कृपा करके पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास वह आया था और उसके ऊपर मैंने यह लिख दिया है कि यह परिहासमात्र है और इसका जिक्र सदन में नहीं हो सकता। इस तरह उसके ऊपर मैंने लिख दिया है, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते थे कि उसको पेश किया जाय। क्योंकि प्रतीत हुआ कि उसमें आप ने मेरा परिहास किया था, इसलिए मैंने उसकी इजाजत नहीं दी। वह काम-रोको प्रस्ताव जिसमें किसी किस्म का परिहास हो आप वह खुद समझते हैं, सदन में नहीं आ सकता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मेरी यह मंशा नहीं है कि आपकी कोई हंसी हो।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप खुद नहीं हंसते हैं, लेकिन दूसरों को हंसाते हैं।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि गांव सभाओं और पंचायतों के लिए २ घंटा और दूसरे अनुदान के लिए भी २ घंटे का समय रख दिया जाय।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले अनुदान के लिए तो २ घंटा ठीक है और जो दूसरा अनुदान है, उसके लिए जो समय २ घंटे का बचता है, वह काफी नहीं है, इस लिए एक घंटे का समय ५ बजे के बाद बढ़ाकर यानी ६ बजे तक बैठ कर उसके लिए तीन घंटे का समय रहे।

श्री अध्यक्ष---(सरकारी बेंचों की तरफ तथा विरोधी बेंचों की तरफ देखकर) आप लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है? अगर आप लोग बाद में तय करना चाहें, तो बाद में बता दें। फिलहाल पहले के लिए २ घंटा रहेगा और बाकी समय दूसरे के लिए रहेगा। लेकिन यदि समय बढ़ाने का प्रस्ताव आया तो माननीय उपनेता सदन या नेता सदन और विरोधी दल के नेता विचार करके कोई सर्वसम्मति से प्रस्ताव ले आयें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अनुदान संख्या १४---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन---गांव सभायें और पंचायतें

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन-गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत ९७,३१,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस मांग का ब्यौरा उन कागजों में दिया हुआ है, जो इस सदन के सामने पेश किया जा चुका है। उससे मालूम होगा कि यह मांग तीन हिस्सों से बटी हुई है। एक पंचायत राज महकमे के डाइरेक्टोरेट का खर्चा है, जो २,५२,७०० रुपये है। दूसरा हिस्सा जिलों की पंचायतों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में है, वह ९०,६७,००० रुपया है। और तीसरा हिस्सा पंचायतों के आडिट सम्बन्धी संगठन से है। यह ४,११,५०० रुपया है और यह कुल मिला कर ९७,३१,२०० रुपये होते हैं।

[श्री मोहनलाल गौतम]

जैसा कि इन आंकड़ों को देखने से मालूम होगा और जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि यह दो हिस्सों में है। यानी एक तो डाइरेक्टोरेट का खर्चा और दूसरे जिलों के इन्तजाम का खर्चा। यह बहुत पुराने खर्चे हैं और जो पहले वर्ष में भी थे। इसके अलावा एक तीसरा खर्चा और जो इस वक्त दिया जा रहा है, वह पंचायतों के आडिट के सम्बन्ध में है। जो कागजात दिये जा चुके हैं, उनसे यह मालूम होगा कि अब तक पंचायतों के पास जो कुछ आमदनी और खर्च का हिसाब है, उसका हम आडिट नहीं कर सके और चूंकि वह आडिट कराना जरूरी है, इसीलिए यह नया संगठन पंचायतों के आडिट के लिए किया जा रहा है। गांव सभाओं से यह रकम आडिट फीस की शक्ल में ले ली जायगी और इसका बोझ सरकारी खजाने पर नहीं पड़ेगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। इसलिए यह खर्चा वास्तव में एक ऐसा खर्चा है जोकि आमदनी और खर्चे के बराबर हो जाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता और कुछ हद तक यह रकम एक मानी में जायद नहीं है। इस तरह से पिछले वर्ष जो भी रकम इस सदन ने स्वीकार की थी, उसका अगर इस वर्ष की रकम से मुकाबला किया जाय तो कुछ थोड़ी सी किफायत की गयी है और मामूली तौर से जो तनख्वाहों में वृद्धि होती है, वह हिसाब के अनुसार है और कोई नयी रकम इसमें शामिल नहीं की गयी है। इसलिए उसमें कोई खास चीज ऐसी नहीं है, जिसके लिए मैं इस सदन का अधिक समय लूं।

पंचायतों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तजुर्बा एक नया तजुर्बा था बल्कि देश में एक प्रकार से नया तजुर्बा था, इसलिए उस सम्बन्ध में यह कहना नामुनासिब नहीं होगा कि अब तक उससे जो तजुर्बा हुआ उससे कम से कम मुझे सन्तोष है और मुझे आशा है कि यह तमाम संस्थायें इस देश के निर्माण में अधिक से अधिक भाग लेकर इस देश को उन्नतिशील बनाने में कामयाब होंगी। यह सारा संघटन तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वह हिस्सा है जो कि यह संस्थायें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक कारपोरेट बाडी के तौर पर गांव की लेविल पर विलेज रिपब्लिक की एक यूनिट हैं, उस माने में गांवों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नया तजुर्बा है। उन्होंने अपनी संस्थाओं को किस प्रकार से चलाया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी मीटिंग्ज कीं, किस प्रकार से अपना हिसाब रक्खा और किस प्रकार से टैक्सेज लगाये, यह सारे काम जो कि एक कारपोरेट बाडी के लिए जरूरी हैं, इनपर अगर नजर डाली जाय और यह बात भी खयाल में रखी जाय कि हमारे गांवों का काफी हिस्सा अनपढ़ है, तो मैं कहूंगा कि इस तजुर्बे में काफी सफलता मिली है। जिस प्रकार गांव सभाओं ने अपनी मीटिंग्ज कीं, अपना काम चलाया, अपना हिसाब रक्खा, और आगे अपने काम में उन्नति की, वह सब उनके कार्य सराहनीय कहे जा सकते हैं। इसलिए एक हिस्सा तो वह है जो कि तजुर्बे के तौर पर है और उसके लिए मैं अधिक आंकड़े नहीं देना चाहता लेकिन इतना निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं कि इसमें गांव सभाओं ने अपने कार्य को काफी सफलता से किया है। इन गांव सभाओं ने इस बीच में जो आमदनी की है, वह लगभग पौने तीन करोड़ है, यानी २७,५०,५१४। इसमें से वह १,७१,२६०१८ ६० खर्च कर चुके हैं और इस समय गांव सभाओं के कोष में लगभग एक करोड़ रुपया बाकी है।

यह तस्वीर पूरी नहीं होगी, अगर मैं यह निवेदन न करूं कि जिनको अक्सर लोग गांव सभाओं का टैक्स कहा करते हैं, उनको मैं टैक्स नहीं मानता, क्योंकि जो टैक्स लगाने वाले लोग हैं, वे स्वयं अपने ऊपर टैक्स लगाते हैं। गांव सभाओं के टैक्स लगाने का तरीका यह है कि गांव सभाएं जनरल बाडी में टैक्स लगाती हैं। जनरल बाडी की बैठक में वे इस प्रकार टैक्स लगाते हैं कि हम अपने ऊपर यह यह टैक्स लगाते हैं। उसमें टैक्स लगाने वाली संस्था और जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, वे दो चीजें नहीं हैं। इसलिए अगर उसको हम वालंट्री कान्ट्रिब्यूशन कहें, तो नामुनासिब नहीं होगा क्योंकि वे स्वयं यह कहते हैं कि हम अपने ऊपर यह टैक्स लगायेंगे, हम यह-यह चन्दा देंगे, हम वह-वह चन्दा देंगे। तो कैश का जिक्र मैंने किया जो उन्होंने दिया।

दूसरी तरह से उनका वालन्ट्री कान्ट्रिब्यूशन श्रमदान के रूप में है, इन काइन्ड है, वह भी देखने लायक है। इस बीच में जो श्रमदान द्वारा गांव सभाओं ने काम किया, उसका मूल्य अगर जांचा जाय तो वह ५ करोड़ ४४ लाख ४७ हजार ४७० रु० होता है, यानी साढ़े पांच करोड़ रुपया श्रमदान के द्वारा इन लोगों ने कान्ट्रिब्यूशन अपना दिया। इस प्रकार से यह दोनों आंकड़े अगर मिलाये जायं, तो पौने तीन करोड़ रुपया वह और साढ़े पांच करोड़ रुपया यह दोनों मिलाकर सवा आठ करोड़ के करीब कैश और काइन्ड में इन गांव सभाओं ने कान्ट्रिब्यूट किया है।

इसके अलावा बहुत सी ऐसी सोशल सर्विसेज हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं, जिनको रुपये में नहीं कूता जा सकता और उनका जिक्र तो सिर्फ इस बात से ही किया जा सकता है कि उन्होंने क्या-क्या कार्य किये हैं। इसके लिए अगर मैं अध्यक्ष महोदय आप की आज्ञा से सदन के एक दो मिनट लूं तो नामुनासिब नहीं होगा। इस वक्त पक्के और कच्चे पंचायतघर जो बने और दान में मिले, उनकी संख्या ६५४९ है। इतने पंचायतघर इस समय पंचायतों के पास मौजूद हैं। गांधी चबूतरे, जोकि केवल एक चबूतरे की शक्ल में नहीं हैं, बल्कि गांव के सब लोगों के मिलने-जुलने और उठने-बैठने के लिए एक कामन प्लेस हैं, वह इस वक्त हमारे पास ५२ हजार ४५ हैं। ५२ हजार ४५ गांधी चबूतरे जिन पर कामन मीटिंग प्लेस का काम हो सके और जिन की वजह से वहां की कार्पोरेट लाइफ तरक्की कर सके, वह एक चीज है जिसकी ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ९ हजार २४६ गांवों में लाइब्रेरियां बनी हैं। इन्होंने कितना कार्य किया होगा, इसका अनुमान यहां कहने के बजाय वहां गांवों में जा करके इन चीजों के देखने से ही सम्बन्ध रखता है। दो हजार ११० रेडियो सेट्स गांवों में लगाये जा चुके हैं। इनकी क्या एजुकेटिव वैल्यू होगी, क्या एजुकेशन इन्होंने दी होगी, इसका अन्दाजा रेडियो डिपार्टमेंट वाले शायद ज्यादा बता सकेंगे। शारीरिक उन्नति के लिए और अच्छी तरह उनका ध्यान दिलाने के लिए एक लाख ५५८ अखाड़े और जिमनेजियम बनाये जा चुके हैं। नयी सड़कों के बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत की ओर भी काफी ध्यान दिया जा चुका है। इस वक्त जो नयी सड़कें बनी हैं, उनमें पक्की सड़कें १५७५ मील हैं। यहां पर अगर यह शक जाहिर किया जाय कि पक्की सड़कों को गांव सभाओं ने किस प्रकार बनाया तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ज्यादातर पहाड़ों की सड़कों को आप को पक्की सड़कें मानना ही पड़ेगा। हालांकि उन पर वह मैटीरियल नहीं दिया जाता है, लेकिन वे सड़कें पक्की ही हो जाती हैं और इतना और निवेदन करूंगा कि इन सड़कों के बनाने में और जो मामूली मिट्टी की सड़कें बनायी जाती हैं, उनमें बड़ा फर्क है। कभी-कभी तो पहाड़ तोड़े जाते हैं, डाइनामाइट इस्तेमाल किया जाता है और सड़कें बनाने में काफी परिश्रम करना पड़ता है और जब सड़कें बन जाती हैं, तो वे पक्की ही हो जाती हैं। ९३४२ नयी कच्ची सड़कें बनी हैं और यहां पर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन सड़कों के बनाने के लिए सरकार का कोई भी महकमा कोशिश करता तो जहां पर कि पगडंडी थी, जहां रास्ता नहीं था, या बहुत तंग रास्ते थे, अगर वहां सड़कें बनाने के लिए जमीनों को एक्वायर किया जाता हरे-भरे खेतों के उन टुकड़ों को लिया जाता तो काफी मुकदमे-बाजी होती, काफी रुपया खर्च होता और काफी समय लग जाता। जिस खुशी के साथ, जिस उदारता के साथ, किसानों ने अपनी अच्छी-अच्छी जमीनें इन सड़कों के लिए दी हैं, उसकी जितनी सराहना की जाय उतनी थोड़ी है। ११,३०६ मील लम्बी कच्ची सड़कों की मरम्मत की गयी और २,१०१ मील पक्की सड़कों की मरम्मत की गयी। ड्रेन्स जो गांवों में बनाये गये हैं, वे २११ मील पक्के और ९५७ मील कच्चे बनाये गये हैं। जिन ड्रेन्स की मरम्मत हुई है, वे ३६ मील पक्के और ४२५ मील कच्चे हैं। पेड़ों के लगाने का बहुत जबरदस्त प्रयत्न किया गया और वन महोत्सव से लेकर चारों ओर इस तरफ काफी ध्यान दिया गया और इस समय फलदार दरख्त जो लगाये गये, उनकी संख्या १,१०,२०,९३६ है और दूसरे पेड़ों की संख्या ४,६०,०९,८४४ है। इस ओर मैं खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कमेटी आर्चर्डस्, जो शामिलात में बगीचे लगाये गये हैं, वह एक विशेष चीज है। ७,३३६ एकड़ जमीन पर ये बगीचे लगाये गये

[श्री मोहनलाल गौतम]

हैं। ३६,७४५ लालटेनें अब तक गांवों में लगायी जा चुकी हैं और १,३९९ मेडिसिन चेस्ट्स और ५१ मेटरनिटी बाक्सेज इस वक्त तक गांवों में पहुंचाये जा चुके हैं। ३१६ बन्ध बनाये गये और ७३ परकोलेशन ट्वील्स लगाये गये हैं इन्हीं गांव सभाओं की मारफत। सिंचाई के लिए २४,६३४ पक्के कुएं बनाये गये और ५४,४६८ कुओं की मरम्मत की गयी। पानी पीने के लिए जो कुएं बनाये गये उनकी संख्या ६२,७४२ है और जिन कुओं की मरम्मत की गयी उनकी संख्या ३,४७,२२७ है। इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि गांवों में पीने वाले पानी की बहुत ज्यादा कठिनाई है और बहुत सी जगह अच्छा पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। इस ओर हमारा ध्यान है और कोशिश की जा रही है कि गांवों में शुद्ध पानी पीने के लिए मिल सके। ख्याल यह है कि जो ट्यूब वेल्स इस वक्त गांवों में हैं, उनमें से गांव वालों को पीने के लिए भी पानी दिया जा सके। वहां एक ओवरहेड टैंक बना कर उस से नालियां डाल कर अगर ट्यूब-वेल्स से निकाला हुआ पानी जो इस वक्त सिर्फ सिंचाई के काम में आता है, पीने के लिए भी गांव वालों को दिया जा सके तो वह बड़ी अच्छी चीज होगी और इस वक्त कई हजार ट्यूब-वेल्स इस प्रदेश में हैं, और बहुत से ट्यूब वेल्स ऐसे हैं जो गांवों के बिलकुल नजदीक हैं। तो जितने भी ट्यूब वेल्स इस काम के लिए इस्तेमाल किये जा सकें, उनको इस्तेमाल करने का इरादा है। उसमें काफी खर्चा होगा और कोशिश यह की जायगी कि ज्यादा से ज्यादा शुद्ध पानी गांव वालों को देने का प्रयत्न किया जा सके। इस प्रकार से इन तमाम आंकड़ों को देखने से मालूम यह होता है कि गांवों में जो कुछ भी अब तक किया जा रहा है, वह सन्तोषजनक कहा जा सकता है। इन आंकड़ों से जो बात जाहिर होती है, वह तो है ही और उस से भी काफी सन्तोष प्रकट किया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक बड़ी भारी बात यह है कि गांव वालों को यह महसूस करा देना कि इस स्वराज्य में जो भारतवर्ष ने प्राप्त किया है, उसमें गांव वालों का भी कुछ हिस्सा है और गांव वालों के भी हाथ में कुछ इन्तजाम अपना करने का अधिकार है। डेवेलपमेंट के कार्य के द्वारा जिस ओर वह चल रहे हैं, वह रास्ता ऐसा है कि अगर उस ओर काफी ध्यान दिया गया, गांव वालों ने काफी उत्साह दिखाया, तो देश और विशेषकर गांव के इलाके का नक्शा ही बदल सकता है। इसलिए जितनी रकम है उससे भी ज्यादा मैं इस बात को महत्व देता हूं कि वह रास्ता जो गांव वालों ने अख्तियार किया है, उसमें काफी पोटेंशियलिटी और वह काफी दूर तक उन्नति की ओर उन्हें ले जा सकता है। इसलिए जो कुछ भी अब तक काम हुआ है, वह ऐसा नहीं है, जिस पर सन्तोष प्रगट न किया जा सके। यह मैंने गांव सभाओं के दो रूप बताये जो कि अब तक हमारे सामने हैं।

एक दूसरी संस्था वैसे तो वह भी गांव सभाओं के ही अन्तर्गत उसी लब्ज में आ जाती है, लेकिन अपने कार्य में जो दूसरे प्रकार की संस्था है, वह पंचायती अदालतें हैं। पंचायती अदालतें गांव सभाओं से एक भिन्न संस्था है और उनका काम भी बिलकुल भिन्न है। उस पर बहुत बहस है। कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग उसके बुनियादी सिद्धान्त को ही नहीं मानते। तो बहस तो है ही, लेकिन थोड़ा सा अन्दाज इन आंकड़ों से जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं हो जायगा कि उन्होंने क्या काम किया। इस वर्ष के नौ महीने में १-४-५३ से ३१-१२-५३ तक जो मुकदमे दायर हुए उनकी संख्या ४,०५,८९६ है और अब तक जब से पंचायती अदालतों ने कार्य करना शुरू किया है, जितने मुकदमे दायर हुए उनकी संख्या १३,१७,७८१ है। इसमें इतना मैं और निवेदन कर दूं कि ७ जिलों से, जो क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, वह इस क्वार्टर की नहीं आयी है जिस से कि एक मोटे रूप में कह सकते हैं कि सवा तेरह लाख मुकदमे दायर हुए इनमें से जो मुकदमे कम्प्रोमाइज हो गये, उनकी संख्या १,२०,८९० है और अब जब से ये संस्थायें स्थापित हैं, उस वक्त से लेकर अब तक जो मुकदमे कम्प्रोमाइज हो गये, उनकी संख्या ४,७६,८८९ है। जो दूसरे प्रकार से मुकदमे तय हुए उनकी संख्या इस वर्ष की २,२५,०१८ है और शुरू से लेकर अब तक की कुल संख्या ऐसे मुकदमों की ७,८०,९०४ है। इस प्रकार से इस वर्ष ३,४५,९०८ मुकदमे फैसल हो गये और कुल चार साल में अब तक

जितने मुकदमे फैसल हुए, उनकी संख्या १२,५७,७९३ है। इस प्रकार साढ़े बारह लाख से ज्यादा मुकदमे अब तक फैसल हो चुके। इस वक्त जो पेंडिंग केसेज हैं, उनकी संख्या है ४९,९८८। इसी के साथ इतना मैं और निवेदन कर दूं कि इसमें जिन मुकदमों का रिवीजन फाइल हुआ उनकी संख्या इस वर्ष की है ८,४५१ और अब तक कुल सवा तेरह लाख मुकदमों में से जिनका रिवीजन फाइल हुआ है, उनकी संख्या ३७,६६१ है। इस प्रकार ४.२ पर्सेंट केसेज में रिवीजन फाइल हुआ। इनमें से जो रिवीजन एलाऊ हुए वह ऐसे १५,८२९ मुकदमे हैं। इसके मानी यह हैं कि १.७ प्रतिशत केसेज में सिर्फ रिवीजन एलाऊ हुआ, यानी ९८.३ प्रतिशत केसेज में पंचायती अदालतों का फैसला बहाल रहा है। मैं नहीं जानता कि इस से अच्छा रेकार्ड और किसी अदालत का क्या हो सकता है? जो रिट अप्लीकेशन्स फाइल हुईं, उनमें ७९ प्रतिशत केसेज में जो फैसला पंचायती अदालतों ने किया था, वही बहाल रहा। इस प्रकार से थोड़े से आंकड़े देकर मैंने यह बताने की कोशिश की कि इन संस्थाओं ने क्या कार्य किया है। इसके कहने का मतलब यह नहीं है कि जब मैं उनके कार्यों पर सन्तोष प्रकट करता हूं, तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि उनमें जो खामियां और खराबियां हैं उनकी ओर मेरी नजर नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत सी खराबियां और खामियां हैं और उसकी वजह से बहुत कुछ हाहाकार भी है। जो कुछ खराबियां हैं, मैं उनको दो तीन हिस्सों में बांट सकता हूं।

एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव खराबियां हो सकती हैं। जो कानून इस वक्त बना हुआ है, के पालन करने में जो खराबियां हैं और मैं माननीय सदस्यों से भी चाहूंगा कि वे भी सुझाव दें। उनको मैं खुशी से सुनूंगा और जहां तक हो सकेगा, उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करूंगा।

दूसरी खराबियां लेजिस्लेटिव हो सकती हैं। लेजिस्लेटिव इस प्रकार से कि जो कानून अब तक बना हुआ था, उसमें तजुरबे की बिना पर खराबियां जो देखीं, उनको दूर किया जाय। हमारे सामने इस समय जो लेजिस्लेटिव कार्य है, उसमें एक हिस्सा तो यह है कि जो छोटी छोटी खराबियां तजुरबा की बिना पर हमको नजर आयीं, उनको दूर किया जाय। दो एक चीजें और भी इस वक्त हमारे सामने हैं और वह यह हैं कि गांव समाज की स्थापना इसी बीच में हुई। गांव समाज और गांव सभा का कार्य बहुत कुछ ओवरलैप करता है और काफी कठिनाइयां दिखायी देती हैं। इसलिए इरादा यह है कि ढाई सौ से कम आबादी वाले गांव नजदीक के गांव में मिला दिये जायं, जिनकी संख्या १ लाख १२ हजार है। पहाड़ी इलाकों को छोड़ कर अन्दाज यह है कि ६० हजार के लगभग रेवेन्यू बिलेजेज की संख्या रह जायगी। इस वक्त यह सोचा जा रहा है कि अलग-अलग गांव समाज और गांव सभाओं को न रख कर गांव समाज और गांव सभा एक ही एरिया के हो जायं। इस तरह से गांव समाज और गांव सभा में जो इस वक्त दिक्कतें हैं, को हल करने का इरादा है यानी हर रेवेन्यू विलेज एक गांव सभा हो जाय जो कि गांव समाज का भी कार्य करे और गांव सभा का भी कार्य करे। इस वक्त जो कानून बन रहा है उसमें इसका भी ख्याल रखा गया है। जो कानून इस सदन के सामने आने वाला है उसमें एक बड़ा भारी सवाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभा का क्या सम्बन्ध हो। उन सब बातों का जिक्र करने में मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन इन बातों के कहने का मतलब यह है कि यह बड़े बड़े कार्य इस वक्त सामने हैं। गांव सभाओं के कानून के संशोधन का प्रश्न गांव समाज और गांव सभाओं को मिलाने का प्रश्न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभा का आपस में सम्बन्ध तय करने का प्रश्न, इन प्रश्नों पर बगैर विचार किये हुए और फैसला लिये हुए, और उस कानून में संशोधन किये हुए जो इस वक्त गांव सभाओं के लिए कानून है, इस वक्त गांव सभाओं का एलेक्शन करा देना मुनासिब नहीं है। कहा यह जाता है कि एलेक्शन एक पवित्र चीज है जिसको टालना नहीं चाहिए। मुझे उससे इख्तलाफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि जिस समय एलेक्शन आये, उस समय एलेक्शन करा दिया जाय। लेकिन जहां तक गांव सभाओं का सम्बन्ध है, एक विशेष

[श्री मोहनलाल गौतम]

परिस्थिति है। बात यह है कि एक नयी चीज है। उनमें कमियां और खराबियां हैं। तो क्या यह मुनासिब होगा कि इस वक्त एलेक्शन करा दिया जाय? कल को कानून में संशोधन हों और परसों फिर इलेक्शन कराया जाय यह बहुत मुश्किल हो जायगा। इतना बड़ा एलेक्शन शहरी क्षेत्र को छोड़ कर एडल्ट फ्रेंचाइज पर इस सूबे का जनरल इलेक्शन यह होगा। साल डेढ़ साल में दो दो दफे इसे कराना मैं मुनासिब नहीं समझता। इसलिए इलेक्शन का जो पोस्ट-पोनमेंट हुआ है, उसकी यही मुनासिब वजह है और इसमें किसी को असन्तोष न होना चाहिए। कोशिश यह है कि यह कानून जल्दी से जल्दी इस सदन में आये। इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनी थी और जो प्रोपोजल उसने दिये थे, उनके आधार पर कानून बन चुका है और वह जल्दी से जल्दी इस सदन में आने वाला है। उस वक्त जो इस सदन के माननीय सदस्यों को कहना होगा, सहर्ष कहें और जो कुछ भी संशोधन यह सदन करना चाहेगा उन्हें मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा अगर वे मुनासिब संशोधन होंगे तो।

एक चीज और है। एक तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हैं। कुछ लेजिस्लेटिव डिफिकल्टीज हैं। इनके अलावा कुछ खराबियां ऐसी हैं, जो इन दोनों से परे हैं और इन दोनों के सुधारने पर इस तीसरी खराबी को सुधारने के लिए ज्यादा प्रयत्न दूसरी दिशाओं में करना होगा। कुछ खराबियां हमारे सोशल आर्डर में हैं। उस सोशल डिसआर्डर की वजह से जो खराबियां केवल पंचायतों में ही नहीं हैं, बल्कि समाज के दूसरे हिस्सों में भी हैं। इसलिए इन खराबियों को दूर करने के लिए हम सबको प्रयत्न करना होगा और मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से चाहे वे इस ओर के हों, या उस ओर के, यह अपील करूँगा कि हम सब मिल कर उन्हें दूर करने की कोशिश करें, तभी वे दूर हो सकेंगी। इन शब्दों के साथ मैं हर्ष प्रकट करते हुए और यह आशा करते हुए कि ये गांव सभायें आगे और अच्छा कार्य करेंगी, यह मांग इस सदन के सामने अध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत पेश करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समस्त अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव मैं पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के द्वारा जो रुपया माननीय स्वशासन मन्त्री ने सदन से मांगा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसपर बहुत ढंग से हमको विचार करना है। इस अनुदान से सम्बन्ध है ग्राम पंचायतों का। उनके व्यवस्थापन पर इस अनुदान द्वारा अगर यह रुपया स्वीकृत हुआ तो खर्च होगा। माननीय स्वायत्त मन्त्री जी ने अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि पंचायतों का इन चार वर्षों में हमने एक नया तजुर्बा किया। इस सम्बन्ध में मुझे आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना है कि यह मैंने माना कि यह चार वर्ष का तजुर्बा आपकी सरकार के लिए नया है, लेकिन इस तजुर्बे की आधारशिला पुरातनकाल में जो गांवों में ग्रामतंत्र प्रचलित था, वही है। हम अगर यह देखें, और गौर करें, तो हमें ज्ञात होगा कि प्राचीन भारत में भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभायें थीं और ग्राम सभा के संचालक उसके मुखिया होते थे। इतिहास के पन्ने उलटने के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में ३२२ ई० पूर्व से लेकर १८५ ई० पूर्व तक पंचायतों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उस समय भी गांव द्वारा चुने हुए लोगों को अपने गांव का इन्तजाम करने का अधिकार था।

लगान वसूल करने का काम, लोगों को एक सूत्र में बाँधने का काम, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की तरफ गांवों को ले जाने का भी उस समय काम पंचायतों के जिम्मे था। धीरे-धीरे ६०० से १२०० ई० तक भी हमने देखा कि गांवों का काम विकास की तरफ था और उनकी पंचायतें थीं और उनकी कुछ ताकत थी जो उनके हाथ में आयी, और ग्रामीण लोगों ने उन पंचायतों के द्वारा काम किये। हमने यह भी देखा कि उस जमाने में राज्य आज्ञा का

उल्लंघन करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को था। ग्राम पंचायतें उस जमाने में अन्यायपूर्ण राज्य आज्ञा का विरोध किया करती थीं। धीरे धीरे फिर जब मुसलमानों का राज्य आया तो उस जमाने में भी हमने पंचायती राज्य की स्थापना देखी। उसके पश्चात् अंग्रेजों का जमाना आया। अंग्रेजों के जमाने में उनका दृष्टिकोण पंचायतों को शक्ति देना नहीं था, अंग्रेजों के शासन में पंचायतों के शासन को कमजोर किया गया और उन्होंने जमींदारों की स्थापना की। जमींदारी सिस्टम की स्थापना के बाद देहात के किसानों की एक जीविका मात्र का आधार खेती बरबाद हो गयी। जब जमींदारों के हाथ में गांवों के संगठन की शक्ति आयी, तो वहां की आर्थिक अवस्था छिन्न-भिन्न होने लगी, टूटती चली गयी और ग्रामीण ताकत कुछ खास आदमियों के हाथ में जा लगी। इस प्रकार अंग्रेजों के जमाने में ग्राम पंचायतें प्रायः टूट गयीं। हमने यह भी देखा कि अंग्रेजों के जमाने में जब शक्ति का केन्द्रीयकरण पूरी तरह से हो गया, और जब पूंजीवाद के हाथ में सारी देश की सत्ता चली गयी, तो हमारे देश में एक महान् पुरुष ने जन्म लिया, महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हुआ। महात्मा गान्धी ने देश में असहयोग का आन्दोलन चलाया। अपने देश के लोगों से उन्होंने कहा कि राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। देश की छिन्न-भिन्न आर्थिक अवस्था को पुनर्जीवन देने के लिए यह आवश्यक हो गया कि उसका विकेन्द्रीकरण किया जाय। हमने देखा कि उसी आधारशिला पर आज भी इस सरकार की पंचायतों की नींव है। आज अगर इन पंचायतों के काम को विभाजित किया जाय तो वह पांच हिस्सों में कर सकते हैं। ग्राम शासन, पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक और सामाजिक विकास। अब मैं इनमें से एक एक को लेता हूं।

ग्राम शासन की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम शासन की आज जो परिपाटी है, उसमें हमने देखा कि चुनाव में जो इस सरकार द्वारा नियम बने हुये हैं उस नियम के अनुसार हरिजनों के लिए और मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व की गयी है और नियम के अन्दर इसका जिकर किया गया है, लेकिन माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन में औरतों का कोई जिकर नहीं है। अगर यह पूछा जाय कि इन हरिजनों और मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन दिया गया है, तो यही मालूम होगा कि उनके पिछड़ने की वजह से उनको सीटें दी गयी हैं और इसी कारण सरकार ने मजबूर होकर उनको रिजर्वेशन देने का निश्चय किया है, ताकि वह भी अपना विकास कर सकें। इन हरिजन और मुसलमानों से ग्राम्य जनता की तुलना यदि की जाय तो तब ग्राम्य शासन में स्त्रियों को कोई स्थान देना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होगा, उनका भी गांव पंचायतों में स्थान होना चाहिए। स्त्रियों को कोई स्थान वहां पर न देना और इस प्रकार से उनकी इज्जत और आबरू का ख्याल न करना यह हमारे लिए कलंक की बात है। हमको तो यह सोचना है कि जिस प्रकार से दूसरी जातियों को हमने उत्थान के लिये मौका दिया है और हरिजन और मुसलमानों के लिये सीटें रिजर्व की हैं उसी प्रकार मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ग्रामीण शासन में औरतों के लिये भी विकास के पथ पर चलने के लिये उनकी सीटें रिजर्व होनी चाहिये। मैं अपनी पार्टी के विचारों के मुताबिक रिजर्वेशन का कायल नहीं हूं लेकिन यदि आप आवश्यक समझते हैं कि कुछ दिनों के लिये हरिजनों और मुसलमानों का रिजर्वेशन उनके उत्थान के लिये आवश्यक हो तो यह भी होना चाहिये कि औरतों का ध्यान रक्खा जाय। हमारे समाज में औरतों की जिन्दगी अधोगति हो चुकी है, हरिजनों और मुसलमानों से ज्यादा उनके लिये रिजर्वेशन होना आवश्यक है।

पुनर्निर्माण का जहां तक सम्बन्ध है, इसके बारे में बड़ा ढोल पीटा गया है और अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा। मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं.....

श्री मोहनलाल गौतम---समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सदस्य यदि जरा कम तेजी से बोलें और जरा माइक से मुंह दूर रखें।

श्री अध्यक्ष—हां ।

श्री रामेश्वरलाल—बहुत अच्छा, अध्यक्ष महोदय! मैं पूछ रहा था कि क्या एम० एल० ए० या एम० पी० या चाहे वह कोई नेता हो उनको माला पहनाना पुनर्निर्माण है ? क्या उनकी जय बोलना पुनर्निर्माण है ? और यदि पुनर्निर्माण की संज्ञा इन्हीं कामों को दी जाती है, तो मैं मानने के लिये तैयार हूं कि देश बड़ा पुनर्निर्माण किया है । लेकिन अगर पुनर्निर्माण का प्रयोग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में विकास के लिये है तो मैं यह कहूंगा कि यह पुनर्निर्माण का ढिंढोरा केवल एक ढोंग और ढिंढोरा है ।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि प्रौढ़ों और बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय लेकिन क्या कोई शिक्षा की व्यवस्था है ? यदि हम ध्यान से देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि अच्छे प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । स्वास्थ्य हमारा चौपट है । सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यह विकास नहीं है कि नित्य चोरी, डकैती और कत्ल हों । १०७ और १०८ के मुकद्दमें यह साबित करते हैं कि हमारा कोई सांस्कृतिक और सामाजिक विकास नहीं हुआ है ।

अब मैं केवल यह बतलाना चाहता हूं कि इनमें क्या क्या खामियां हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि १ या २ मिनट हमारा समय बढ़ा दिया जाय । गांव के उत्थान के लिये आवश्यक है कि जब हम एक ओर राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हैं तो वहीं हमको उसकी सफलता के लिये आवश्यक है कि आर्थिक सत्ता का भी विकेन्द्रीयकरण करें । मैं माने लेता हूं कि कागजों में काम हो रहा है लेकिन वास्तव में कोई काम हो नहीं रहा है । सेक्रेटरी जाकर सरपंचों से दस्तखत करा लेते हैं । गांववालों को यह ताकत देना चाहिये कि वे अपना निर्माण आर्थिक पहलू पर भी कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय, २ या ३ खामियां ऐक्ट की मैं बतलाना चाहता हूं । मैंने सवेरे पढ़ा कि पंचायत राज्य ऐक्ट के १४ वें नियम में लिखा है कि—

"The Gaon Sabha may at any ordinary meeting remove the President or a Vice-President by a majority of 2/3rd votes of those present."

मौजूदा मेम्बरों के २/३ वोटों से उसे निकाला जा सकता है । लेकिन रूल में है कि गांव सभाओं के सभापति और उपसभापति को मनोनीत अधिकारी नियत समय के अन्दर चार्ज लगाये और उसको अधिकार है कि वह निकाल भी दे तो ये दोनों अलग अलग हैं । हम ऐक्ट को माने या नियम को ?

टैक्सों के सम्बन्ध में यह बात है कि गांव पंचायत यदि कहती है कि १ पैसा टैक्स लगे और जिला अधिकारी कुछ और चाहते हैं तो सेक्रेटरी मजबूर होता है कि जिला अधिकारियों की बात माने । इस तरह से दोहरी हुकूमत होती है जिसे समाप्त कर देना चाहिये ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के भाषण और उन्होंने जो आंकड़े पढ़े उनको सुनकर मुझे हर्ष हुआ विशेषकर पंचायतों के बारे में । परन्तु मुझे दुख हुआ कि माननीय मन्त्री जी ने जो कठिनाइयां बतायीं उनमें एक मुख्य कठिनाई का जिक्र तक नहीं किया और वह यह है कि लोकल बाडीज, गांव सभा पंचायतें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को किस प्रकार सेल्फ सफीसियेंट बनाया जाय । अभी तक प्रति वर्ष उनको सहायता के लिये ग्रान्ट के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है । मैं समझता हूं कि यह अनुचित है । इसके अनुचित होने के दो तीन कारण हैं । एक तो यह है सरकार को यह ख्याल तक नहीं होता कि इन लोकल बाडीज की आमदनी कैसे बढ़ाई जाय । आमदनी के सीमित जरिये हैं, वे ओवर लैप करते हैं । पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार ये राज्य शासन के अंग हैं जिनके द्वारा डेमोक्रेसी में राज्य शासन किया जाता है और यह एक ऐसी बात है जो डेमोक्रेटिक सेट-अप में माननी पड़ेगी कि शासन का डिसेंट्रलाइजेशन होता रहना चाहिये । हमारे

माननीय मंत्री जी शायद यह विचार रखते हैं कि अभी हमारा देश डिसेंट्रलाइजेशन के लायक नहीं हुआ है लेकिन फिर भी सैद्धान्तिक रूप से हमें यह मानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में इसकी नितान्त आवश्यकता है। और जब वे इस बात को मान लेते हैं तो उनको अभी से इस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिये। अतः मेरी माननीय मन्त्री जी से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के बीच आमदनी बाँटी जाती है उसी प्रकार से आगे की स्टेज में यह आवश्यक हो जायगा कि प्रादेशिक सरकार तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा पंचायतों के बीच में आमदनी को बांटा जाय। आज तो गवर्नमेंट ही एक आमदनी का स्रोत है। पहले सारी आमदनी यहां लखनऊ आ जाती है और फिर आर्बीट्रेरी रूप से उसका रिएलोकेशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। होता यह है कि पहले सारी आमदनी लखनऊ आ जाती है और वहां से स्वायत्त शासन विभाग के मन्त्री अपने विभाग को तथा दूसरे मन्त्रीगण अपने अपने विभागों को रुपया भेजते हैं। यह बहुत ही राउन्ड अबाउट मैनर है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि जो जनता है वह यह नहीं जानती की उनके यहां से क्या लाभ हो रहा है। मैं यह जानता हूं कि उन्नति और उत्थान के अनेक कार्य हो रहे हैं लेकिन मन्त्री महोदय को यह मानना होगा कि बहुत से कार्यों में जनता का उतना उत्साह नहीं कि जितना कि होना चाहिये। उनमें उत्साह इस लिये नहीं होता कि उनकी यह समझ में नहीं आता वह कार्य उनके स्वयं के आर्थिक बल से हो रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक दशा के सुधारने का साधन उनके हाथ में नहीं होता और उनको हमेशा हर कार्य के लिये सरकार की सहायता मांगनी पड़ती है। पहाड़ों की आमदनी का एक जरिया जंगलों की आमदनी है। इसलिये वहां के लिये आप यह योजना बना सकते हैं कि वहां के जंगलों की आमदनी का कुछ हिस्सा सीधा सीधा उनके हाथ में चला जाय। इससे जनता वहां के जंगलों की देखभाल कर सकेगी और जंगलों के द्वारा जो उनको रकम प्राप्त होगी उससे वह उसकी उन्नति योजना में भाग लेने के लिये तैयार हो जावेगी। लेकिन आज तो जो रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है वह केवल dole के तौर पर दिया जाता है और किसी भी प्रकार के इक्विटेबिल प्रोपोर्शन में नहीं बांटा जाता। किसी जिले में ज्यादा तो किसी में कम हो सकता है, माननीय मन्त्री महोदय के ख्याल में ऐसी कोई बात न हो लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह आर्बीट्रेरी बेसिस पर होता है। क्योंकि जहां जितनी जरूरत हो उतना ही किया जाय। "नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस"। जहां काम जारी है उसे पूरा करता है लेकिन जहां काम शुरू ही नहीं हुआ हो उसका काम फिलहाल रोक दिया जाय क्योंकि कोई लाइबिलिटी कोई बधीं नहीं है जिसे पूरा करना ही हो। आर्बिट्रेरी रिएलोकेशन मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कोई ऐसी योजना निकालें ताकि लोकल बाडीज आदि जो हैं उनकी आमदनी का जरिया बढ़ाया जाय। टैक्सेज बहुत ही नामिनल आदमी के जरिये हो सकते हैं। इस लिये यह कहना कि लोकल बाडीज अपनी आमदनी टैक्स द्वारा बढ़ावे, यह असम्भव बात है। मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि मीन्स आफ प्रोडक्शन, जहां फैक्टरीज हैं उनका कुछ हिस्सा जहां जनरल रिसोर्सेज हैं उनका कुछ हिस्सा लोकलबाडीज को लेने का अधिकार दिया जाय। यही एक तरीका है जिससे मैं समझता हूं कि लोकल बाडीज को प्रोत्साहन मिलेगा और जो वहां की जनता है वह फिर अपनी योजना और जो उनकी योजना है उसमें खुशी से भाग लेने के लिये उत्सुक रहेगी।

अधिक समय न होने की वजह से अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही और कहना चाहता हूं कि यह जो पंचायत राज विभाग है उसके सम्बन्ध में संशोधन आयेंगे। इसमें विशेषकर एक बात है जिसमें संशोधन लाना अति आवश्यक है। और वह यह है कि अदालतों का वर्तमान एलेक्टिव बेसिस है, अदालती पंचों का एलेक्शन पर निर्भर होना, यह एक बहुत ही अनुचित बात है। और मेरे ख्याल में माननीय मन्त्री महोदय भी इस बात को मानते हैं कि जब एक व्यक्ति चुनाव के ऊपर उसकी मर्जी से, मेहरबानी से पंच बनता है तो वह किस हद तक अपना विचार स्वतंत्र रख सकता है, यह तो एक जाहिर बात है। इस लिये मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इसका विचार रखें कि इसमें संशोधन होना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ग्राम सभाओं के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये कुछ जगहें स्थायी बनाने के लिये यह १४ नं० का अनुदान हमारे सामने रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभाओं का वैसे तो जनतंत्र में बहुत बड़ा काम है क्योंकि नीचे से शासन चलाने में सरकार को बहुत मदद मिलती है और गांव के सीधे साधे, भोले भाले काश्तकारों को सस्ता न्याय भी मिलता है लेकिन उसमें दो एक बातें हैं। हमारे अफसरों की तरफ से व कर्मचारियों की तरफ से दिलचस्पी न लेने की वजह से बहुत खराबी बाकी रहती है। कई साल पहले गांव सभाओं का चुनाव हुआ। गांव के सीधे सादे आदमी उस वक्त से ठीक से समझ भी नहीं पाये कि वहां जाकर क्या करना होगा और किसको हमें वहां चुनकर भेजना चाहिये। पंचायतों में और गांव सभाओं में आजकल ऐसे ऐसे भी नुमाइन्दे हैं जो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। जो गांव सभाओं का काम करने के लिये कर्मचारी सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर और नियोजन अधिकारी आदि आदि रखे गये हैं उनका पूर्णतया सहयोग इस काम में उन गांव सभाओं और सरपंचों को नहीं मिलता है कि उन्हें किस रूप में कार्य करना चाहिये बल्कि ये अफसरान रात दिन इस फिक्र में तो रहते हैं कि कोई त्रुटि पकड़ कर उनकी गलती निकाली जाय और उन्हें मुअत्तल या बरखास्त किया जाय लेकिन इस किस्म की शिक्षा नहीं दी जाती कि वे अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि आज तक इस तरह की कोई शिक्षा गांव सभा के सभापतियों को व सरपंचों को नहीं दी गई कि वे इस तरह से अपना कार्य करें और न विलेज लेविल पर काम करने वाले गांव के छोटे कर्मचारियों, सेक्रेटरियों को ही आज तक इस किस्म की कोई ट्रेनिंग दी गयी कि गांव सभाओं को वहां के रहनेवाले आदमियों के साथ किस प्रकार मिलकर किस तरह से गांव सभाओं के उन्नति का कार्य करना चाहिये जब कि बड़े बड़े अफसरों की इस तरह की ट्रेनिंग बक्शी के तालाब पर होती रहती है। माननीय मंत्री ने अभी बहुत से श्रमदान के आंकड़े हमारे सामने पढ़े हैं। वास्तव में देहातों में श्रमदान के जरिये बहुत से काम होते हैं लेकिन अगर उस काम में प्लानिंग कमेटी की मार्फत जो रुपया यहां से दिया जाता है उन सड़कों पर जो पुल वगैरह बनाना है और जहां लोगों ने श्रमदान किया है उस पैसे को उनमें लगाकर काम हो जो ऐसे काम हैं जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैसे लगाकर हो सकते हैं वह ठीक तरह से नहीं हो सके अगर उनमें नियोजन विभाग की तरफ से देहात में जहां काम श्रमदान से हुआ है कुछ पैसा दे दिया जाय तो काम ठीक तरह से चल सकता है।

इसके अतिरिक्त गांव में जो सेक्रेटरी आदि रखे जाते हैं शुरू शुरू में जो सेक्रेटरी रखे गये थे उनमें से बहुत से ऐसे आदमी रख लिये गये हैं जो कि रहने वाले शहरों के और जो गांवों के लोगों से बातें करना पसन्द नहीं करते। मैं नहीं कहता कि उनको हटा दिया जाय लेकिन आइन्दा गांवों में ऐसे ही व्यक्ति रखे जायं जो गांव के लोगों से मिल कर काम कर सकें।

इसके साथ ही गांव में सेक्रेटरियों या दूसरे कर्मचारियों की शिकायतें हुआ करती हैं, लेकिन उनके मामलों को डिपार्टमेन्टली बहुत देर में विचार किया जाता है। दो दो तीन तीन सालों तक जो मुअत्तल हो गये उनकी शिकायत के मामले पर कोई विचार नहीं हुआ और सैकड़ों रुपया उन बेचारों का लखनऊ तक भाग दौड़ में ही खर्च हो जाता है। उनके कागजों पर विचार करके उनको बरखास्त किया जाय या रक्खा जाय लेकिन मामले पर विचार जल्द हो जाना चाहिये। यह नहीं कि वे न घर के रहें न घाट के, न वह अपना काम कर सकें न सरकारी काम कुछ कर सकें। मिसाल के तौर पर मेरे जिले में बहेड़ी में महानन्द नाम के एक इंस्पेक्टर थे .....

श्री अध्यक्ष---आप किसी व्यक्ति का नाम न लें।

श्री नत्थूसिंह---एक इंस्पेक्टर थे जो १९४२ में जेल भी गये और वह हर वक्त कांग्रेस के काम में घूमा फिरा करते थे, हर वक्त देहात में उनकी साइकिल चलती ही रहती थी लेकिन जब वे पंचायत इंस्पेक्टर हो गये, तो पता नहीं कि लीडरी की बू उनमें आ गयी या क्या बात थी

अफसरान उनको पसन्द नहीं करते थे। वे आजकल मुअत्तल हैं काफ़ी दिन हो गये जो कुछ भी हो फैसला शीघ्र होना चाहिये।

यही सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती पेश की गयी है उसका विरोध करता हूं।

पंचायतों का कार्य जब इस प्रान्त में आरम्भ हुआ और जब इसका संगठन करने की कोशिश की गयी तो ऐसे लोग ज्यादा अनुभव की बात यहाँ पर बता सकते हैं जिन्होंने पंचायतों के संगठन में काफी वक्त लगा कर इसके उद्देश्य और अभिप्राय को जनता के सामने पेश किया था, जिन जिन आशाओं को ले करके उन्होंने गाँवों गाँवों में घूम कर इस कड़ी को कायम करने का प्रयत्न किया था वह आशाएं जब उनके सामने आती हैं तो कुछ निराशा सी मालूम होती है। माननीय मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि पंचायतों का काम जिस प्रकार से उन्हें रिपोर्ट मिला है, संतोषजनक है। मैं भी यही चाहता हूं और इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य भी यही चाहता है कि जिस उद्देश्य से पंचायतें कायम की गयीं वह उद्देश्य अवश्य पूरे हों। इससे सबको खुशी होगी। हमने यह चाहा था कि सहज और सस्ता न्याय गाँवों में मिल सके बजाय इसके दौड़ कर केंद्र में शक्ति और रुपया खर्च किया जाय। इसके स्थान पर गाँव के अन्दर ही सुन्दर और यथोचित न्याय मिले। क्या ही अच्छा हो कि हम गाँव में ही बैठे-बैठे बिना कुछ पैसा खर्च किये पंचायत और उसके सदस्यों के सामने अपने झगड़े पेश करें। जो रोजमर्रा हमारी गतिविधि को देखते रहते हैं उन्हीं के सामने आसानी से फैसला किया जाना सुविधाजनक होगा। इसके साथ-साथ यह भी आशा थी कि हम अपनी तन्दुरुस्ती को गाँव सभाओं के सदस्यों के द्वारा जिस तरह से बना सकेंगे, बनायेंगे और यह भी आशा थी कि शिक्षण के काम में भी मदद मिलेगी। काफी धन और रुपया सरकार इस पुनीत मद में खर्च भी कर रही है। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि सरकार आज जिस पंचायत विभाग पर आडिट के लिये हजारों रुपया खर्च करने की तैयारी कर रही है जब कि हमारी संस्थायें एक शैशव अवस्था में हैं ठीक न होगा इसलिये वह रुपया आडिट पर कदापि न खर्च किया जाय। क्योंकि आज पुराने ढंग का जो एक जाल बिछा हुआ है दफ्तरों का और उसमें जो नौकरशाही द्वारा काम होता है उसी प्रकार यदि यहां भी हम आडिट का काम करने लगेंगे तो मैं समझता हूं और जैसा कि अनुभव बताता है कि सारी रक़म आडिट और डाइरेक्टोरेट पर ही खर्च हो जायगी और जितना हमको उससे रिटर्न मिलनी चाहिये अर्थात् इंक्रीजिंग रिटर्न हो वह इंक्रीजिंग न हो करके डिक्रीजिंग हो जायगी जब कि हमारी संस्थायें कुमार अवस्था में हैं, इसलिये मैं ज्यादा पैसा आडिट और दफ्तरों पर न खर्च करके कार्यकुशलता की तरफ जाना चाहिये और मितव्ययिता से पंचायतों को उन्नतिशील बनाना चाहिये।

जितनी पंचायतें कायम हुई हैं उनकी कार्यविधि को अगर देखा जाय तो उससे यही अनुभव होगा कि उन सभाओं की बैठकें भी नहीं होती हैं। अनुभव यह बताता है कि जो गाँव सभापति होते हैं वह इस बात की कोशिश नहीं करते हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा सम्बन्धी या अन्य जो प्रश्न होते हैं उन पर ५०, ६० जो मेम्बर होते हैं, सब बैठ करके विचार करें। लेकिन यहाँ एक सरसब्ज बाग़ दिखाया जाता है कि वहाँ सभायें हुईं और शायद करोड़ रुपये की आमदनी भी हो गई। पंचायतों द्वारा होंगे। जब सदस्य लोग अधिकतर एकत्र ही नहीं होते तो वहाँ उनकी आये दिन जो तकलीफें होती हैं वह तय कैसे हो पायेंगी। बड़ी विकट समस्या है उस पर मनन करके रास्ता निकालना नितान्त आवश्यक है।

अदालतों की हालत यह है कि पंचायत मंडल के जो सरपंच होते हैं वह दस्तखत कर देते हैं और उस पर चपरासी जा कर के अन्य सदस्यों के दस्तखत कराता है अलग अलग तब कहीं

[श्री रामकुमार शास्त्री]

वह पूरा काम हो पाता है। इस तरह से यह अदालतें कार्य कर रही हैं। मुझको यह भी कहने में संकोच होता है कि जो सेक्रेटरी साहबान हैं वह विशेषतः सरपंचों का क्लार्कवाला काम करते हैं और उनके सुपुर्द जो गांवों का स्वास्थ्य संबंधी या अन्य जो कार्य है उसे वह नहीं कर पाते हैं। यह बड़े ही दुख की बात है।

श्रमदान का ढिंढोरा पीटा गया। इसमें शक नहीं कि मुझे भी शरीक होना पड़ा था सेक्रेटरियों के साथ और इन्सपेक्टरों के साथ लेकिन जिस अनुपात में उन पर खर्च किया जाता है उसका हमें पूरा बदला नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि एडीशनल डाइरेक्टर साहब भी हैं और डाइरेक्टर साहब भी हैं लेकिन हमारे पूर्वी जिले बस्ती या गोरखपुर जो उनके सुपुर्द है उन्होंने कभी भी वहां जाने की कृपा नहीं की। मैंने विकास सम्मेलन में उनसे प्रार्थना की थी और देवाप्रसाद शुक्ल जी ने बड़ी कृपा की और हमारे यहाँ जा करके कार्य देखा। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जिनके सुपुर्द यह कार्य हो वह वहां के लिये विशेष ध्यान रक्खें। दिलचस्पी से जनता की समुचित सेवा न होगी और पंचायतों का उद्देश्य भी पूरा न होगा। अतः सचेत रह कर कार्य करना होगा।

अदालतों के सम्बन्ध में भी बड़े सुधार की आवश्यकता है, उनकी मारेलिटी, नैतिकता को ऊंचा उठाना है ताकि हमको सरल ढंग से और सस्ते ढंग से न्याय मिले क्योंकि आजकल जो न्याय हमको मिल रहा है वह काफ़ी वजनी और महंगा है। बड़े दुख की बात है कि हमारी पंचायतों में जिस प्रकार से रिश्वतखोरी बढ़ रही है उसकी तरफ भी हमको विशेष ध्यान देना ही है क्योंकि हमको अपनी पंचायतों से बड़ी बड़ी आशायें हैं जब कि हम अपने यहां ग्राम रिपब्लिक कायम कर देंगे और दुनिया के वे मुल्क जो कि डेमोक्रेसी की ओर बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंच गये हैं उनके सामने एक मिसाल कायम कर देंगे तो अपने देशवासियों को बड़ा ही संतोष होगा। विभाग इस तरफ कुशलता से कार्य कर रहा है, मुझे इसमें सन्देह है। जितने श्रम के काम किये जाते हैं और जो कुछ भी जिलों की रिपोर्ट आती है, उसके सम्बन्ध में मुझको बड़ी जबरदस्त शिकायत है। इस सदन के सामने इस विभाग की कुछ बातें कहनी हैं। बस्ती जिले में हमने न मालूम कितनी सड़कों की मरम्मत की और टुकड़े बनाए, काफी सार्वजनिक उपयोगी कार्यों को हमने किया। हमने चाहा कि उसका प्रकाशन हो लेकिन नहीं हुआ। कार्य सहारनपुर, मुजफ़्फरनगर और मेरठ में होते हैं उनका यदि समाचार-पत्रों में प्रकाशन हो तो दूसरे जिले उसका अनुकरण कर सकते हैं। हमारे बस्ती जिले में जो कार्य हुये उनका प्रकाशन नहीं हुआ, इस पर भी मंत्री महोदय जो कहते हैं कि विभाग का कार्य कुशलतापूर्वक चल रहा है। आश्चर्य! उनके पास जो आंकड़े आते होंगे उनमें कुछ कटे पिटे होंगे और कुछ पूरे भी होंगे। हमारे जिले में जो कार्य किया गया अगर उसको समाचार-पत्रों में दे दिया गया होता तो हमारे ही जिले के जो पिछड़े हुये इलाके हैं उन्होंने उस उदाहरण को सामने रख कर के उससे लाभ उठाया होता। खेद है कि विभाग की शिथिलता से उन्नति में बाधा हुई। आशा है भविष्य में इस पर ध्यान दिया जायगा।

*श्री शिवबक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो यह अनुदान सदन के समक्ष उपस्थित किया है मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो हमारे गांवों में टैक्स लगाया जाता है उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने यह बताया कि स्वयं अपनी राय से लोग अपने ऊपर लगाते हैं, यह सही है। लेकिन फिर भी जो कार्य प्रणाली हमारे कायदे कानून में है उसका उपयोग ठीक तरह से गांवों में नहीं होता है। मुझे यह अनुभव है कि वहां पर जो दलबन्दी है, उसके कारण जो सत्ताधारी पार्टी गांवों में होती है वह बगैर समुचित रूप से गांव सभाओं की बैठक किये हुये लोगों के ऊपर टैक्स लगा देती है। लोगों को यह अधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि इस सम्बन्ध में वे अपनी आपत्ति प्रकट करें, एतराज करें और उच्च अधिकारियों तक अपने आप पहुंचें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे गाँव का अनुभव यह है कि जो अल्पमत वाले होते हैं वे इस प्रकार के कायदे और कानून से बचने के लिये यही मुनासिब समझते हैं कि जो अनुचित तरीके पर उन पर टैक्स लगाया गया है उसे वे आँख बन्द कर के चुपचाप सहन कर लें। दूसरे जितना उन पर टैक्स लगता है उसकी आपत्ति करने के लिये यदि वे केंद्र में जाते हैं तो वहां पहुंचने पर उनका उससे अधिक खर्च हो जाता है। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि सेक्रेटरियों को और इंस्पेक्टरों को इस सम्बन्ध में कड़े आदेश हों कि जब तक गाँव सभाओं में इस तरह की समुचित व्यवस्था न हो, जब तक कि नियमानुकूल उनकी बैठकें न हों, तब तक कोई कर न लगाया जाय। मुझे यह भी अनुभव है कि मंत्री और इंसपेक्टर महोदय इस दिक्कत से बचने के लिये कि बार बार वे गाँवों में जायं, दौड़ कर के उनकी सभाएं करें, गावों को संगठित करें और टैक्स के बारे में फिर से बतायें, वे भी यही मुनासिब समझते हैं कि जो बहुमत वाला दल लिख पढ़ करके भेजता है उसी को कार्यान्वित करने की चेष्टा करें। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल ग़लत है और हमारे जनतंत्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इस तरह से जो अल्पमत में हैं उन बेचारों को न्याय न मिलने के कारण यह पंचायत राज वरदान के बजाय अभिशाप सिद्ध हो रहा है और इसके अभिशाप सिद्ध होने के कारण गांवों में एक विक्षिप्त वातावरण पैदा हो जाता है। तो मैं इस टैक्स के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस तरफ विशेषरूप से ध्यान दिया जाय। इसी तरह से जहाँ टैक्स के लगाने का संबंध है वहां टैक्स की वसूली का भी सम्बन्ध है। वसूली करने में भी मैंने यह देखा है कि गाँव का प्रधान जिन लोगों से सम्बन्धित होता है, उन लोगों के ऊपर एक, दो, तीन और चार चार साल का बकाया टैक्स चला आता है। उनकी तरफ अमीनों के जाने पर वह सूचना नहीं दी जाती है कि जिससे उन लोगों से टैक्स वसूल किया जा सके। इसके प्रतिकूल जिन लोगों से लागडाँट होती है, जो अल्पमत वाले होते हैं उन्हें टैक्स वसूल करने में नाना प्रकार से परेशान किया जाता है। मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में भी यही है कि जहां हम टैक्स के लगाने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दें वहाँ हम इस बात को और भी ध्यान दें कि टैक्स वसूल करने में समानता का बर्ताव हो जिससे कि किसी को शिकायत करने का मौका न मिले।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे मंत्री महोदय हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर महोदय हैं, वे भी इन गाँव सभाओं का, सरपंचों को अपने हाथ की कठपुतली न बनायें। मैंने यह देखा है कि हमारे गाँव के सभापति आमतौर से अनपढ़ हैं अथवा अर्द्धशिक्षित हैं जिसके कारण वे अपने क़ायदे कानून को अच्छी तरह से न समझ सकने के कारण इन इंस्पेक्टरों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं जिससे हमारा वह ढांचा सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पाता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर, सभापति और सरपंच दलबन्दियों में पड़ कर ठीक से न्याय नहीं देते हैं उनके सम्बन्ध में भी शिकायतें होती हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि एक एक, दो दो और तीन तीन साल तक बीत जाते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी इंसाफ जनता को नहीं मिलता है। उनकी रिपोर्टें होती हैं, जांच होती है। मामला इंस्पेक्टर तक जाता है, और सरकार में आता है मगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई इस तरह का नियम बनायें कि अगर कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और दलबन्दी में पड़ कर जनता को परेशान करने की कोशिश करता है तो उसे कड़ा से कड़ा दंड शीघ्र से शीघ्र मिलना चाहिये। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं देखता हूं कि जो इस तरह के बलशाली लोग गाँवों में हैं उनकी उद्दंडता बढ़ती जाती है और जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिये ऐसे लोगों को समुचित दंड देने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जनता को राहत मिल सके और उसका असंतोष दूर हो सके।

श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रत्युदान पेश किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। यों तो सदन में पंचायत के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया, मैं मानता हूं कि जो हमारे प्रदेश में पंचायतें कायम हैं वे ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं, उनमें बहुत सी त्रुटियाँ हैं, परन्तु हमें देखना यह है कि वे त्रुटियाँ क्यों हैं, आया उसके मूल सिद्धांत में कोई अन्तर है या वाक़ई हमारे प्रदेश का चरित्र इतना गिरा हुआ है जिसके कारण इनमें त्रुटियाँ आयीं। मैं तो कहूंगा, श्रीमन्, कि ये त्रुटियाँ सिर्फ हमारी नैतिकता के कारण आयी हैं। यदि हमारे प्रदेश का नैतिक उत्थान हो जाय तो जो भी ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं का उद्देश्य है वह अच्छी तरह से पूरा हो सकेगा। यों तो हर डिपार्टमेंट में, प्रदेश के कोने कोने में मैं देखता हूं कि इस तरह की ख़ामियाँ हैं परन्तु इन ख़ामियों को कैसे दूर करें इस पर हम सब को विचार कर के उनके लिये आगे क़दम बढ़ाना है।

अभी हमारे एक समाजवादी सदस्य ने अपने भाषण में यह बताया कि ग्राम पंचायतों के अन्दर हरिजन और मुसलमानों के लिये रिज़र्वेशन आफ सीट्स है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि शायद वह गाँव में नहीं गये हैं। सिर्फ हरिजनों के लिये है मुसलमानों के लिये नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक या शिक्षा का विकास करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु मैं कहूंगा कि वह देहात में नहीं गये हैं। गाँव सभा के बजट के अन्दर और उसके विधान के अन्दर ये सब चीजें हैं। परन्तु हमें और उनको मिल कर उन चीजों को गाँव सभाओं के अन्दर, उन नागरिकों के अन्दर जो बेचारे अनपढ़ हैं, फैलाना और समझाना है। जब तक हम उनको सिखलाते नहीं तब तक हमारा और हमारी सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। हमारा फ़र्ज होता है कि जो कोई भी वर्ग हैं सब मिल कर देश को आगे बढ़ाने में काम करें। हमारे प्रदेश के अन्दर हजारों की तादाद में ग्राम सभायें और अदालत पंचायतें हैं। जहाँ तक ग्राम सभाओं का सम्बन्ध है वह देश को आगे बढ़ा सकती हैं अगर वे ईमानदारी से काम करें। जहाँ तक अदालत पंचायतों का संबंध है वे सही तरीके से गाँव के नागरिक को न्याय दे सकती हैं। हमें और आप को मिल कर सहयोग देना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, ग्रामीणों के अन्दर चेतना लानी होगी, तभी वह काम हो सकता है। श्रीमन्, आप के द्वारा मैं सरकार का ध्यान उन बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जो उद्देश्य ग्राम सभाओं के अन्दर रखा गया है उस पर काम करने में बड़ी बड़ी दिक्कतें पड़ती हैं। उदाहरण स्वरूप मैं एकाध बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ग्राम सभायें पास करती हैं, किसी काम को करने के लिये अपना बजट बना कर के वह चाहती हैं कि हम कुछ रुपया जो कि पंचायत आफिसर के परसनल लेजर में पंचायत आफिस में जमा है, उसमें से ले करके अपने ग्राम का उत्थान करें, परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि वह उस कार्यालय को थोड़ा सा आदेश दें कि वह रुपये लेने में जो बहुत देर हो जाती है, वह देर न हो। उसमें देर हो जाती है और जो काम आज होने को होता है वह कल भी नहीं हो पाता।

दूसरी बात यह है कि गाँव के अन्दर सड़कें बनती हैं, रास्ते ठीक किये जाते हैं, लेकिन उनको टेक्निकल एडवाइज देने वाला कोई नहीं रहता। इसकी तरफ ध्यान देना होगा।

तीसरी बात जो आफिसर हैं वह पंचायत के अपने सबार्डिनेशन में समझते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि जिन पंचायतों के ऊपर हमारे प्रदेश का भविष्य निर्भर हो, जिन पंचायतों के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हों, अगर वहाँ के आफिसर उन्हें अपने सबार्डिनेशन में समझें तो यह उचित नहीं है।

चौथी बात यह है कि यह सेक्रेटरी का पद तोड़ करके अब वह तहसीलदार और कानूनगो के अन्तर्गत भेजा जाने वाला है। मैं तो आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि मन्त्री ही नहीं बल्कि पटवारी, चौकीदार और मन्त्री तीनों ही ये गाँव सभाओं के अन्दर रखे जायें क्योंकि गाँव सभा से इनका डाइरेक्ट संबंध है और गाँव सभा के सभापति को या कमेटियों का

इन तीनों आदमियों से काम लेना है। जब तक इन तीनों आदमियों के ऊपर गाँव सभा का अधिकार नहीं रहता और जब तक इनका एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं रहता तब तक कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इन सुझावों पर माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

(इस समय १ बज कर १९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गंगाधर मैठाणी— उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय स्वशासन मंत्री ने जो पिक्चर पंचायत राज विभाग की इस सदन के सामने रखी है उसे सुन कर हमें बड़ा दुख हुआ। आप ने बहुत से आंकड़े दिये हैं। उसमें यह बतलाया है कि चतुर्मुखी उन्नति हो रही है। हमें तो यह आशा थी कि जो हमारा राष्ट्र है और उस राष्ट्र की जड़ें पंचायत राज हैं। लेकिन आज हम माननीय स्वशासन मंत्री के दो साल के कार्यकाल में देखते हैं कि वह जड़ें सूखती जा रही हैं। पंचायत राज की जो ग्राम सभायें हैं उनको आज गांवों में सरकारी गांव सभायें कहा जाता है। जनता को गांव सभाओं में विश्वास नहीं है। यह मैं माननीय स्वशासन मंत्री से निवेदन कर देना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर बहुत सी फीगर्स दी हैं। हम बाहर के नहीं, उन्हीं के विभाग द्वारा जो पुस्तक प्रस्तुत की गयी है उसके दो चार फीगर्स की ओर माननीय स्वशासन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहते हैं। आप ने कहा है कि बहुत से कुएं बनवाये गये। यद्यपि मैं मानता हूं कि इसमें जितनी फीगर्स हैं सब टोटली ग़लत हैं। जहां तक मुझे अपने जिले का अनुभव है और इस सदन के अन्य माननीय सदस्यों को भी अनुभव होगा जितने फीगर्स इसमें दिये गये हैं वह सब ग़लत हैं। लेकिन अगर यह सही मान भी लिया जाय कि जो माननीय मंत्री जी ने फीगर्स दिये हैं वह सही हैं फिर भी मेरे पास यह पुस्तक है जिसके पृष्ठ ४६ को अगर देखा जाय, तो आप बतलाते हैं कि १९५२–५३ में ७ हजार ७ सौ ४२ कुएं एक साल के अन्दर बने। लेकिन उधर जो है छः महीने के आंकड़े दिये गये हैं १९५३–५४ में एक हजार ७५५ कुएं बनाये गये। तो आप बतलाइये कि विकास का जो आज कार्य हो रहा है वह आगे जा रहा है या पीछे, वह इससे साफ मालूम होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान पृष्ठ ६२ की ओर दिलाना चाहता हूं। संख्या १ में लिखा गया है कि संख्या जो गत वर्ष के अन्त में शेष रही केसेज की उनमें ५२–५३ के अन्त में १,१३,४७० केसेज पेंडिंग रहे लेकिन जब दूसरा साल आता है तो उसमें ६महीनें में १,४७,५२८ केसेज पेंडिंग हो जाते हैं। इन फीगर्स को देखते हुये हम यह कह सकते हैं कि माननीय स्वाशासन मंत्री जी जितने फीगर्स देते हैं वे वास्तव में बिल्कुल गलत हैं और उन पर हम विश्वास नहीं करते हैं।

माननीय मंत्री ने यह कहा कि ग्राम सभायें जो बनी हैं उन पर लोगों का विश्वास है क्योंकि लोग उदारतापूर्वक डोनेशंस उनको देते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप का ध्यान पृष्ठ ६४ की तरफ आकर्षित करूंगा। उसमें नम्बर तीन १९५२-५३ के अन्त में कुल दान प्राप्तियां ५,५३,४१७ हैं लेकिन इधर पिछले वर्ष ६ महीने की दान प्राप्तियां जो हैं १,०१,८५३ रु० हैं। इससे साफ मालूम हो जायगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच में जितनी दान प्राप्तियां हुई हैं वे २ लाख केलकुलेट की जा सकती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गांव के अन्दर हम इसको पंचायत राज्य नहीं कहेंगे बल्कि दानव राज्य कहेंगे। अगर दानव राज्य नहीं है तो उसको व्यक्तिगत राज्य कहा जा सकता है। गांव में गुटबन्दी की वजह से आज लोगों का उन पर विश्वास नहीं है। पंचायतें आज व्यक्तिगत पंचायतें बन गई हैं। वे बिरादरी विशेष की पंचायतें बन गयी हैं। लोग उनको सरकारी पंचायत कहते हैं।

[श्री गंगाधर बैरागी]

उपाध्यक्ष महोदय, पृष्ठ ४७ को देखने से पता चलेगा कि गांव के अन्दर जो टैक्सेज लगाये जाते हैं उनकी वसूली स्वाभाविक तरीके से नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, चाय का एक प्याला हम २ आने लेते हैं उस में दो आने देने में हमारी आत्मा को संतोष होता है लेकिन गांव में जो टैक्सेज लगाये जा रहे हैं गांव के सभापतियों या प्रतिनिधियों द्वारा वे वसूल नहीं किये जाते बल्कि सरकार ने जो एजेंसी कायम की है सेक्रेटरी और इंस्पेक्टरों की, उनके जरिये से टैक्सेज वसूल होते हैं। मैंने प्लानिंग कमीशन की कमेटी में कहा था कि इंस्पेक्टर लोग गांव का भ्रमण नहीं करते लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इस पुस्तक में साफ कहा गया है कि शासन ने जिलाधीशों को अधिकार दिया है कि वह कुर्क अमीन नियुक्त करके उन व्यक्तियों से अवशेष पंचायत कर, अवशेष राजस्व की भांति वसूल करावें जिन लोगों ने अभी तक पंचायत कर नहीं दिया है। तो कुर्की के द्वारा उनके खाने पीने की चीजों को बेचा जा रहा है। तो जिस उद्देश्य से पंचायत राज की स्थापना गांवों में हुई थी आज उसके स्थान पर गुटबन्दी प्रचलित हो रही है। यह आशा की जाती थी कि हमारा जो स्वतंत्र रिपब्लिक है उसका यह भी एक यूनिट होगा और उसके द्वारा विकास का काम होगा गांव के अन्दर और प्रजातंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा लेकिन वह चीज इतनी नजर नहीं आती। समय बहुत कम है वर्ना उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में कहने को थीं। एक बात मैं और कहूंगा। माननीय स्वशासन मन्त्री ने कहा कि फाइव ईयर प्लान ने अच्छी प्रगति की है और लोगों को उससे संतोष होगा। आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में जो विधान सभा के द्वारा समिति बनाई गयी थी उसकी बैठक में यह निर्णय हुआ था कि जो संशोधन होगा वह यहां आ जायगा लेकिन इतना समय बीतने पर कोई भी संशोधन पंचायत राज विधेयक का हमारे सामने नहीं आया। आर्डिनेंस के द्वारा पंचायत राज को एक्सटेंड कराया जाता है और जनता के अधिकारों को छीना जाता है और यह कोशिश की जाती है कि किस तरीके से स्वशासन मंत्री का अधिकार इन पंचायतों पर रक्खा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो व्यवस्था पंचायतों की हो रही है उसे देख कर मुझे दुख होता है। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिये five year plan के पैरा २० में लिखा गया है "The local Finance Committee recommends that 15 percent of the land revenue should be given to the village panchayat". आज वह व्यवस्था नहीं की जा रही है। जो लैंड रेवेन्यू है उसके जरिये से आप पंचायतों की आय बढ़ाइये। लेकिन यह व्यवस्था नहीं की जा रही है। टैक्स के साथ ही आय बढ़ाना चाहते हैं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज यह अनुदान जो भवन के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण अनुदान उन्होंने भवन के सामने पेश किया है।

जहां तक गांव सभाओं का ताल्लुक है आजकल जो काम गांव सभाओं के द्वारा हो रहे हैं उससे जनता को काफी उन्नति हुई है। गांव सभाओं का कार्य गांव के अन्दर सड़कें बनाना अधिक लाभदायक हो रहा है उससे वहां पर बहुत प्रगति हुई है। इसके अलावा पुलियां बनाना, नाली बनाना और मार्गों का सुधार आदि काम बहुत किये गये हैं। गांवों में काम बहुत तेजी से किये जा रहे हैं। जब से पंचायतों का निर्माण गांवों के अन्दर हुआ है तब से जनता में बहुत संतोष है। गांव सभा और पंचायतों को जहां तक क्रिटिसाइज किये जाने का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं किन्तु माननीय मंत्री जी के सामने उसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। वह यह है कि गांव पंचायतों के जरिये से जितने कार्य हो रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मुकदमों का फैसला होने के बाद जनता को उसकी नकल बहुत देर से मिलती है। इससे जनता को बहुत तकलीफ होती है। उसके सम्बन्ध में

माननीय मन्त्री जी कोई समय निश्चित कर दें कि इतने समय के अन्दर नक़ल जरूर मिल जायगी। अक्सर मैंने देखा है कि फरीक़ के मुक़दमें का फैसला हो जाता है और मुकदमें के बाद तारीख जो निश्चित की जाती है उसके अन्दर उसको नक़ल नहीं मिल पाती है और इन मुकदमों को हाकिम परगना के पास भेज दिया जाता है। जो फरीकैन लोग होते हैं वह परेशान होते हैं और इधर–उधर दौड़ा करते हैं लेकिन फिर भी उनको ठीक समय पर वह चीज प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जो बेंच बनायी जाती है उसमें अक्सर मैंने देखा है कि जो समय वह रखते हैं अगर कोई सदस्य उस समय उपस्थित नहीं हुआ तो वह अपना मन दूसरी तरफ लगा देते हैं। इससे मुकदमों में गड़बड़ी हो जाती है। तो जहां तक इन पंचायतों का ताल्लुक़ है मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि पंचों के लिये वहां पर आने का भी समय निर्धारित होना चाहिये और इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है जिससे मुकदमों में कोई गड़बड़ी न हो। इसके अलावा मुक़दमों को देखने का समय आमतौर पर इतवार को रखते हैं, जनता तो जाकर प्रातःकाल ही वहां पर बैठ जाती है और पंच लोग आते हैं सायंकाल को इससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। मुकदमों की सुनवाई के लिये ऐसा समय निर्धारित किया जाय जिससे जनता ठीक समय पर जाये और पंच या सरपंच भी वहां पर ठीक समय के अन्दर आवें और मुकदमों का फैसला हो जाया करे।

गांव सभाओं का जहां तक ताल्लुक़ है मुझे यह कहना है कि जो वहां पर काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आती है। जो आंकड़े बताये गये हैं वह बिलकुल सही बताये गये हैं और उनमें कोई आंकड़ा ग़लत नहीं है लेकिन साथ ही साथ जो गांव सभा के कर्मचारी हैं उनके काम का निरीक्षण करने की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि बहुत सी गांव सभाओं के सम्बन्ध में शिकायत माननीय मंत्री जी के पास आयी होंगी। जो वहां पर एलेक्शन होता है तो पंचायतों के अन्दर उससे गड़बड़ी होती है। उसमें महज गांव सभा के सभापति या प्रधान की वजह से गड़बड़ हो जाती है तो अगर मंत्री जी कोई हिदायत सरकार की तरफ से, अगर इसके निर्माण में कोई त्रुटि हों या गांव सभा के कार्य में जो त्रुटियां पायी जाती हैं उसके खिलाफ ऐक्शन लेने का आदेश जारी करें तो उससे जनता का बहुत लाभ होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गांव सभा के प्रधान के लिये कोई खास आदेश जारी करें तो इससे सुधार हो सकता है। अगर इस प्रकार का सरकुलर यहां से जाया करेगा और उसको वह ध्यानपूर्वक पढ़ा करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो खामी आज दिखाई पड़ती है और जो शिकायत आया करती है वह शिकायत दूर हो जायेंगी। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी को फिर बधाई देता हूं कि उन्होंने गांवों की कल्याण भावना को ले कर इस अनुदान को यहां पर पेश किया है

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)––श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से उपस्थित हुआ है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रजातंत्र का आधार गांव पंचायतें जो हमारी सरकार ने बनाई जिनका काम गतवर्षों से इस प्रदेश में हो रहा है, उनके लालनपोषण के लिये उतनी बुद्धिमत्ता और योग्यता की आवश्यकता थी जितनी कि किसी नवजात शिशु के पालनपोषण के लिये होती है। हमें गत ५ वर्षों के इस अनुभव से इस बात का हर्ष और गर्व है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जिस योग्यता के साथ गत ३ वर्षों में इस नवनिर्मित विभाग को चलाया और उसका पथ निर्देश किया है और जो सफलता प्राप्त की वह हमारे लिये आशाजनक है। आरम्भ में जितनी आशा और कल्पना के साथ हमने इस योजना को चलाया था यद्यपि उतनी सफलता हमें आज तक नहीं मिली परन्तु इन ५ वर्षों का अनुभव यह अवश्य बतलाना है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रयोग को हमने इस प्रदेश में आरम्भ किया है उसकी ओर न केवल हमारे देश अन्य प्रदेशों की निगाहें हैं बल्कि सारे संसार की निगाहें हैं। इसलिये हमें विश्वास के साथ अपनी

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

त्रुटियों को देखते हुये आगे बढ़ना है ताकि हम संसार के सामने इस नये प्रयोग को नमूने के तौर पर रख सकें। शिक्षा में जो महत्व प्रारम्भिक पाठशालाओं का है वही महत्व जनतंत्र में इन गांव पंचायतों का है। हमारे आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास है कि इस प्रयोग में हम सफल होंगे। मुझे इस बात के कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे गांव की जनता, जिसमें शिक्षा का और कानून के ज्ञान का अभाव है, जो रूढ़ियों में बंधी हुई है, के लिये जो कुछ भी हो सका है वह सफलता ही है। यह कहना कि इस प्रयोग से जनता को कष्ट हुआ है क्योंकि जनता इस योग्य नहीं है। यह दलील ऐसी ही है जैसी कि अंग्रेज लोग पहले हमारे विरुद्ध दिया करते थे कि हम स्वाराज्य के योग्य नहीं है। हम गांवों की जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां खड़े है जिसने गत २ चुनावों में यह सिद्ध कर दिया है कि उसकी राय बहुत पक्की और बुद्धिमत्तापूर्ण है और मैं कह सकता हूं कि छोटी मोटी जो भी ग़ल्तियां इस प्रयोग में हुई हैं वे ऐसी नहीं हैं कि इस विभाग की कटु आलोचना की जाय।

इतना कहते हुये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बहुत थोड़ी सी त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूं। गांव पंचायतें और पंचायती अदालतें हमारी जनता के निकटतम सम्पर्क में रहने वाली हैं। इसलिये उनकी त्रुटियां साधारण होते हुये भी हमारी जनता को बहुत बड़ी दिखाई देती हैं और उसके लिये क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस लिये हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि हमारे विभागीय कर्मचारी निहायत ईमानदारी और योग्यता से काम करें, पुलिस जैसा भ्रष्टाचार इसमें नहीं आना चाहिये। ग्रामीण जनता यह न समझे कि इन पंचायतों का निर्माण उसके ऊपर बोझ डालने के लिये हुआ है। इस विभाग को पंचायतों और कर्मचारियों को जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिये। जनता का अधिकाधिक विश्वास ही इसकी सफलता का मूल आधार हो सकता है। इसलिये विभागीय कर्मचारियों की ईमानदारी अत्यन्त आवश्यक है और इसके लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हमारे निरीक्षक और मंत्री लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि निरीक्षक लोगों को उनके जिलों में न रक्खा जाय और पंचायत सेक्रेटरियों को उनकी तहसीलों में न रक्खा जाय और यह ध्यान रखा जाय कि जहां-जहां वे रहें ईमानदारी से काम करें। यद्यपि पंचायत अदालतें अभी प्रयोग में ही हैं लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि वे नहीं होनी चाहिये फिर भी जुडीशियल रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये हमें उन्हें हटाना नहीं चाहिये परन्तु उसके लिये भी मेरा एक सुझाव है कि पंचायत निरीक्षकों के निरीक्षण से हटा कर उनको सीधे जुडीशियल विभाग के निरीक्षण में रख देना चाहिये। इससे उनको ऐक्सपर्ट सहायता भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत निरीक्षकों में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सुनी गयी हैं। हमारा पुराना आदर्श तो यह था कि रामचन्द्र जी ने धोबी की शिकायत पर राजमहिषी सीता का परित्याग कर दिया लेकिन आज कल इस आदरणीय सदन के सदस्यों द्वारा, अपनी जांच के बाद कर्मचारियों की कोई शिकायत अगर की भी जाती है तो उसकी जांच उसी से कराई जाती है जिसके ऊपर कि दोषारोपण होता है, मैं समझता हूं कि ऐसी प्रथा कम से कम इस विभाग में नहीं होनी चाहिये। किसी कर्मचारी के खिलाफ इस सदन के किसी माननीय सदस्य की जांच के बाद कोई शिकायत हो तो उस पर अविलंब कार्यवाही की जानी चाहिये। इससे विभाग का भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को और विशेषकर उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस अनुदान के लिये और इस कार्य के लिये मुझे बधाई दी है, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जो बातें विरोधी दल की ओर से कही गयी हैं उनमें कुछ ऐसी हैं जिनकी ओर अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सबसे अधिक जो समझदारी का सारगर्भित भाषण श्री बालेन्दुशाह जी ने दिया उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। उनका सजेशन बड़ा कांस्ट्रक्टिव और मनन करने योग्य है। सब से बड़ी बात उन्होंने यह कही कि सभी लोकल बाडीज को फाइनेंशियली सेल्फ-सफीशियेंट होना चाहिये। इस विषय में व्यक्तिगत रूप

से मैं सहमत हूं और उनकी इस बात को मैं सही मानता हूं कि लोकल बाडीज का डेवलपमेंट तभी ठीक तरीके से हो सकता है जबकि वे फाइनेंशियली सेल्फ-सफीशियेंट हों। जो टैक्सेशन्स की लिस्ट है और जिसके अनुसार वे स्टेट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच में कान्स्टीट्यूशन में बंटे हुये हैं उनमें एक तीसरा हिस्सा लोकल बाडीज का भी होना चाहिये। इसको मैं अपने भाषणों में भी कई बार कह चुका हूं कि इस लिस्ट में लोकल बाडीज की ओर भी ध्यान देना चाहिये ताकि उनको अपनी आमदनी का जरिया मिल सके और उसमें कोई सरकार दखल न दे सके। दूसरे उन्होंने जंगल की आमदनी का भी जिक्र किया और यह कि हिस्सा जो गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिब्यूशन होता है वह आरबिट्रेरी होता है इसलिये उसे किसी नियम के अनुसार दिया जाय। यह सही है कि जो रुपया यहां से दिया जाता है उसे ज्यादा अच्छा होगा कि वे अपनी आमदनी टैक्स लगा कर खुद करें और जब तक सेल्फ-सफीसिएंट नहीं होते तब तक असली माने में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बढ़ना और तरक्की करना मुश्किल होगा।

इसके अलावा उनका ख्याल है कि जजेज एलेक्टेड नहीं होने चाहिये। इसमें दो रायें हैं और इस पर मैं इस समय बहुत कुछ न कह कर उस समय के लिये इस बात को छोड़ता हूं जबकि अमेंडिंग बिल आयेगा और उसमें ये तमाम बातें बहस होंगी। एक साहब ने दानव राज कहा। अब दानव की बात का मैं क्या जवाब दूं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे साहब ने इसको सरकारी पंचायतें कहा है। उस जमाने में यह बात सही हो सकती है जबकि यहां जनता की सरकार नहीं थी। जब विदेशी सरकार थी तब से उसी भाषा में बोलते चले आ रहे हैं, हमारी जबान बदली नहीं है। तो इस माने में अगर कोई सरकारी पंचायतें कहता है तो ग़लत नहीं है। सरकारी पंचायतें इस माने में हैं कि सरकारी कानून द्वारा बनायी गयी पंचायतें हैं और जब सरकार को जनता ने बनाया है तो किसी चीज को सरकारी कहना कोई बुरा नहीं है। जब हम गुलाम थे तब हम किसी चीज को सरकारी कह कर उसे निकृष्ट और बुरा समझते थे और मेरा खयाल है कि आज के जमाने में भी हमारा दिमाग नहीं बदला है या कम से कम हमारी जबान नहीं बदली है। इसलिये इसे सरकारी कहना कोई बुरा नहीं है।

आडिट के सम्बन्ध में भी कुछ बातें खर्चे की कही गयीं। मैं समझता हूं कि अगर आडिट के ऊपर कुछ खर्चा है तो उतनी ही उससे बचत भी होगी, ज्यादा खर्च नहीं होगा। इस माने में जब तक किसी संस्था को यह खयाल न हो कि हमारी आमदनी और खर्च का भी कभी-कभी आडिट होगा तब तक उनका हिसाब ठीक से रखना मुश्किल हो जाता है। तब इस तरह की संस्थायें चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया की हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हों या कहीं की हों उनका आडिट होना जरूरी है। पब्लिक का रुपया जबकि संस्था के पास आता है और आमदनी, खर्च का आडिट किये बगैर वह संस्था चलती रहे तो यह गैरमुनासिब है। जब आडिट होगा तो उसके लिये कुछ आदमी रखे गये हैं और उन पर कुछ खर्च होगा ही। इसके लिये १० रुपया तो एक हजार पर रखा गया है और दूसरे हजार पर ५ रुपया रखा गया है जोकि इस नोट में है। तो इस तरह से आडिट पर खर्च करना नामुनासिब नहीं होगा।

जहां तक बाइबरी और करप्शन की बात है, कुछ माननीय सदस्य स्वयं जवाब दे चुके हैं और यह बात बिल्कुल सही है कि अगर पंचायत विभाग के इंसपेक्टर या सेक्रेटरी या पंच, सरपंच का कोई भी मामला करप्शन का मेरे सामने आया है तो मैं उसपर सख्त अमल करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। अगर किसी पंच या सरपंच से मैंने इसी तरह का जिक्र किया तो उनसे मुझे यही उत्तर मिला कि कई मेम्बर ऐसे होते हैं जो ग़लत तरीक़े की सिफारिशें करते हैं और यह तरीका उतना ही ग़लत है जितना कि किसी से रिश्वत लेना। तो जब इस तरह का जवाब मुझे पंचों और सरपंचों से मिलता है तो मैं भी यही समझता हूं कि पब्लिक लाइफ के अन्दर किसी मेम्बर का इस तरह से सिफारिश करना यह भी करप्शन ही है। मैं तो समझता हूं कि इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के तजुर्बे से जो पब्लिक के बहुत से सोशल प्राबलम्स हैं उनको हल करने में सब लोग मदद करें। अगर तमाम मेम्बर साहबान अपने-अपने इलाके के पंचायतों की कुछ देखभाल करने की कृपा करें

[श्री मोहनलाल गौतम]

उन्हें सहयोग दें तो मैं उनका स्वागत करूंगा और इस तरह से अगर पंचायतों का काम हो तो इस तरह की जो बहुत सी बीमारियाँ हैं वे दूर हो जायेंगी और इस तजुर्बे में हम कामयाब होंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सब सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पुण्य कार्य में हमारी सहायता करें।

एक इलेक्टर साहब के बारे में कहा गया कि वे सन् ४२ में जेल भी गये थे। मैं साफ साफ बतला देना चाहता हूं मेरा खयाल है कि बेईमानी करना बुरा है लेकिन किसी कांग्रेस वाले के लिये बेईमानी करना और भी बुरा है। जो लोग सन् ४२ में जेल गये वह बेईमानी करें तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा एक दफा औरों को चाहे माफी भी हो जाय। इसलिये मैंने उसकी सख्ती से जांच कराया है और पहले तो एक ही मामला था अब तो और भी बहुत से मामले हैं और इसमें जरूर करीब एक साल का समय लग गया है और मैं यह बता देना चाहता हूं कि नैतिकी इस मामले में बरतने वाला नहीं हूं। कोई कांग्रेसवाला है और वह बेईमानी करता है तो मेरे विभाग में वह माफी नहीं पा सकता है।

फेवरिटिज्म वगैरह की बात है, यह ठीक है उसको दूर करना चाहिये लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज में और लोकल बाडीज में सभी जगहों से शिकायतें आ रही हैं और सभी सरकारी जगहों में यह बीमारी है और इसलिये मैं चाहता हूं कि आप सब हमारी मदद करें जिससे उस बड़ी बीमारी को दूर करने का प्रयत्न हो सके।

एक साहब ने कहा कि सेक्रेटरीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मर्ज हो रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं कि सेक्रेटरीज का कई तरह का काम है। जितनी पंचायती अदालतें हैं उतने ही सेक्रेटरीज हैं इसलिये बड़ा भारी काम तो उनका पंचायती अदालतों का है, वह तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना शायद मुनासिब न समझा जाय। डेवलपमेंट और रेवेन्यू के गांव सभाओं के कागजात रखने का भी उनका काम है। तो अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि सेक्रेटरीज का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया जायगा या क्या होगा। कोई ऐसा फैसला अभी तक नहीं हुआ है जिसके अनुसार यह डर इस वक्त किसी सदस्य के दिमाग में आये। इसलिये मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर किसी सदस्य का यह खयाल है कि सेक्रेटरीज को हटा दिया जाय तो अभी तक सरकार का कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसके अनुसर किसी डर का जरूरत हो।

बहुत सी बातें कही गयी हैं, समय कम है इसलिये उन सब का जिक्र न कर के केवल यह कहना चाहता हूं कि जो सजेशंस ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये दिये गये हैं उनपर विचार करूंगा और पूरी तरह से उनपर कार्य करने के लिये कोशिश करूंगा। जो लेजिस्लेटिव सजेशंस हैं वह बिल हमारे सामने बहुत जल्द आने वाला है। उस समय उनपर विचार हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। और अपने अनुदान को रखता हूं।

श्री रामेश्वरलाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सदन में विवाद हुआ और जो बधाइयां माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री को दीं उसे मैंने बड़े गौर से सुना। मुझे आश्चर्य हुआ कि पूर्व परिपाटी के अनुसार अनुदानों पर बहस करते समय जो धन्यवाद देने के आदी हैं और ताना धन्यवाद का लगा दिया करते थे पता नहीं क्यों माननीय स्वशासन मंत्री के लिये उतने धन्यवाद नहीं दिये। हां, माननीय नत्थू सिंह जो ने बधाई इसलिये दी है कि कुछ जगहों को स्थायी किया गया है तथा बख्शी तालाब पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी है। बख्शी तालाब की ट्रेनिंग के एक बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी से मैं मिला उन्होंने मुझे बताया कि 'We are jail birds there.' यानी बिलकुल क़ैदी के हालत में रहते हैं। स्थायित्व के लिये भी धन्यवाद दिया गया है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि ४४४ पंचायत निरीक्षकों में से ७० जगहें स्थायी की गयी हैं और ५१ पंचायत अफसरों में से सिर्फ १३ जगहें स्थायी की गई हैं। यह तो स्थायित्व की हालत है। इसके साथ ही सेक्रेटरीज जो अपना खून और पसीना लगा कर लोगों को

इंटरेस्ट के मुताबिक काम करते रहते हैं गांवों में उनकी जगहें भी स्थायी नहा की गयी हैं। यह कहां से दिलचस्पी से काम करेंगे और इसके लिये मन्त्री जी को धन्यवाद देना कहां का न्याय है।

कुछ माननीय सदस्यों ने दौराने भाषण में मुझे कुछ शिक्षा दी है उन्होंने भाषण में कहा कि रामेश्वर लाल जो गांवों में नहीं गये हैं और उन्हें गांवों का अनुभव नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर मुझे अनुभव न होता मैं गांव में न गया होता तो मैं असेम्बली का मेम्बर न बनता वह भी विरोधी दल से। उन्होंने रिजर्वेशन का सवाल उठाते हुये कहा कि रिजर्वेशन है ही नहीं मुसलमानों के लिये और यह कहा कि मुझे अनुभव नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पंचायत राज ऐक्ट के रूल ९ (पेज ३) की तरफ सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं जिसमें हरिजनों और अल्पसंख्यकों के लिये रिजर्वेशन का प्रश्न है। जहां तक हमारे पूर्वी जिलों का सम्बन्ध है मैं यही समझता हूं कि वहां मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं। और मेरे गांव में मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने के नाते मुझे दिक्कत हुई और इसीलिये मैंने उसे इस सदन के सामने रखने की हिम्मत की लेकिन इस पर वह कहते हैं कि मुझे अनुभव नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महावीर सिंह जी ने भी कुछ उपदेश दिये हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें हमारी प्रजातंत्र की आधार हैं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान प्रजातंत्र की आधारशिला की ओर ले जाना चाहूंगा। ट्रास्की ने जनतंत्र की जो व्याख्या की है वह इस प्रकार है कि जनता द्वारा, जनता के हित में शासनसत्ता चलाई जाय उसको प्रजातंत्र मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ग्राम सभायें सचमुच पूर्णरूपेण जनता की प्रतिनिधि हैं? अगर नहीं हैं तो फिर मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य ग़लतफहमी में हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि विभागीय कर्मचारियों को ईमानदार होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से कहता हूं कि विभागीय कर्मचारी तभी ईमानदार हो सकते हैं जब कि उनके प्रति आप ईमानदार होंगे। जब कि आप खुद ईमानदार नहीं हैं तो फिर आप क्यों ख्वाहिश रखते हैं कि वे आप के प्रति ईमानदार हों और देश के लिये काम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट रक्खा गया है उसमें एक जगह पंचायत राज विभाग, डाइरेक्टोरेट की ७० जगहों को स्थायी करने के सम्बन्ध में कहा गया है। सेक्रेटरी छोटे कर्मचारी अधिकांश अस्थायी हैं लेकिन उन्हें स्थायित्व नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा और उनसे पूछूंगा कि चूंकि छोटे कर्मचारी स्थायी नहीं रहते और दूसरे विभागों में चले जाते हैं इसलिये उन्हें स्थायित्व देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी है, क्या इससे देश की क्षति नहीं होती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उनको स्थायित्व दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने उपदेश दिये और उन्होंने बतलाया कि पंचायतें स्वेच्छा से टैक्स लगाती हैं और हम इसको टैक्स नहीं कहते। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक जी० ओ० की तरफ आकर्षित करूंगा जोकि यहां से गया था जिसमें लिखा था कि जो पंचायतें टैक्स नहीं लगायेंगी तो उनको तोड़ दिया जायगा। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि क्या जो काम उनके और उनके अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं उनमें समता नहीं है? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—गांव सभायें और पंचायतें (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अधीन ९७,३१,२०० रु० की मांग स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण—कार्य

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५५—नागरिक निर्माण-कार्य—नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ८५,५५,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग उन कार्यों से सम्बन्ध रखती है जो स्वशासन विभाग के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न संस्थाओं को उनके सिविल वर्क्स के लिये रुपया दिया जाता है । इनमें सब से बड़ी रकम ४५ लाख ३६ हजार २ सौ रुपये की वह है जो कि सड़कों के लिये लोकलबाडीज को दी जायगी । दूसरी रकम १४ लाख ४० हजार की वह है जो फेरीज से आमदनी होती है, और सरकार के खजाने में जमा होने के बाद वह ग्रांट्स के रूप में लोकल बाडीज को दी दी जाती है । ड्रेनेज और वाटर-वर्क्स के लिये इस चालू वर्ष में पांच लाख रुपया ग्रांट्स के लिये रखा गया था जो अगले वर्ष में साढ़े सात लाख बढ़ाकर, कर दिया गया है । जो सड़कें कि पी० डब्लू० डी० ने पोस्ट वार के फर्स्ट फेज के लिये अपने पास ले ली थीं और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को वापस कर दी हैं उनके लिये ६ लाख ७१ हजार ८ सौ रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया जायगा । जिन इलाकों में बाढ़ से नुकसान हो गया है उन इलाकों में सड़कों और इमारतों के लिये पांच लाख रुपया रखा गया है । इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये दो लाख दस हजार रुपया है । जिन फेरीज का पी०डब्लू०डी० प्रबन्ध करता है और जिन के लिये लोकल बाडीज को रुपया दिया जाता है, उसके लिये एक लाख रुपया है । बाकी रकमें छोटी-छोटी हैं जिनके ब्योरे में इस समय मैं जाना आवश्यक नहीं समझता । वे इन पुस्तकों में दी हुई हैं जो सदन के सब मेम्बरों को मिल चुकी हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में विशेष नहीं कहना है । अगर इसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि यह रकमें थोड़ी हैं, तो मुझे उससे कुछ मतभेद रखने की आवश्यकता नहीं मालूम होती है । यह ठीक है कि अगर इससे भी अधिक रकमें होतीं तो अधिक नहीं मालूम होतीं । लेकिन जिस प्रकार से इस समय कार्य चलाया जा रहा है और जो बजट इस सदन के सामने रखा गया है उसमें बड़ी मुश्किल से इतना ही इन कामों के लिये निकालना मुश्किल हो रहा है और यह बजट इस समय भी घाटे का है । इन रकमों के देखने से मालूम होगा कि कई मदों में यह रकमें बढ़ायी जा रही हैं और धीरे-धीरे कोशिश यह हो रही है कि जितना ज्यादा हम इन रकमों को बढ़ा सकें उतना बढ़ाया जाय । इसलिये सिवाय इसके कि कुछ माननीय सदस्य यह कहें कि यह रकमें बढ़ायी जायं और इसमें कोई आक्षेप करने की किसी सदस्य को शायद जरूरत न हो और कोई ऐसी बात नहीं होगी जिस को कि इसमें क्रिटिसाइज किया जा सके । जो कार्य कि अब तक इनके द्वारा हुआ है और हो रहा है, उसको देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि तमाम तरफ कार्य काफी बढ़ रहा है और संतोषजनक कार्य हो रहा है उन रकमों के हिसाब से जो उनको इसमें मिल रही हैं और यदि उनको और रकम मिले तो कार्य और बढ़ाया जा सकता है । इसके सिवाय और कोई बात न कहकर मैं इस अनुदान को इस सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

माननीय मंत्री जी ने इस म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरियाज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अनुदान से सम्बन्ध रखनेवाले विषय पर बहुत संक्षिप्त भाषण दिया और मैं समझता हूं कि उनकी आर्थिक मजबूरियों ने या उनकी व्यवस्थाओं ने ही उन्हें ऐसा करने के लिये प्रेरित किया । पंचवर्षीय योजना में म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और टाउन एरियाज के शासन

के बारे में जो शब्द प्रयुक्त किये गये हैं वे इतने स्पष्ट हैं कि हमारी सारी आलोचना उस एक लाइन में मैं समझता हूं कि सीमित हो जाती है। पंचवर्षीय योजना के अध्याय ७ में यह लिखा है :—

"During the past decade the problems of local bodies have received even less attention than before and indeed on the whole the period has been one of retarded development in the field of Local Self-Government."

इस रिपोर्ट से जोकि माननीय मंत्री जी ने इस वर्ष प्रस्तुत की है इस आधार की पुष्टि होती है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो उनका आपनिंग बैलेंस १ करोड़ १० लाख से घट कर ४१ लाख रह गया है जबकि उनको सन् १९५०-५१ में ३१ लाख लोन दिया गया था, १९५१-५२ में २८ लाख, १९५२-५३ में ४० लाख, १९५३-५४ में १४ लाख और १९५४-५५ में केवल ५ लाख दिया गया है। तो सन् १९५४-५५ में लोन्स घट कर केवल ५ लाख रह गये हैं। इसी प्रकार जो एस्टीमेट्स स्ट्रिक्ट बोर्ड्स के खर्चे के बनाये गये हैं उसमें शिक्षा अनुदान में १० लाख की कमी की गयी है, मेडिकल अनुदान में साढ़े ६ लाख की कमी की गयी है और पब्लिक वर्क्स अनुदान के इन्तजाम में २५ लाख की कमी की गयी है। इसके बाद जब हम म्युनिसिपैलिटीज के बजट को देखते हैं जो इस साल पेश किया गया है तो कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है। यह बड़ी भारी गलती है कि म्युनिसिपैलिटीज के एकाउंटिंग के अन्दर कोई ओपनिंग बैलेंस न दिखलाया जाय। जहां तक इनकी आमदनी का सवाल है तो १९५२-५३ में ४३ लाख थी और १९५३-५४ में ६७ लाख हो गयी। यह म्युनिसिपैलिटीज की आमदनी का हाल है। और जहां तक म्युनिसिपैलिटीज को लोन देने का सवाल है तो १९५०-५१ में ६९ लाख दिया गया और इस साल ६० लाख दिया जा रहा है। इसकी ग्रांट दूसरी है लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी के डिपार्टमेंट से ही यह सम्बन्ध रखता है इसलिये मैं इसका जिक्र किये दे रहा हूं। टाउन एरियाज की हालत यही है। ५० हजार रुपया २६५ टाउन एरियाज को दिया गया है जो फी टाउन एरिया क़रीब १९५ रुपये के पड़ता है। वाटर वर्क्स और ड्रेनेज के लिये माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि साढ़े ७ लाख रुपया रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बताऊं कि इसी काम के लिये सन् १९४७-४८ में २० लाख १९४८-४९ में भी २० लाख, १९४९-५० में १२ लाख और आज फिर साढ़े ७ लाख दिया जा रहा है। यानी आज से चार पाँच साल पहले जितना इस पर खर्च किया जाता था उतना भी आज खर्च नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—बीच का छोड़ क्यों दिया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—पुराना हिसाब मैं आपको बता रहा हूं। जबकि आप पहले इसी काम पर १२ लाख और २०लाख खर्च करते थे तो इस साल पाँचवर्षीय योजना के अनुसार केवल ८ शहरों में ड्रेनेज की स्कीम कम्प्लीट होने जा रही है और केवल ६ शहरों में वाटर सप्लाई की स्कीम पूरी होने जा रही है। श्रीमन्, यह सदन यह जानना चाहेगा कि जो पंच वर्षीय योजना स्टेट की बनी है उसमें अगर वही रफ्तार रही जो पुरानी थी तो इसमें इतने टाउन एरियाज हैं, नोटीफाइड एरियाज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं कि २०, २५ या ४० साल में जाकर इनकी पानी की हालत ठीक हो पायेगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि आज लोकल बाडीज के फाइनेंस का जो इन्तजाम है इसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए जिस प्रकार इनकम टैक्स और एक्साइज की आमदनी में से प्रांतीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से हिस्सा लेती है उसी प्रकार प्रांतीय सरकार अपनी आमदनी का एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को और म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे। जब तक सरकार म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगी, उनको जो ग्रांट्स और लोंस दिये जाते

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है इनके बीच में एक निश्चित सम्बन्ध कायम नहीं करेंगे इनको बढ़ाया नहीं जायगा तब तक मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार लोकल बाडीज का इन्तजाम सुधरने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूं कि यू०पी० में सरकार जितने प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को लोन देती है, कर्ज देती है, उसका औसत अगर और प्रांतों में मिलाया जाय तो वह बहुत कम बैठता है। बिहार में ७ लाख रुपया सालाना ग्रान्ट दी जाती है, मद्रास में ७ लाख, पंजाब में ५ लाख और बम्बई में १६ लाख रुपया सालाना ग्रांट दी जाती है लेकिन यू०पी० में सबसे कम ग्रांट इन चार प्रांतों के मुकाबिले में दी जाती है जिसका २ लाख रुपये के करीब औसत पड़ता है। तो और प्रांतों की तुलना में भी हम बहुत कम ग्रांट देते हैं। उनका १/५ हिस्सा भी हम उन पर खर्च नहीं करते। इसी प्रकार से और तरीके से भी मैं पेश करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जो वह ग्रांट या लोन देते हैं। उनके अनुपात में कितना फर्क है। १८९४ से जब से ये म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम हुये हैं तब से लेकर जब हम देखते हैं कि किस प्रकार ग्रांटों में या लोन्स में वृद्धि हुयी है तो पाते हैं कि जहाँ म्युनिसिपैलिटीज को देने में वृद्धि हुयी है १७ गुनी वहाँ जिला बोर्डों को केवल डेढ़ गुनी वृद्धि हुयी है। शहरी क्षेत्रों में तो १७ गुनी वृद्धि हुयी है और देहाती क्षेत्रों में केवल डेढ़ गुनी तो इस प्रकार जो एक आर्थिक गैप, खाई डाल दी गयी है ग्रांट्स और लोंस के सिलसिले में उसमें हमें एक दूसरी नीति बरतनी होगी जिससे किसी प्रकार जनता को यह महसूस न हो कि हम किसी प्रकार का भेदभाव शहर और देहात के लिए ग्रांट्स और लोंस के बारे में कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जहाँ पर वह सालाना बजट बनाते हैं डिपार्टमेंट के लिए, वहाँ आवश्यक है कि वह एक निश्चित नीति बनायें कि हम किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड को सहायता पहुंचायें जिससे कि उनकी जो अपनी निजी समस्यायें हैं उनका हल हो और वह सुचारु रूप से चल सकें। अभी हाल में सारे प्रांत की म्युनिसिपैलिटिज के चुनाव हुए हैं, टाउन एरियाज के चुनाव हुए हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग चुनकर आये हैं। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि चेयरमैन किसी पार्टी के हैं और बहुमत किसी दूसरे पार्टी का है। तो आवश्यकता इस बात की है कि बिना किसी पक्ष को देखते हुए बिना किसी प्रकार के पक्षपात यह डिपार्टमेंट इन सभी म्युनिसिपैलिटियों की माँगों पर विचार करे। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी और उनका डिपार्टमेंट इन म्युनिसिपैलिटियों, टाउन एरियाजों और नोटीफाइड एरियाओं के सम्बन्ध में आज एक कसौटी पर है। उनके सामने यह सवाल बार-बार आयेगा। एक तरफ उनके ऊपर यह दबाव डाला जायगा कि वह अपनी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के हितों के अनुसार म्युनिसिपैलिटियों में दखल दें। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसी नौबत नहीं आने देंगे और किसी भी म्युनिसिपैलिटी को या किसी भी टाउन एरिया को ग्रान्ट देते समय या उनकी माँगों को सामने रखते समय किसी प्रकार का पक्षपात वह नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और अगर ऐसा नहीं हुआ, जनता की यह भावना दृढ़तर हुयी कि इस चुनाव के बाद, यह जो नया संगठन म्युनिसिपल बोर्डों और टाउन एरियाज का हुआ, उसमें वह कोई पक्षपात पूर्ण नीति अख्तियार कर रहे हैं तो निश्चय ही शहरी शासन में, स्वायत्त शासन में कोई हितकर भावना पैदा होने वाली नहीं है बल्कि एक उच्छृंखलता और विशृंखलता की तरफ हमारे शहरी शासन की व्यवस्था जायगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस वर्ष और आने वाले वर्षों में एक ऐसी नीति बरतें जिसे पूर्ण रूप से पक्षपातहीन नीति कहा जा सके। चाहे वह छोटी म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे बड़ी म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे नोटीफाइड एरिया हो, प्रत्येक की आवश्यकताओं के अनुसार वहाँ की सड़कों की हालत को देखते हुए, वहाँ की सफाई की हालत को देखते हुए, वह उनका प्रबंध करें। जो इस वक्त स्कीम है उसको तो बिलकुल बदल देने की आवश्यकता है। ग्रांट को बढ़ाने की आवश्यकता है और जैसा कि मैंने पहले कहा प्रांतीय सरकार की आमदनी में से निश्चित हिस्सा देने की आवश्यकता है। जहाँ तक पहाड़ी के डिस्ट्रिक्ट

हैं उनके बारे में मैं कुछ शब्द माननीय मंत्री से कहूंगा। लोकल बाडीज फाइनेंस कमेटी, जिसके अध्यक्ष श्री हरगोविंद सिंह जी थे, उसने एकमत से सिफारिश की थी कि चार पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और शायद देहरादून डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी जो जंगल की आमदनी है उसका चौथायी हिस्सा लोकल रेट के बदले में दे दिया जाना चाहिए क्योंकि इन पाँच जिला बोर्डों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लोकल रेट्स वसूल कर सकें। पिछले साल माननीय स्वशासन मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब डेढ़ साल होने आया है, अब आवश्यकता इस बात की है कि उस रिपोर्ट को लागू किया जाये। वैसे तो सभी जिला बोर्डों की हालत खराब है, लेकिन इन पाँच जिला बोर्डों को तो स्पेशल ग्रांट्स समय–समय पर देनी पड़ती है। वहाँ की स्थिति सुधारने के लिए, वहाँ के देहातों की स्थिति को समझते हुए इस बात की पूरी आवश्यकता है कि माननीय मंत्री जी उस हरगोविंद सिंह कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करें और इन पाँच जिला बोर्डों को, जंगल की आमदनी का चौथायी हिस्सा देने का कष्ट करें।

साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जहाँ तक नोटीफाइड एरियाज का सम्बन्ध है सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उनको हटाकर टाउन एरियाज बना दिया जाय और जो उनका इंतजाम है वह सही ढंग पर रखा जाय जब तक नोटीफाइड एरिया म्युनिसिपल ऐक्ट का अंग बनी हुयी है मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जब नया विधान प्रस्तुत करेंगे तो नोटीफाइड एरिया के संघटन पर भी विचार करेंगे। पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट कर दिया गया है कि जहाँ तक लोकलसेल्फ गवर्नमेंट का सवाल है एक नयी इकाई सबडिविज़नल बोर्ड की आवश्यकता है। लेकिन हमारा प्रदेश और हमारी सरकार इस अवस्था में नहीं है कि वह अभी पंचवर्षीय योजना के उस सुझाव को लागू कर सके कि डि० बोर्ड और ग्राम सभाओं के बीच में एक सबडिविजनल बोर्ड कायम हो। लेकिन फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि हम जब डि० बोर्ड का नया संगठन करें तो उसमें इस बात की व्यवस्था करें कि डि० बोर्ड स्वावलम्बी हो सकें। लेकिन जहाँ पर स्वावलम्बन का सवाल है वहां पर नये टैक्स कम से कम लगने चाहिये बल्कि यह होना चाहिये कि प्रांतीय सरकार जिन टैक्सों को लगाती है अपने अपने अधिकारों का हस्तान्तरण कर दे या ऐसी प्रणाली कायम हो जाय कि जो टैक्स प्रांतीय सरकार लगाती है उसको सरकार वसूल तो कर ले लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वह रकम दे दी जाय। मैंने पिछले साल भी माननीय स्वशासन मंत्री के सामने यह सुझाव रखा था कि जैसे तहबाजारी का रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मिलने में बहुत देर होती है। जिस प्रकार कैटिल पाउन्ड का रुपया सीधे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बुक अकाउन्टिंग के जरिए मिल जाता है इसी प्रकर अगार तहबाजारी का रुपया भी उनको बुक अकाउन्टिंग से मिल जाय तो उनको बड़ी आसानी होगी। इसी प्रकार और बहुत से सुझाव हैं। मुझे आशा है कि स्वशासन मंत्री जी इस वर्ष में धीरे–धीरे प्रयत्न करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और टाउन एरिया के बीच में जो ग्रांट और लोन्स का वितरण है वह निश्चित प्रणाली से संतुलित हो सके और बटवारा हो सके।

श्री बेचन राम गुप्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को उस पुण्य काम के लिए बधाई देना चाहता हूं जिसको उन्होंने इस साल आरम्भ किया है और वह पुण्य काम है बनारस के घाट।

प्राचीन समय में राजाओं और महाराजाओं ने इन घाटों को बनवाया था। उनकी अवस्था दिन बदिन खराब होती चली जा रही है। राजा, महाराजाओं की हालत भी खराब है क्योंकि उनकी रियासतें जब्त हो चुकी हैं। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है। परन्तु दो घाटों के लिये आनन्दमयी और मीर घाट के लिये केवल १ लाख

[श्री बेदनराम गुप्त]

५० हजार रु० रक्खे गये हैं यह रकम बहुत कम है। मुझे आशा है कि आइन्दा साल माननीय मंत्री जी इन घाटों के लिये और अधिक रुपया रक्खेंगे और इसी प्रकार अगर हर साल कुछ न कुछ रुपया रक्खा जायगा तो घाटों की हालत सुधर जायगी। इन घाटों के बारे में विशेष नहीं कहना चाहता पर इतना तो कहूंगा ही कि संसार में बनारस के घाट मशहूर हैं और पाश्चात्य देश अमेरिका, इंगलैण्ड, न्यूजीलैन्ड आदि से लोग इन घाटों को देखने के लिये आते हैं। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इन घाटों के बनाने के लिये रुपया बजट में रक्खा है।

दूसरा मुख्य कार्य यह है कि विडोज होम और आर्फेनेज के लिये जो सरकारी सहायता पहले मिलती थी वह बहुत कम थी। गत वर्ष २० हजार रु० इन अनाथालयों के लिये मिले थे और अनाथालयों की संख्या हमारे प्रांत में बहुत ज्यादा है। माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने उस रकम को बढ़ा कर ५० हजार कर दिया लेकिन फिर भी यह रकम कम है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब वह काशी आयें तो खास कर दो अनाथालय काशी अनाथालय और काशी सेवा समिति अनाथालय को अवश्य देखें। इनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि उनके कार्य से वह प्रभावित होंगे।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। भदोही में कई साल से वाटर वर्क्स बनाने की चर्चा चल रही है। भदोही टाउन बहुत अच्छा है। १९ हजार की आबादी वहां की है। कालीन के व्यवसाय से उसका बहुत महत्व है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वहां वाटर वर्क्स शीघ्र बना दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस अवसर से लाभ उठाकर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में दो चार बातें कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उस ओर ध्यान देंगे।

कुछ दिन हुए जब गवर्नर साहब की यहां तकरीर हुयी थी तो उन्होंने कहा था कि टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज में काफी ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिये इस साल प्राविजन किया गया है। इसकी वजह से पिथौरागढ़ जो हमारे यहां का एक अच्छा टाउन है वहां के रहने वालों को आशा हुयी कि वहां की हालत अब सुधर जायगी। सन् ३४ में पिथौरागढ़ टाउन एरिया बना था लेकिन अब तक न वहां बत्तियों का इन्तजाम हुआ, न ड्रेनेज का। एक किसी दानी पुरुष ने थोड़ा सा रुपया दिया था जिससे वहां नल लग गये थे लेकिन उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। उनमें हमेशा पानी बन्द रहता है। साल में तीन चार महीने ऐसे निकल जाते हैं जिनमें वहां के लोगों को पानी सुचारूरूप से नहीं मिलता। मैंने कई बार माननीय मंत्री जी का ध्यान उनकी इस इच्छा की तरफ आकर्षित किया कि उस शहर के लिये कुछ रुपया ग्रांट के तौर पर या लोन के रूप में दे दिया जाय जिससे वहां पानी की व्यवस्था हो सके और ड्रेनेज का सिस्टम जारी किया जा सके। मगर मुझे दुख है कि उस ओर अब तक कुछ भी नहीं किया गया। वहां सबसे पहले वाटर पाइप लाइन के लिये कुछ रुपया ग्रांट या लोन के रूप में दे दिया जाय ताकि वहां पानी की व्यवस्था हो सके। फिर ड्रेनेज का इन्तजाम किया जाय। क्योंकि वहां नालियों में गन्दा पानी भरा रहता है और बाजार में पटाल लग जायं जिससे वह बाजार की सूरत में दिखायी दें न कि देहात दिखायी दे। अभी तक लैम्प भी नहीं जलते हैं। उनके पास आर्थिक व्यवस्था बहुत थोड़ी है, जिससे मेहतरों की तनख्वाह भी पूरी नहीं दे सकते हैं। इसलिये यह आशा करना कि

वह ऐसे बड़े कार्य को इस धनराशि से कर लेंगे यह असम्भव सा प्रतीत होता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि वह अवश्य इस पर ध्यान देंगे।

इसके अलावा दूसरी बात शहर पिथौरागढ़ से टनकपुर तक १ एक १०० मील लम्बी मोटर रोड बनायी गयी है। उस पर काफी तादाद में मोटर चलती हैं। अगर सरकार उसपर टोल टैक्स लगाने की इजाजत दे दे तो उससे पिथौरागढ़ को काफी आमदनी हो सकती है और उस आमदनी के जरिये से शहर पिथौरागढ़ को काफी धनराशि मिल सकती है। इन ३,४ बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता था कि वहां के लिये ग्रांट या लोन या टोलटैक्स उस मोटर रोड पर लगाने की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाऊं ताकि वह पुराना ऐतिहासिक शहर जो कि आजकल एक राइजिंग शहर है और जहां पर आपने एक करोड़ रुपया खर्च करके मोटर रोड बनायी है उसकी सहायता कर सकें। वहां पर एक इन्स्पेक्शन हाउस है और दूसरा अभी ३५ हजार रुपया खर्च करके बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि वह रुपया ऐसी चीजों के लिये खर्चा किया जाय जिससे शहर का विकास हो तो अच्छा है। वहां पर अस्पताल जिसमें २,३ कमरे बने हुये हैं, आपने उसमें जनाना अस्पताल भी खोल दिया है। वैसे कहने को तो जनाना अस्पताल हो गया है कि आधे में जनाना अस्पताल है और आधे में मर्दाना अस्पताल है। यह व्यवस्था वहां पर चल रही है दो अस्पताल खुलने का नाम तो हो गया है लेकिन काफी तादाद में लोगों को उससे फायदा नहीं हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि वह रुपया जो इन्सपैक्शन हाउस पर खर्च किया जा रहा है वह शहर के निर्माण पर खर्च किया जायगा। वह रुपया वहां की सफाई, इलाज और बत्तियों के लिये खर्च किया जाय तो कहीं अधिक हितकर होगा, उससे जनता का हित होगा और सरकार का भी हित होगा। मैं अधिक न कहता हुआ यह २,४ बातें कहकर माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी। वहां ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दे सके तो बड़ी कृपा होगी।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि यदि जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड का चित्र इतना ही सुन्दर है जितना कि यह जो किताब बांटी गयी है उसमें अंकित है तो सचमुच स्वशासन विभाग हमारा बधाई का पात्र है। लेकिन हम सब यह समझते हैं कि इसके अलावा भी एक उस चित्र का दूसरा पहलू है और वह यह है कि जहां तक जिलाबोर्ड का सम्बन्ध है सरकारी अनुदान करीब-करीब आधा दिया जाता है उनकी इनकम या जितनी कि उनकी आमदनी होती है उसका आधा सरकार से मिलता है तब वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चल पाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जिला बोर्ड अपना वह कार्य नहीं कर पाते, अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर पाते जो कि उनको करना चाहिये। आज अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है, स्कूल की इमारत आज ठीक नहीं है, टूटी पड़ी हुयी है, अल्पताल का इन्तजाम ठीक नहीं है और दूसरे जो काम उनको दिये गये हैं वह भी जिला बोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मेरे मित्र नारायण दत्त जी तिवारी ने अभी जिकर आया कि उनको लोन अधिक देना चाहिये। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनकी ओर से यह सुझाव किया। मैं कहूंगा कि किसी भी डिमोक्रेटिक यूनिट की हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रिपब्लिक से कल्पना करते हैं उसको सरकारी अनुदान पर जीवित रहना है तो मैं यह कह सकता हूं कि चाहे वह किसी की सरकार के जमाने में हो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रिपब्लिक नहीं बन सकता है। आज यदि आप उठाकर इतिहास को देखें और विदेशों की हालत को देखें तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह सोचें कि वहां पर यूनिवर्सिटीज इस बात से इंन्कार करती हैं कि सरकार उनको कोई सहायता दे, वे समझते हैं कि उनकी स्वतंत्रता में बाधा है अगर सरकार की सहायता उनको मिलती है। इसलिये मैं समझता हूं कि जिला बोर्डों का प्रश्न सरकारी अनुदान या कर्ज से ठीक नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को आज इस बात पर विचार करना चाहिये कि

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

क्या सचमुच जिला बोर्डों का अस्तित्व किसी तरह से कायम रह सकता है। पिछले दिनों एक सम्मेलन हुआ था जिसमें मांग की गयी थी कि जिला बोर्डों को पुलिस, डेवलपमेंट दे दिये जावें, और बहुत सी मांगें की गयी थीं। जब मैं इसे सोचता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार यह मांगे रखी जा रही हैं। पिछले दिनों कुछ स्कूल दिये गये और उनके लिये सरकारी अनुदान दिये गये थे लेकिन फिर भी उन अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। इसलिये स्वशासन मंत्री इस बात को देखने की कृपा करें कि जिला बोर्ड किस प्रकार से सैल्फसफीशेंट यूनिट बन सकता है और किस तरह से वह हमारी रिपब्लिक का स्वरूप ले सकता है।

इसी तरह से म्युनिसिपल बोर्डों की बात है। बहुत से अस्पताल जिला बोर्डों को दे दिये गये हैं। ललितपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एलोपैथी का अस्पताल चल रहा है जिसमें मरीजों को खाने को १७ रुपये माहवार मिलता है लेकिन महराज और कहार का वेतन १००-१०० रुपये माहवार है। वहां दवा का खर्चा १ महीने का १०० रुपये, बाकि ९५ रुपये हैं लेकिन कम्पाउन्डर्स, डाक्टर, चपरासी और दूसरे लोगों पर खर्चा १,००० रुपया मासिक है। जब मरीज आता है तो उसे सफेद दवा दी जाती है, पानी, उसके बाद जब वह कहता है कि फायदा नहीं हुआ तो लाल दवा दी जाती है और फिर जब वह कहता है कि लाभ नहीं हुआ तो इन्जेक्शन लिख दिये जाते हैं। इसलिये या तो यह अस्पताल मैडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिये जायं अथवा आप इतना अनुदान देने की कृपा करें कि जिससे वह अस्पताल चल सके। ललितपुर म्युनिसिपल बोर्ड के लिये मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि वहां आपने वाटरवर्क्स के लिये जो निधि दी है उसके लिये मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके बाद झांसी म्युनिसिपल बोर्ड में एक क्षेत्र है जिसके बारे में मैं कुछ प्रार्थना माननीय स्वशासन मंत्री जी से करना चाहता हूं। वहां एक मजदूरों का क्षेत्र है। वह एक विडम्बना है। वहां १० हजार मजदूर रहता है। वह म्युनिसिपल बोर्ड का भाग है पहले यह नोटीफाइड एरिया में था। हम लोगों ने आंदोलन करके उसे म्युनिसिपल बोर्ड में मिलाया क्योंकि नोटीफाइड एरिया के पास साधन नहीं थे। हमने म्युनिसिपल बोर्ड से कहा कि आप इसकी हालत सुधारें, वहां सड़कें नहीं हैं, म्युनिसिपल स्कूल्स नहीं हैं और कोई ऐसे साधन नहीं हैं जो दूसरे म्युनिसिपल बोर्डों में होने चाहियें, चाहे वे थोड़ी तादाद में क्यों न हों लेकिन हैं। रेलवे से कहा गया तो उन्होंने कहा कि यह म्युनिसिपल बोर्ड की ही जिम्मेदारी है लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड के पास पैसा नहीं है। इस प्रकार से यह एक विशेष सर्किल बन गया है। समझ में नहीं आता क्या किया जाय। अतः चाहे तो आप अपने विभाग से अथवा केंद्रीय सरकार के जरिये से इसका हल निकालें और उस स्थान को ऐसा बनाने का प्रयत्न करें जिससे वह इंसानों के रहने के लायक हो सके। वहां सबसे ज्यादा अशिक्षा है, सबसे अधिक बीमारियां वहां होती हैं। वहां केवल एक ही सड़क है जो भी नोटीफाइड एरिया के जमाने की बनी हुयी है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि या तो आप अपने यहां से कोई योजना बनायें अथवा केंद्रीय सरकार की ओर से कोई योजना बनावें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो सुझाव आपके सामने रक्खे गये हैं उन पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय कृष्ण चन्द्र जी शर्मा का भाषण सुनकर बड़ी खुशी हुयी और मैं समझता हूं कि जो बातें उन्होंने कहीं उन पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि अब हमारे प्रांत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिलकुल खत्म कर दिये जाने चाहिये क्योंकि उनकी अब हमारे प्रांत के अन्दर कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे खुद अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते। जबकि आज हमारे ग्रामों में ग्राम सभायें हैं, पंचायतें हैं तब उनमें और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में आकर क्लैश होता है। कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां ग्राम सभाओं के टैक्स लगाने के अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी टैक्स लगा देता है और राज्य सरकार का टैक्स तो चलता ही है। इससे जनता

पर बड़ा भारी भार पड़ता जाता है और काम में भी झंझट होता है। दूसरे प्लानिंग कमेटीज भी बना दी गयी हैं इसलिये हमारे प्रांत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का रहना ठीक नहीं है। रात दिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स रुपया मांगा करते हैं और जब रुपया नहीं दिया जाता तो लोग समझते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है। लाखों रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर खर्च होता है इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को रखने और न रखने के बारे में वह फिर से विचार करे। मुझे खुशी होगी जब हमारे प्रांत में से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स खत्म हो जायेंगे लेकिन जब तक वे खत्म नहीं होते तब तक उसके बारे में हमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करना ही होगा। जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मुझे यह देखने में आया कि––

"The District Board measures relating to water supply in the rural area were limited to boring and cleaning of public wells. The Boards contributed whole-heartedly towards these items of general benefit. The efforts made by the District Boards of Almora and Dehra Dun in launching special water supply projects in their areas are praiseworthy. Four schemes in Almora and 17 schemes in Dehra Dun districts are under execution."

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास कोई भी वाटर स्कीम नहीं है। उसके पास कोई पैसा नहीं है। पहले उसको पानी के लिये १ लाख रुपया दिया गया था, देहातों के अन्दर पानी का इंतजाम करने के लिये लेकिन अब दो साल से कोई रुपया नहीं दिया गया है। अतः यह कहना कि पानी का इंतजाम किया गया व्यर्थ है।

हमारी सरकार ने अध्यापकों की तनख्वाह के बारे में ध्यान दिया और उनकी कुछ मांगों को मान लिया लेकिन दुःख है कि अभी तक ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं जिन्होंने उनकी तनख्वाहों को नहीं दिया है। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उनको तनख्वाह नहीं दी गयी है।

अब रहा अस्पतालों का सवाल। सारे प्रांत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अस्पतालों की बड़ी दुर्दशा है, उनकी हालत बड़ी दयनीय है। ४० रुपया महीना उनकी दवाओं पर खर्च किया जाता है। जहां बीस-बीस, तीस हजार की आबादी है वहां एक एलोपैथिक अस्पताल है और उस अस्पताल में भी ४० रुपये की दवा महीने भर में दी जाती है। ४० रुपये का पानी भी उस इलाके में नहीं पूरा पड़ सकता, दवा तो बहुत दूर की बात रही। क्या इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल चल सकते हैं? हमारी राय तो यह है कि जितने सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल हैं उन सब को प्रांविंशियल मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाय।

इसी तरह से सड़कों की हालत भी खराब है। ५ हजार कुछ रुपया सड़कों की इमदाद के लिये दिया गया है। हमारे यहां एक मील सड़क बनाने में २५ हजार रुपया लगता है जहां राक्स कटिंग होता है कुछ थोड़ी सी मिट्टी डालने की बात तो है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि सारे प्रांत में जहां भी चले जाइये वे बुरी हालत में पड़ी हुयी हैं। मेरी राय है कि उन सब सड़कों को पी०डब्लू०डी० को सौंप दिया जाय।

स्कूलों की हालत भी उसी तरह से खराब है। उनके पास कोई आमदनी नहीं है जिससे वे स्कूलों को चला सकें। तो इन स्कूलों को भी एजूकेशन डिपार्टमेंट को सौंप दें जो डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रख कर अपना काम चलावे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम बिलकुल ही बन्द कर दिया जाय।

अब रहा म्युनिसिपैलिटियों का सवाल उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई जिलों के कुछ शहरों की म्युनिसिपैलिटियों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जब देखा जायगा कि किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व वहां नहीं है तो सरकार उस वर्ग के कुछ प्रतिनिधियों को नामजद करेगी। बदकिस्मती से हमारे पास भी हलद्वानी और मंसूरी में दो

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

म्युनिसिपैलिटियां है जहां पर सरकार ने ४ नामिनेशन किये । नामिनेशन किसका किया गया । हितों की रक्षा नहीं की गयी बल्कि वहां ऐसे लोगों को नामजद किया गया जो पहले चुनाव में हार गये थे या ऐसे लोगों को छांटा गया जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों की मदद की । इस तरह से वहां यह कोशिश नहीं की गयी कि जनता के प्रतिनिधि ही उसमें रखे जायं । हमारे विरोधी दल के नेता ने एक पत्र माननीय स्वशासन मंत्री जी के पास लिखा था जबकि नामिनेशन की बात आ रही थी कि इन म्युनिसिपैलिटियों के लिये नामिनेशन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि जनता के सच्चे प्रतिनिधि ही आवें । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास आइये, जो शिकायत हो कहिये, हमसे बातचीत कीजिये लेकिन उस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा था कि मदन मोहन उपाध्याय से इस सम्बन्ध में बातचीत कर लीजियेगा । मगर बदकिस्मती मेरी कि न तो हमें पत्र दिया गया, न जांच की गयी, अपनी मर्जी के अनुसार जिसको उन्होंने चाहा म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर नामजद कर दिया । फिर हमसे कहा जाता है कि हम तो सुनने के लिये तैयार हैं, शिकायत हो तो कीजिये, सुनाइये । उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज इंसपेक्टरों के लिये कहा गया है कि उसने तीन हजार वैक्सिनेशन किये । पंचायत राज का इंसपेक्टर तो गांव का अफसर है, बादशाह है, एक तरफ वह बादशाह है, दूसरी तरफ थानेदार व दरोगा साहब बादशाह हैं । फिर उसको वैक्सिनेशन की क्या बात मालूम । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे खूब सोच विचार कर काम करें । पब्लिक हेल्थ के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका काम बहुत सैटिस्फैक्टरी है ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान, माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । हमारे यहां इस राज्य में ४९ जिला बोर्ड हैं जिनके अन्तर्गत देखा जाय तो २,४०० मील पक्की सड़कें और २१,००० मील कच्ची सड़कें हैं । जो हमारा अनुदान ८५,५५,८०० रु० का है । उन फीगरों को छांटा जाय तो उस हिसाब से सड़कों की मरम्मत के लिये केवल ५ लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को मिलता है अगर उसको बांटा जाय और देखा जाय तो मेरी समझ में नहीं आता कि इतने रुपये में कैसे इन सड़कों का रखरखाव हो सकता है, कैसे नया निर्माण हो सकता है । जैसे कि उपाध्याय जी ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं । अगर यही हालत रही तो इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रहने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन जो ग्रांट है उसको देखते हुए हमें इस बात पर विचार करना है अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स काम नहीं करें तो उनकी बदनामी तो होगी ही क्योंकि उनके पास पैसे इतने नहीं हैं कि वे डाक्टरों को रख सकें, तथा स्कूल के मास्टरों को समय पर तनख्वाह ही दे सकें । एक तरफ तो कंजूसी से काम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ आमदनी बढ़ाने का जरिया निकाला जा रहा है । मेरे ख्याल से यह भेदभाव रखना ठीक नहीं है । कुछ थोड़ी सी म्युनिसिपैलिटियों में ज्यादा पैसा दिया जाता है लेकिन ४९ जिला बोर्डों को जो कि सारे देहातों में फैले हुए हैं और जिनमें ९० फीसदी आदमी देहात के रहते हैं उनको सिर्फ ५ लाख रुपया दिया जाता है और फिर यह आशा की जाती है कि स्कूल अच्छी तरह से चलें, सड़कें अच्छी रहें, नई बनें, सुपरवीजन अच्छा हो, यह सब कैसे हो सकता है । मैं कह सकता हूं कि इस तरह से जिला बोर्ड काम नहीं कर सकते । इस वर्ष सन् ५३ में ४७ मील लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है । कैसे हो गया, इसमें मुझे संदेह है ।

श्री मोहन लाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कह दूं कि यह ५ लाख रुपये सिर्फ फरूड के इलाके के लिये हैं ।

श्री रामहेत सिंह—इसमें विवरण तो पूरी तरह से नहीं दिया गया है इसलिये भ्रम हो जाता है ।

स्कूलों की हालत बहुत खराब है। उनके पास बनाने के लिये रुपया नहीं है। इसके अतिरिक्त मास्टरों की तनख्वाह का भी सवाल है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। साथ ही निर्माण जो स्कूलों का होता है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये। ज़िला बोर्डों के स्कूलों का निर्माण प्लानिंग या और किसी विभाग से जिसमें निर्माण होता हो उसके साथ कर दिया जाय और एक तिहाई रुपया लागत का इस कार्य के लिये दे दिया जाया करे तो उनका उत्साह बढ़ सकता है और निर्माण का कार्य हो सकता है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि ज़िला बोर्ड के साथ जहां टाउन एरिया व देहात के स्कूल हैं वहां अभी तक पानी पीने के लिये तक इंतिजाम नहीं है। ट्यूबवेलों का नाम नहीं है। मैं नहीं कहता कि म्युनिसिपैलिटियों को आप ग्रांट मत दीजिये, आप उनको ज्यादा से ज्यादा रुपया दीजिये लेकिन टाउन एरिया और जो लोकल बाडीज के स्कूल हैं। जो देहात के अन्दर हैं उनकी तरफ भी ध्यान दीजिये। तभी उनकी उन्नति हो सकेगी।

इसके बाद अन्त में मैं अकबरपुर से तरौला तक का जो तीन मील का टुकड़ा है और जो कुल तहसील की एक चौथायी आबादी को जोड़ता है उस टुकड़े के लिये सड़क बनाने के लिये कुछ ग्रांट के रूप में सहायता देने की कृपा करें।

*श्री गज्जू राम (ज़िला झांसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान हमारे सामने आया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। श्रीमन्, मुझे बोलने की जरूरत तो न पड़ती लेकिन हमारे यहां के श्रीकृष्ण चन्द्र शर्मा जी ने ही वहां के गरीबों की स्थिति माननीय मंत्री जी के समक्ष रखी। झांसी म्युनिसिपैलिटी की जनता इतनी गरीब है फिर भी उनसे वाटर टैक्स लिया जाता है, रोशनी टैक्स लिया जाता है, और फिर भी इन सब के लेने के बाद भी इन चीजों से उनको वंचित रखा जाता है। इसके पूर्व, एक बार माननीय मंत्री जी ने झांसी नगरी का निरीक्षण किया था और मैं भी उनके साथ रहा और कोने-कोने का निरीक्षण कराया। जहां जहां गरीब बस्तियां थीं मैं मंत्री जी को ले गया और उन्होंने भी काफी कष्ट उठा करके एक एक गली और एक एक कूंचे का निरीक्षण किया। वहां की जनता को यह विश्वास हो गया कि पानी और रोशनी की तकलीफें अब वहां जल्द से जल्द हल हो जायेंगी। माननीय मंत्री जी ने मुझे भी यह विश्वास दिलाया कि जितनी भी यहां की गरीब जनता की तकलीफें हैं उनकी ओर वह शीघ्र से शीघ्र ध्यान देंगे। श्रीमन्, आज तक वह गरीब लोग मुझसे बराबर कहते हैं कि आप हमारी आवाज माननीय मंत्री जी तक नहीं पहुंचाते। श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम लिखकर दे दो और मैं जरूर इस मसले को हल करूंगा।

श्रीमन्, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि वहां की म्युनिसिपैलिटी में जितने मेहतर सफाई का काम करते हैं उनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये कहूंगा कि वहां की मेहतर यूनियन का कुछ पैसा वहां के म्युनिसिपल बोर्ड में रक्खा हुआ है और वह आजतक किसी कार्य में नहीं लगाया गया है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि वहां मेहतरों के ऊपर जो जमादार होते हैं वह दूसरे जाति के रक्खे जाते हैं इसलिये वह उनपर नाजायज दबाव डालते हैं और मैं निवेदन करूंगा कि जमादार उन्हीं की बिरादरी से रक्खे जाने चाहिये। इसके अलावा उनके रहन-सहन की जितनी भी व्यवस्था है वह आजतक वही है जोकि अंग्रेजों के राज्य में थी और वह यह नहीं अभी तक समझ पाये हैं कि हम भी आजाद देश के रहने वाले हैं और हमारा देश आजाद हो गया है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके रहन-सहन की व्यवस्था और उनके बच्चों की पढ़ायी लिखायी की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को उपस्थित अनुदान के पेश करने के लिये बधायी देता हूं। चन्द बातें जिनको मैं आवश्यकीय समझता हूं उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जिला बोर्डों की जो दयनीय दशा है उसका उत्तरदायित्व हमारी सरकार पर है क्योंकि जिलों के अन्दर प्लानिंग डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट और बहुत से बड़े बड़े डिपार्टमेंट खड़े कर दिये गये हैं जो काम अब तक जिला बोर्डों के द्वारा होता चला आया था वह आज पंचायत राज के सिपुर्द कर दिया गया है और कुछ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग विभाग के सिपुर्द कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि आप जिले के फाइनेन्सेज के टुकड़े २ कर उनको बर्बाद करने के लिये चारों तरफ फैलायें। मैं समझता हूं कि पंचायत राज और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट को खत्म किया जाय, फौरन ही इन दो डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले कर दिया जाय। और मैं यह सुझाव पेश करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से प्राइमरी एजूकेशन को हटा करके सरकार के हवाले कर देना ही उचित होगा। इसके साथ साथ जिला बोर्डों के अन्दर जो सैनिटेशन की व्यवस्था है और जो खराब होने जा रही है, मैं समझता हूं कि वह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को दे देनी चाहिये। इससे हमारे जिलों के अन्दर फाइनेंसेज की जो कमी है वह बिल्कुल दुरुस्त हो जायगी। हमारी सरकार ने इतना बड़ा प्लानिंग डिपार्टमेंट खड़ा किया है लेकिन मैं समझता हूं कि उसके पास कोई भी मशीनरी हमारे जिले के वर्क्स को एक्जिक्यूटिव करने की नहीं है जबकि जिला बोर्डों के पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ओवर सीयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सारा स्टाफ है, गैंग है। क्या कारण है कि हमारी सरकार ने प्लानिंग डिपार्टमेंट को खड़ा करके जिला बोर्डों का जो काम पहले से होता था उसको बिल्कुल चौपट कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इन दोनों डिपार्टमेंटों को फौरन जिला बोर्डों में अमलगमेट कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फाइनेंसेज को दुरुस्त किया जा सकता है।

अब इसके साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जिला बोर्ड की जितनी भी डिस्पेंसरीज जिला गढ़वाल के अन्दर हैं, उनका सालाना जो बजट है वह चार सौ रुपया फी डिस्पेंसरी के हिसाब से है। जिन इलाकों में वह डिस्पेंसरीज हैं वहां डेढ़ दो लाख जनता है। वहां चार सौ की क्या दवायें होंगी, वह आप समझ सकते हैं। वहां डाक्टर किसी में नहीं है, कम्पाउन्डर्स हैं और वहां पानी या पियोर अकुआ लोगों को डिस्ट्रिब्यूट होता है। इससे बड़ी दिक्कत है। यह मंत्री महोदय खुद समझ सकते हैं कि चार सौ रुपये से डेढ़ लाख जनता क्या लाभ उठाती होगी। यह बड़ी दयनीय बात है। इसलिये यदि इसको जिला पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा।

अब मैं आप को यह बताऊं कि जिला गढ़वाल के अन्दर एक श्रीनगर टाउन एरिया है। जितने मंत्री महोदयों के गले में श्रीनगर की पब्लिक मीटिंग्स में मालायें पड़ीं उनको जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। मुझे बड़ा दुख है मेरे सामने की बात है कि हर मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि इस टाउन एरिया की व्यवस्था की जायगी। पचास साल हो गये हैं लेकिन आज भी मंत्री महोदय रिकार्ड उठाकर देख लें कि उसको एक पाई का ग्रांट कभी नहीं दी गयी। यह फैक्ट है। हमारे श्री गोविन्द जी और दूसरे बड़े बड़े लोग वहां गये और उन्होंने प्रामिस किया कि हम तुमको रुपया देंगे लेकिन अभी तक एक पाई नहीं दी गयी।

एक और बात मैं आप को बतलाता हूं। बद्रीनाथ में सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट है और मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि बद्री नारायण पुरी मेरी कांस्टिट्एंसी में है और वहां जो मेरे वोटर्स हैं वे इससे बहुत व्यथित हैं। वे कहते हैं और उनके कई रेप्रिजेंटेशन हमारी सरकार के पास आये हैं कि इस सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट को तोड़ दिया जाय क्योंकि इस ऐक्ट से उनको बड़ी-बड़ी दिक्कतें

हैं। एक तो गरीब लोग मकान नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसके लिये बड़े बड़े प्लान चाहिये दूसरे वहां जो गोचर थे, जहां घोड़े खच्चर आदि चराई करते थे, उनसे लाभ उठाने से उनको रोका जाता है। तो बहुत सी उन लोगों को तकलीफें हैं। लोगों के अन्दर जो असन्तोष हैं अगर उसको खत्म करना है, तो यह लाजिमी है कि जो व्यवस्था करनी हो उसमें उनको सुधार के लिये और बनाने के लिये शामिल किया जाय। इसलिये यदि वहां टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया बना दिया जाय तो यह सरकार के लिये और जनता के लिये भी उचित व लाभदायक होगा।

अब दूसरी बात जो मैं पेश करने जा रहा हूं उसमें आप लोगों को बड़ी खूबियां नजर आयेंगी और दुनिया में एक ही मिसाल होगी, वह यह है कि गढ़वाल के अन्दर चार स्वायत्त शासन की संस्थायें हैं, एक कोटद्वारा, एक दुगड्डा, एक पौड़ी और एक श्रीनगर। जो मोटरों में जाते हैं उनपर इन चारों स्थानों पर टैक्स लगता है। आप समझ लीजिये कि आदमी कितना टैक्स देगा। मैं समझता हूं कि अगर किसी को हर नोटीफाइड एरिया से जाना हो तो वह कितना टैक्स देगा। अगर कलकत्ता से चलने वाला व्यक्ति बद्रीनाथ तक हर म्युनिसिपैलिटी, हर नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया को टैक्स दे तो डेढ़ दो सौ रुपया उसका टैक्स में ही चला जायगा। यह टैक्सेशन की पालिसी बहुत ही अनसाउन्ड है इस प्रकार के टैक्सेज कैसे सरकार लगाती है यह तो इनइक्वीटस है। इस तरह के टैक्सेज के लिये कोई भी चीज आपके फाइनेंशल रूल्स में नहीं है।

इसके साथ साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और पहले भी मैंने जिक्र किया था कि मेरी कांस्टीटुएंसी में ऐसी ऐसी जगहें हैं कि जहां इन्सानों को पैदल चलने का रास्ता नहीं है। पैनखंडा, लोभा खंसर और बनेल सिऊं, ये तीन जगहें ऐसी हैं जहां इंसानों को चट्टानों को पकड़ कर चलना पड़ता है, पुल और झूलों की व्यवस्था का तो कहना ही क्या है। जब माननीय मंत्री जी वहां तशरीफ ले जायेंगे तो उनका दिल टूट जायगा, वे आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूं इसके लिये उचित व्यवस्था करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं, यह उनका कसूर नहीं है, यह तो सरकार के Mis-management of Public Finances का क़सूर है। अगर आप इसकी सही तरह से व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि इस अनुदान में ८ लाख ६२ हजार रुपये की ही अधिकता गत वर्ष के मुकाबिले में की गयी है। अंग्रेजी शासन ने सारे प्रान्त में एक नन्हा सा इन्तजाम जिलों को दिया था स्वायत्त शासन विभाग का इस सरकार और खास कर के माननीय मंत्री जी के हाथों में बागडोर आते ही कई मदों में लाखों रुपये की कमी यह जाहिर करती है कि स्वायत्त संस्थाओं के प्रति सरकार की उदासीनता होती चली जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के लोग वर्षों से चिल्लाते चले आ रहे हैं कि इस देश का बटवारा ४ हिस्सों में होना चाहिये, केन्द्रीय पंचायत, प्रान्तीय पंचायत, जिला पंचायत और गांव पंचायत। आज जो रोना सदन में या बाहर लोग रोते हैं कि हमारे जिला बोर्ड को सहायता मिलनी चाहिये मैं समझता हूं कि अगर केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों में ईमानदारी होती और जो मालगुजारी से लाभ सरकार को होता है, उसका बटवारा चार हिस्सों में करती तो यह जिला बोर्डों की हालत जो है, जिसकी कल्पना हम जिला पंचायत के रूप में करना चाहते हैं, पचासों लाख की आमदनी केवल मालगुजारी से हर एक पंचायत को हुआ करती। आज जो जिला बोर्ड दो बड़े बाजुओं में पिसता चला जा रहा है। एक तरफ केन्द्रीय सरकार के टैक्स और दूसरी तरफ प्रान्तीय सरकार के टैक्स, पंचायत का टैक्स, एक ही आदमी से, एक ही रोजगार पर और एक ही खेत पर दोहरा टैक्स वसूल किया जा रहा है। जहाँ गांव पंचायत किसान के खेत पर टैक्स वसूल करती है ठीक उसी खेत पर यह सरकार

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

कृषि आयकर वसूल करती है। एक छोटा सा दुकानदार गाँव की पंचायत को टैक्स देता है, वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को टैक्स देता है और इस सरकार को भी टैक्स देता है सेल्स टैक्स वगैरह के रूप में। इस सरकार का जो दावा है कि हम शक्ति का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं, हम गांव पंचायत को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उनके हाथ में रचनात्मक निर्माणकार्य सौंपना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार जिला पंचायतें असलरूप में अपना कार्य नहीं कर सकती हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिये चोखम्भा राज्य बनाने के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में गंदे पानी के निकास के लिये म्युनिसिपैलिटियों एवं टाउन एरियाज को वृद्धि अनुदान दिया गया है। जब हम स्मृति पत्र को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ४७-४८, ४८-४९, ४९-५० तक २०, २० लाख रुपये तक इस मद में अनुदान दिया गया है लेकिन आज केवल साढ़े ७ लाख का अनुदान इस सदन में रखा गया है। इसके अतिरिक्त बाढ़ से क्षति-ग्रस्त सड़कों और इमारतों के बनाने के लिये सरकार ने ५ लाख रुपये का अनुदान रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सारे प्रदेश में जहाँ कि इस वक्त बाढ़ आयी थी उसको देखते हैं तो यह जो ५ लाख रुपया है वह ऊंट के मुंह में जीरे की कहावत चरितार्थ करता है। जगह-जगह सारे प्रदेश में बाढ़ से सड़कें और इमारतें गिर कर धराशायी हो गयीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की इमारतें गिरी पड़ी हैं। मैं नहीं समझता कि इस ५ लाख रुपये से कहाँ-कहाँ सहायता दी जा सकेगी। जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री की विशेष अनुकम्पा है या होगी, उनके लिये मैं समझता हूं शायद भले ही माननीय स्वायत्त मंत्री कुछ प्रबन्ध इसमें से कर सकें लेकिन मेरा तो ख्याल है कि जिनके ऊपर उनकी विशेष अनुकम्पा है उनका भी अच्छी तरह से वह इस रुपये से इन्तजाम नहीं कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों की सड़कों के लिये १९५३-५४ में ४९ लाख ९२ सौ रुपया था। इस साल इसमें भी ४ लाख ३६ हजार की कमी हो गई है। जिस जिले से मैं आता हूं वह एक बाढ़ ग्रस्त जिला है। सगड़ी फूलपूर आदि कई ऐसी तहसीलें हैं जहाँ पर बाढ़ के समय में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मधुबन से दुवारी और परसया तथा डिलरियागंज से रौनापार छः सात मील की लम्बी सड़क पड़ती है। बाढ़ के जमाने में वहाँ सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से इस जिले में बाढ़ की वजह से कितनी कठिनाई पड़ती है और मैं निवेदन करता हूं कि यह ५ लाख रुपये का जो अनुदान रखा गया है, इसमें से आधी रक़म आजमगढ़ जिला बोर्ड को दी जायगी जिससे कि वह बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को पूरा कर सके और उससे अपनी हालत सुधार सके।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कि इस नेकनियती के साथ म्युनिसि-पैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के ऊपर खर्च करने के लिये इतना रुपया रखा। इस चुनाव के प्रतिफल के बाद लोगों ने अनुमान लगाया था कि हमारी गवर्नमेंट उनको इनोर करेगी, उनको जब्त कर लेगी लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने निहायत ईमानदारी के साथ अपने बजट में अपने पैसे के अनुसार, अपने जेब के पैसे को देखते हुये उन सब के लिये रुपया रखा। इसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है और मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं। मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी यहाँ एक माननीय सदस्य की बात सुन कर जो कि उस तरफ के हैं जिनकी कांस्टीट्युएंसी हलद्वानी है। वह उस हलद्वानी कांस्टीट्युयेंसी से चुने हुये हैं जहाँ की हालत मैंने अपनी आँखों से देखा है, वहां के हरिजन की हालत देख कर मैं आया हूं। लेकिन उन्होंने उन हरिजनों के लिये एक शब्द भी नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, वहाँ हरिजनों की बड़ी बुरी दशा है, वहाँ उनके लिये स्कूल नहीं है, उनके बच्चों से फीस ली जाती है, वह वहाँ त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। मुझे बड़ी आशा थी कि जब वहाँ के माननीय सदस्य बोलेंगे तो उनके लिये भी कुछ कहेंगे लेकिन हमारे माननीय तिवारी जी ने उनका नाम तक नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान बस्ती म्युनिसिपैलिटी की तरफ ले जाना चाहता हूं। बस्ती म्युनिसिपैलिटी में जो ड्रेनेज की नालियां बनी हुई हैं वह इतनी पतली हैं कि जम जाती हैं और शहर में रहना दुश्वार हो जाता है, रात रात भर मच्छर भनभन करते हैं, सड़कों की हालत और भी अबतर है। वहाँ पर ठेका दे रखा है। ईंटों की सड़क बन रही है। आज वहाँ कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, आज वहाँ स्वतंत्र मोर्चा वालों की हुकूमत है लेकिन आज स्वतंत्र मोर्चा वालों को मोरचा लग गया है। मेरे लायक दोस्त मदनमोहन जी ने कहा कि बहुत सी जगहों पर और पार्टियों के मेम्बर्स ज्यादा हैं लेकिन चेयरमैन दूसरी पार्टी का है। आज उन चेयरमैनों की जो गति है वह वही जानते हैं और उनका दिल जानता है। हमें बड़ी खुशी है कि बड़ा सुन्दर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हमको गालियाँ दी जा रही हैं। आज उनका दिल जानता होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी खुशी है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये कहा गया। वाकई मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को टी० बी० हो गयी है। उनके तमाम मकान धराशायी हो गये हैं, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सड़कें धराशायी हो गयी हैं, सड़कें धराशायी नहीं होतीं मकान धराशायी होते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार ऐसे बोर्डों को जब्त कर ले जो कि अपना मैनेजमेंट ठीक नहीं करते। पंचायत के सिलसिले में कहा गया। मैं भी इस बात को मानता हूं कि देहात के तमाम स्कूल पंचायतों को दे दिये जायं क्योंकि हर स्कूल से जितनी फीस आ रही है उसी से वे चल रहे हैं। चार चार रुपये फीस आठवें दर्जे में मेरे जिले में जूनियर हाई स्कूलों में ली जा रही है। मैं चाहूंगा कि जिन जिलों में ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही हों या तो उनको पंचायत को दे दिया जाय या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ले कर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले। आज जितने शिक्षार्थी और अध्यापक हैं सब चाहते हैं कि उनके स्कूलों को सरकार अपने हाथ में ले ले उनको सरकार पर विश्वास है। जब से ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में आये हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनके अध्यापकों को १२ रु० भी नहीं दे रही है। बदनामी सारी सरकार की होती है। लेकिन दोष उनका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान अस्पतालों की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे जिले में अस्पताल की आलीशान बिल्डिंग तैयार है लेकिन न डाक्टर पहुंचे न दवाएं पहुंची जिसको मंत्री जी ने स्वयं देखा है हमारे जिले में म्युनिसिपैलिटी की सफाई की जो दशा है वह बहुत ही खराब है। वहाँ की म्युनिसिपैलिटी में बहुत से मकान खंडहर हो गये हैं। वहाँ की म्युनिसिपैलिटी से कहा जाय तो उनके मालिक उनको बनवाएं नहीं तो सरकार उनको हस्तगत कर ले और बहुत से हरिजन और शरणार्थी जो आज सड़कों की पटरियों पर पड़े रहते हैं और वहीं पर बसर करते हैं उनके लिये सरकार मकान बनवाए। मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि सरकार इन खाली जगहों को बड़े बड़े पूंजीपतियों से छीन कर सरकार अपने हाथ में ले, और मैं आशा करता हूं कि सोशलिस्ट भी इसमें सहयोग करेंगे। लेकिन मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं कि हलद्वानी के हरिजन गंदी नालियों का पानी पीते हैं। मैंने खुद लोटों में पानी पिया था। वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है। वही लोग हैं जिनके लिये वह ताशा पीटते हैं न सलीम खां हैं, न रहीमखां हैं, हैं आप के पट्टीदार। तो मैं माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सुन्दर विचार रखा और विरोधियों को मौका नहीं मिल सका कि किसी म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हमारी सरकार इगनोर करती है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो अनुदान इस समय सदन में उपस्थित है उस पर अपने कुछ विचार रखूंगा। वैसे तो मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूं मैं माननीय मंत्री जी को इसके विषय में कुछ बातों की सूचना उनके पास जा कर देता रहता हूं लेकिन कुछ समस्यायें ऐसी हैं जिनको लगभग एक एक वर्ष हो रहा है जिन पर आज तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी है। उस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि]

माननीय मंत्री जी को और सदन के माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि गत वर्ष जब कूड़ा और मैला की कम्पोस्ट बनाने का बिल पेश हो रहा था तो मैंने उस पर सन्देह प्रकट करते हुये बतलाया था कि यदि यह बिल पास हो गया तो वह कूड़ा मैला जो प्राइवेट घरों का काम करके मेहतर लोग एकत्रित करते हैं और काश्तकारों को बेच कर उससे अपनी जीविका निर्वाह करते हैं वह कूड़ा मैला छीन लिया जायगा। किन्तु उस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और आज वह बात हमारे सामने उपस्थित है। जहां पर इस प्रकार का कूड़ा मैला म्युनिसिपैलिटियां मेहतरों से नहीं लेती थीं जो वह प्राइवेट घरों से लाते थे वह भी लेने लग गयी हैं। मेरे हरदोई जिले में बेलग्राम तहसील में इससे एक वर्ष पूर्व वहां के मेहतरों को कूड़ा मैला मिल जाता था। किन्तु जब यह बिल पास हो गया अब वहां पर कूड़ा मैला वहां के मेहतरों से छीना जाने लगा। मैं इस विषय में निवेदन कर दूं कि इस प्रकार उनकी आर्थिक दशा उत्तरोत्तर इतनी बिगड़ने लगी है और आर्थिक कठिनाइयों में फंस कर उनकी यहाँ तक दशा हो गयी है कि मैंने उन बेचारों के यहां जा कर देखा है कि २४, २४ और २५, २५ वर्ष की लड़कियां कुवांरी पड़ी रहती हैं जिनकी वे शादी नहीं कर पाते। पूछने पर पता चला कि पहले घरों के कूड़े मैले को इकट्ठा कर के साल में ढाई तीन सौ रुपया उनको हासिल हो जाया करता था और उससे जो क़र्ज़ा वह महाजन से लेते थे उतार दिया करते थे अब रुपये अदा करने के उनके पास साधन नहीं हैं इसलिये महाजनों से रुपया भी उनको क़र्ज़ पर नहीं मिल पाता।

प्राइवेट घरों में जो काम करते हैं उससे भी जो मजदूरी उनको मिलती है वह बहुत कम है। मुझे बतलाया गया कि एक-एक घर में दस-दस, १५, १५ लोग रहते हैं वहां मेहतरों को एक-एक या दो-दो आने प्रति माह मिलते हैं। मैंने इसकी शिकायत वहां के म्युनिसिपल चेयरमैन से की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वह इस किस्म का एक आर्डर जारी करें स्थानीय निकाय के चेयरमैन को कि प्राइवेट घरों का मैला कूड़ा मेहतरों को ही मिला करे। उस बिल में उसके सम्बन्ध में कहीं नहीं लिखा है जिससे उनको इस प्रकार परेशान किया जाता है। अगर इस किस्म का आदेश निकल जाय तो उनकी समस्या काफी हद तक हल हो जायगी।

(इस समय ४ बज कर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक बात मैं और निवेदन कर दूं। मैं खूब जानता हूं कि मंत्री जी को मेहतरों से काफी हमदर्दी है किन्तु यह गलती चेयरमैन की है। मैं मिसाल के तौर पर फर्रुखाबाद म्युनिसिपैलिटी की बात बतलाता हूं। हम लोग डेपुटेशन के रूप में वहां के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और हेल्थ आफिसर से मिले। उनसे बातचीत की और कहा कि ९ रुपये जो वहां के मेहतरों को तनख्वाह मिलती है वह बहुत कम है। लेकिन चेयरमैन ने एक बात न सुनी। वायदा किया लेकिन पूरा नहीं किया। लेकिन जब इलेक्शन टाइम आया तो २६ अक्तूबर के चार रोज पहले यानी २२ तारीख को मेहतरों को उन्होंने बुलाया और तीन वर्ष की जो पुरानी शिकायतें थीं जिनको लेकर हम एम० एल० एज० डेपूटेशन ले कर गये थे, और समझौते की बातचीत की थी लेकिन बात नहीं मानी गयी, उन्हीं शिकायतों को पूरा कर दिया और इस प्रकार से म्युनिसिपैलिटी की चेयरमैनशिप के लिये वोट प्राप्त कर लिये।

एक दूसरी मिसाल अध्यक्ष महोदय में पेश करूंगा। अमरोहे में उसी मैले कूड़े के मसले पर २५-३० मेहतरों का डेपुटेशन दो डेढ़ साल हुए चेयरमैन से मिला लेकिन कोई बात चेयरमैन ने नहीं सुनी। लेकिन अब वहां के चेयरमैन और मेहतरों में समझौता हो गया और मुझे पता चला है कि जिस मैले कूड़े के लिये लोगों को सजायें मिली थीं वही मैला, कूड़ा मेहतरों को अब मिलने लगा। हमारे साथी मही लाल जी ने उस सम्बन्ध में काफी प्रयत्न किया था। लाल बत्ती

हो गयी है । उसे देख कर घबराहट होती है । गागर में सागर भर सकूं इतने कम वक्त में इसके मैं अयोग्य हूं लेकिन एक सुझाव और देना चाहता हूं कि मेहतरों को बड़ी तकलीफ है। इसके लिये एक कमीशन बनाया जाय। मेरा सुझाव यह भी है कि उन्हीं में से जमादार बनाये जाया करे। झांसी के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी यही बात कही है। यदि मेहतर जमादार हों तो मैं यह दावा कर सकता हूं कि रिश्वत बन्द हो जायगी। अगर हमारा मेहतर जमादार रिश्वत लेगा तो कम से कम उसका जाति वहिष्कार किया जा सकता है और हुक्का पानी बन्द हो सकता है। आशा है इस पर अवश्य विचार किया जायगा।

पे कमीशन रिपोर्ट और खेर कमेटी ने जो सुविधा बतलायी है कि मेहतरों में जो पढ़ा लिखा हो वही जमादार हो और उसको ही जमादारी मिलनी चाहिये वह नहीं हो रहा है। आज जमादारी के लिये जो उम्मीदवार हैं उनको नहीं लिया जाता है और अन्य जाति के लोगों को लिया जाता है बड़े दुःख की बात है। मैं कई म्युनिसिपैलिटीज में घूम कर आया हूं। जाड़ा समाप्त हो गया लेकिन जाड़े की वर्दी आज तक नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त भी मंहगाई वगैरह जितनी है और उनके जो जुर्माने होते हैं वह कहीं-कहीं तो उनके शुभ काम में उसको उन्होंने दिया है लेकिन आज म्युनिसिपैलिटी इस बात को नहीं सोचती है। सन् ४७ में पे कमीशन बना है उस पर आज तक अमल नहीं किया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर अवश्य अमल करने की कोशिश की जाय।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, अभी श्री शिवनारायण जी ने प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में जो एक बात कही मैं उससे सहमत हूं और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि प्राइमरी एजूकेशन की कुल स्कीम जो आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चला रहे हैं उसको फिर से रि-एग्जामिन किया जाय; क्योंकि जाहिर है कि आज प्राइमरी एजूकेशन पर काफी पैसा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का खर्च हो रहा है किन्तु उसका उतना फायदा नहीं होता। वह बच्चे जो आगे नहीं पढ़ पाते हैं कुछ सालों के बाद वह सब भूल जाते हैं और वह साक्षर भी नहीं रहते हैं।

इसके अलावा उसके प्रपोर्शन में जिस तरह से पैसा खर्च हो रहा है उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है। यह शिक्षा की प्रणाली जो इस तरह से आज चल रही है उसके बजाय मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही बड़ी देन इस मुल्क को दी जिसको बेसिक शिक्षा प्रणाली के नाम से कहा जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि आज उस प्राइमरी शिक्षा को उस प्रणाली की रोशनी में फिर से सोचा जाय और उसके बाद कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जिससे उस शिक्षा का उद्देश्य भी प्राप्त हो सके और जो बच्चे उन स्कूलों से पढ़कर निकलें वह सही मायने में अपने गांव के, अपने देहात के और अपने शहर के अच्छे नागरिक बन सकें। उस रोशनी में सारी प्राइमरी शिक्षा को रिएक्जामिन करना चाहिये।

माननीय नारायणदत्त जी ने शुरू में यह बात कही और मैं उनसे सहमत हूं कि यह बड़े दुःख की बात है कि नागरिक निर्माण कार्य में जो अनुदान दिया गया है वह बहुत कम है। हमारे प्रान्त में सारी की सारी राष्ट्रीय योजनायें गांव में और शहरों में डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा ही सम्पादित होती हैं। जितना कम अनुदान उनके लिये रक्खा जायगा उससे तो वहां पर और कमी आयेगी और विकास के कार्य में बाधा पड़ेगी। अगर श्री कृष्णचन्द्र जी की बात को माना जाय कि सेल्फ सेफिसेन्शी होना चाहिये और सरकार के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिये तो उस हालत में मैं यह कहना चाहता हूं कि सेल्फ सेफिसेन्शी के लिये सरकारी आय को बांटना पड़ेगा जो कि प्रान्तीय सरकार के पास आता है। वह पैसा अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जाय तब वह अपना काम चला सकते हैं। आखिर आत्मनिर्भर तो वह उसी पैसे से हो सकते हैं जो जनता से सरकार के पास आता है। अगर आप उस पैसे का बटवारा कर दें तो फिर लोकल बोर्ड में आत्मनिर्भरता आजायेगी या कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कोई टैक्स मसलन सेल्स टैक्स उन्हें मिल सके और उससे लोकल बोर्ड में आत्मनिर्भरता आ सकती है।

[श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव]

एक बात उपाध्याय जी ने कही कि पंचायतों के इन्स्पेक्टर और सेक्रेटरी ने कहीं वैक्सीनेशन नहीं लगाये हैं। मैं उनको आमन्त्रित करता हूं कि वह मेरे साथ चलें यहां से लखनऊ के पास ही ५० मील के फासले पर जिसको सीतापुर कस्बा कहते हैं। वह वहां आयें तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सीतापुर में सेक्रेटरीज़ का एक कैम्प हुआ जिसमें ट्रेनिंग लेने के बाद १०,००० वैक्सीनेशन उन लोगों ने किये।

एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पीली सी पत्रिका हमको मिली है उसमें सीतापुर का कहीं नाम नहीं है जब कि मेरा यह खयाल है कि सीतापुर में इस सम्बन्ध में काफी विकास हुआ है। अगर आप ग्रांट्स सेल्फ-हैल्प स्कीम की तरह से दें, जैसा कि केंद्रीय सरकार करती है कि अगर आधा रुपया वहां के लोग चन्दे या जैसे भी जमा कर लें तो उतना ही रुपया सरकार दे, तो इससे लोगों में उत्साह होगा। तमाम सूबे के अन्दर वाटर वर्क्स बन रहे हैं। सीतापुर में एक वाटर वर्क्स के लिये बहुत दिनों से मांग है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अनुदान के संबंध में माननीय सदस्यों के भाषण सुने। कुछ भाइयों ने यह कहा कि सरकार को जो अनुदान लोकल बाडीज को दे रही है वह कम है, अधिक देना चाहिये। कुछ भाइयों ने यह कहा कि बहुत सी चीजें जैसे शिक्षा, अस्पताल, जो लोकल बाडीज के हाथ में हैं, वे उनसे निकाल कर दूसरे विभागों को दे दिये जावें। एक भाई ने यह भी कहा कि इन लोकल बाडीज को सैल्फसफीशैंट बनाना चाहिये। मेरा निवेदन इसके बारे में यह है कि हमको यह देखना है कि आखिरकार हमारे प्रांत की क्या आमदनी है, ख्वाह कोई आमदनी लोकल बाडीज के हाथ में हो या प्रान्तीय सरकार के हाथ में हो। उसके बाद हमें उसका बटवारा करना होगा कि हम किन किन चीजों पर उस आमदनी को लगावें यह तो हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना इस देश और प्रान्त में चल रही है। इसके साथ साथ हमको यह भी देखना पड़ता है कि किसको हम तरजीह दें और किस सिलसिले से हर विषय को लें। हमारी सरकार को अपनी आमदनी का एक विशेष भाग उस पंचवर्षीय योजना की ओर देना पड़ता है और इसलिये दूसरे विभागों को कम मिल पाता है। इसलिये इस अनुदान में उतनी रकम नहीं है जितनी हम चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हमको इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देना है कि आखिरकार लोकल बाडीज की जिन्हें हमने इतनी जिम्मेदारी दे रक्खी है हालत कैसे अच्छी हो, हमको जल्द से जल्द उसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिये। हम ज्यादातर इस पर ध्यान देते हैं कि म्युनिसिपल ऐक्ट को तरमीम कर दिया जाय और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत राज ऐक्टों को तरमीम कर दिया जाय। जितना ध्यान हम इस पर दे रहे हैं उससे अधिक ध्यान हमें उस पर देना है कि हम किस तरह से इन लोकल बाडीज को सैल्फसफीशैंट बना सकते हैं। अगर हम इसकी व्यवस्था नहीं करते हैं और अगर हम इसके लिये कोई कमेटी नहीं बैठाते हैं और कोई ऐक्ट नहीं लाते हैं तो फिर यह तो मानना पड़ेगा कि हमारे लोकल बाडीज की दशा बहुत ही शोचनीय है अतएव हमें इस पर ध्यान देना चाहिये। मैं इस सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे शहरों का संबंध है, हमारे प्रदेश में बहुत से शहर ऐसे हैं जिन पर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। हम तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे शहरों से भी काफी आमदनी आती है और उतना ही रुपया बलेज के उतने ही एरिया से नहीं आता लेकिन उनको खर्चा बहुत कम दिया जाता है। जहां पर हैड क्वार्टर होता है, वहीं से बहुत सी बातों का प्रचार होता है। वहां तमाम देहातों के लोग भी आते हैं और शहरों के लोग भी वहीं रहते हैं। ऐसी हालत में अगर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो यह उनके लिये बहुत ही अन्याय होगा। पिछले इलेक्शन के समय सरकार ने देख ही लिया कि शहरों के लोग सरकारी पालिसी से सहमत नहीं हैं और वे उनके विरुद्ध जा रहे हैं। हमको चाहिये कि उनकी सुविधा की तरफ ध्यान रक्खें। मैं माननीय मंत्री

जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि सुल्तानपुर म्युनिसिपैलिटी की ओर बहुत काफी अरसे से ध्यान नहीं दिया गया है। अगर वहां का रिकार्ड मंगा कर देखा जाय तो मालूम होगा कि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को ५० साल से कोई अनुदान नहीं दिया गया है जिसकी वजह से उस म्युनिसिपैलिटी की हालत बहुत खराब हो रही है।

*श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)––अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय को धन्यबाद देता हूं कि उन्होंने जो अनुदान इस सदन में रक्खा है कुछ सोच विचार कर ही रक्खा है। अनुदान बजट का एक अंश है और बजट और फाइनेंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिये अनुदान के बारे में वही कह सकते हैं जो फाइनेंस बजट को समझते हैं। फाइनेंस को समझने वाले हमारे इस माननीय सदन में बहुत कम सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष––आप इस सदन के सदस्यों पर कोई आक्षेप न करें।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह––हमको अपने जिले के बारेमें मान नीय मंत्री जी से कहना चाहिये कि हमारे जिले में किस, बात की कमी है जिसको उन्हें पूरा करना चाहिये। अनुदान के बारे में कहना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है बल्कि सदन का समय नष्ट करना है। मैं गोरखपुर के लिये अनुरोध करूंगा कि यह जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है वहां पर म्युनिसिपैलिटी ने हाउस टैक्स नाम का एक नया टैक्स लगाया है। म्युनिसिपल अधिकारियों को यह आदेश दे दिया जाय कि वह इस टैक्स को वापिस ले लें। इससे जनता को बहुत दुख हो रहा है। गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी बहुत दिनों से सरकारी अधिकारियों के हाथ में है। उनके होते हुये भी माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वहां की सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। अतः वहां पर सड़कों के बनाने की जरूरत है। वाटर वर्क्स अभी तक नहीं बन पाया है। पिछली बार माननीय मंत्री जी जब गये थे तो अधिकारियों मे यह वायदा किया था कि जुलाई तक कुछ एरिया में पानी दे दिया जायगा लेकिन अभी तक किसी मुहल्ले और किसी एरिया में पानी नहीं दिया गया है। इसके लिये मैं खासतौर से अनुरोध करूंगा कि वहां के अधिकारियों को लिख दिया जाय कि वे अपने वायदे को पूरा करें।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों की हालत तो बहुत ही खराब है। उस क्षेत्र की सड़कों की हालत तो बहुत ही खराब है जहां से माननीय मंत्री जी स्वयं एम० एल० ए० चुनकर आये थे। वहां की सड़कों पर चलना ही मुश्किल हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से बार बार अनुरोध किया गया लेकिन उसके पास कोई पैसा ही नहीं है। इसलिये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी उस क्षेत्रसे एम० एल० ए० भी रह चुके हैं वहां की जनता की सहूलियत और आराम के लिये उस सड़क को बनवा देंगे। महाराजगंज से बिजनौर को जो सड़क जाती है वह है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ही सड़क लेकिन चूंकि उसके पास इतना धन नहीं है कि उसे बनवा सके इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे उसके लिये कुछ रुपया देकर उसे बनवा दें। कुछ लोग हंसते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और माननीय मंत्री जी से क्या संबंध है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो वह सड़क है वह कोई पी० डब्ल्यू० डी० की तो है नहीं और उसके पास इतना रुपया नहीं है इसलिए मैं लोकल बाडीज के मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन सड़कों को बनवा दिया जाय। इतना ही मुझे उनसे अनुरोध करना था।

श्री मोहन लाल गौतम––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उन सब साथियों और सारे सदन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अनुदान का स्वागत किया और विशेषकर उनको जिन्होंने कुछ सुझाव भी दिये। हर एक सुझाव पर तो इस समय मैं नहीं बोल सकूंगा और न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल गौतम]

इतना समय सदन का लेना ही चाहता हूं लेकिन एक एक सुझाव जो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में दिये हैं उनमें बहुत से सुझाव ऐसे हैं जिनके बारे में विचार करके मैं जो कुछ उचित हो सकेगा करने का प्रयत्न करूंगा। एक भाई ने यह कहा कि उनको बड़ा अफसोस इस बात का है कि जो अनुदान पहले था उसमें साढे ८ लाख रुपये की कमी हो गयी है। मेरा ख्याल है कि वह कहना भूल गये। कहना शायद वे चाहते थे कि उनको अफसोस के बजाय खुशी है और साढे ८ लाख कमी नहीं है बल्कि पिछले वर्ष से इस साल साढे ८ लाख ज्यादा की मांग इस अनुदान पर पेश की गयी है। पिछले वर्ष ७६,९४,३०० रु० की मांग थी और इस बार ८५,५५,८००रु० की मांग है। इस तरह से साढे आठ लाख से भी ज्यादा इस साल है। इसलिये मेरा यह ख्याल है कि जो आदत अपोजीशन की वजह से अफसोस और लानत की पड़ गयी है गलती से निकल गया जब कि वह फैक्ट्स के विपरीत होता है और वह खुशी का इजहार नहीं कर सकते, वह अफसोस करते हैं बावजूद इसके कि फैक्ट्स ऐसा था। एक साहब ने यह कहा था कि पहले ४७,४८ में २० लाख की मांग थी या १२ लाख की मांग थी और अब साढे ७ लाख है। मैंने उसी वक्त टोक कर कहा था कि बीच के दो एक साल का भी जिक्र कर दें। मैं उसका कुछ जिक्र कर दूं कि सन् ५०,५१ में साढे ३ लाख, सन् ५१,५२ में साढे ३ लाख सन् ५२,५३ में ५ लाख और अगले वर्ष के लिये साढे ७ लाख है। अब प्रश्न यह है कि यह पहले २० लाख से घट कर साढे तीन लाख कैसे हो गया। उसका जवाब बहुत सादा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मदद मिलती थी वह उसने बन्द कर दी। इसलिये पहले जो २० लाख या १२ लाख की रकम मिलती थी उसके बन्द हो जाने पर स्टेट एक्सचेकर से पहले दो साल साढे साढे तीन तीन लाख रुपया मिला, फिर दो साल तक ५, ५ लाख रुपया मिला और अब जाकर साढे ७ लाख है। इसलिये यह रकम बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है इसमें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है।

एक बड़ी भारी बात कही गई कि साहब चुनाव हो गये हैं और बहुत सी पार्टियां आ गयी हैं इसलिये जब इस अनुदान का बटवारा हो तो उसमें पक्षपात न किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का प्रयत्न करता हूं कि जहां तक इन बातों का संबंध है उसका असर शासन पर पड़े कम से कम मेरे महकमे में और जो पुस्तिका पीली जिसको बहुत सदस्यों ने पढ़ने का कष्ट किया है अगर उसको देखा जाय तो जो अन्त में तालिका दी हुई है जिसमें म्युनिसिपैलिटियों को जो रोड ग्रान्ट्स बंटी हुई है उससे मालूम हो जायगा कि पिछले वर्ष जो २८ लाख रुपये बंटे थे उसमें ८ म्युनिसिपैलिटियां ऐसी थीं जिनको प्रतिवर्ष मिलता है और उनको देना पड़ा और कुछ म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जिनको पिछले तीन सालों में मिल चुका है जिनको ४९–५०, ५०–५१ और ५१–५२ में पिछले तीन सालों में मिला था। उनको छोड़कर बाकी और सब म्युनिसिपैलिटियों को १३ लाख रुपया बांटागया है और हरिद्वार म्युनिसिपैलिटी को रुपया इसलिये दिया गया है क्योंकि उसकी विशेष परिस्थिति है। इन सबको दिया गया है बिना लिहाज इसके कि उसमें कौन पार्टी थी या कौन उसका चेयरमैन था। और यहां पर एक बात साफ कर दूं कि यह वर्ष चुनाव के वर्ष से पहले का वर्ष था उस वर्ष में बहुत से दोस्तों की यह इच्छा हो सकती थी कि अगर उनको कुछ रुपया मिल जाय तो वह सड़क बनवाकर एलेक्शन में फायदा उठावें लेकिन वह नहीं किया गया। और बाकी म्युनिसिपैलिटियों को १३ लाख रुपया जिनको पहले नहीं मिला था दिया गया है। यह बांटने का तरीका है। इसके बाद इस वर्ष कहा जा सकता है तो मैंने ५० हजार रुपया टाउन एरियाओं को बांटा है जो १३ टाउन एरियाओं को मिला है। कुछ यह भी ख्याल था कि डेढ़ डेढ़ सौ या दो सौ रुपया देने से कोई फायदा नहीं होगा इसलिये हम प्रयत्न करते हैं कि कुछ अच्छी रकम मिल जाय। इसलिये १३ म्युनिसिपैलिटियों को किसी को सवा दो, किसी को तीन, किसी को चार यानी दो से कम नहीं और पांच से ज्यादा नहीं पांच हजार रुपये तक १३ टाउन एरियाज में बंटा हुआ है। इसमें केवल ४ टाउन एरिया हैं जिनमें कांग्रेस का बहुमत है बाकी ९ टाउन एरिया

ऐसी है जिनमें कांग्रेस का बहुमत नहीं है। रकम जो इन ४ टाउन एरियाओं की जिनमें कांग्रेसी बहुमत है दी गयी है वह केवल १३, २५० रुपये है और जो बाकी ६ म्युनिसिपैलिटियों को दी गई हैं वह रकम ३६,७५० रुपये है। और यह रकम ऐसी है जो उन टाउन एरियाज को दी गई है जिसमें गैर कांग्रेस वालों की मेजारिटी है। मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह की चीज न की जाय।

हल्द्वानी और मंसूरी को म्युनिसिपैलिटियों के नामिनेशन का जिक्र किया गया। ठीक है मुझे राजनारायण जी का पत्र मिला था। जो सुझाव उसमें थे वे काफी थे। वह सुझाव एक तरफ के थे। उसके आगे उपाध्यक्ष जी क्या कहते और मैं उनको बुलाकर क्या बात करता। मुझे इसकी कोई जरुरत नहीं मालूम हुई क्योंकि मैंने किसी आदमी, किसी भी कांग्रेस वाले आदमी से मेम्बर या गैरमेम्बर किसी को बुलाकर सलाह नहीं की और वहां किसी भी कांग्रेस वाले को मैंने नामिनेट नहीं किया इसलिये कि नामजदगी का जो तरीका है वह दूसरे सिद्धांतों पर है। किसी का कांग्रेस मैन होना या न होना उसमें नहीं आता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––वह तरीका क्या है?

श्री मोहनलाल गौतम––वह तरीका ऐसा है तो आपको इस सदन में इस वक्त नहीं बताया जा सकता। आप उसको लेकर कहीं पोलिटिकल प्रोपैगण्डा न करने लगें।

यह कहा गया लोन्स घटते गये हैं। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया है कि ग्रान्ट्स बढ़ती गयी हैं। क्या अभी ४० लाख रुपये की ग्रान्ट्स के तौर पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को नहीं दिये गये। इसका जिक्र नहीं है। लोन्स कम दिया जा रहा है लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में काबलियत नहीं है कि लोन्स दिये जा सकें तो इसकी शिकायत किसी भी माननीय सदस्य को नहीं करना चाहिये कि साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को लोन्स कम दिये जा रहे हैं। वह ग्रांट्स में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा पिछली दफा अभी थोड़ा ही अरसा हुआ ४० लाख रुपया ग्रांट्स की शक्ल में दिया गया। उसमें से ३२ लाख रुपया बट चुका है और बाकी बट रहा है।

फारेस्ट की बात कही गई। वह बात कमेटी की रिपोर्ट में आई थी। कमेटी की रिपोर्ट का अंतिम रूप क्या होगा वह बाद में तय होगा लेकिन यह बात साफ है कि पहाड़ी इलाकों के जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनकी हालत खास तरह से खराब है और उनको उस ४० लाख में से ५ लाख दिया गया है इसके अलावा उनकी हालत सुधारने की और भी कोशिश की जा रही है।

वाटरवर्क्स ड्रेनेज के बारे में बात कही गई। ठीक है, अगर ३, ४ वाटरवर्क्स हर हाल बनेंगे तो क्या होगा। मैं इससे सहमत हूं कि यह रफ्तार बहुत कम है लेकिन जो हमारी लिमिटेशन्स हैं उनको देखकर हम यही कह सकते हैं। जिस समय अंग्रेजो राज्य था उस समय २६ वाटर वर्क्स थे और इस समय ४० हो गये हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा हुआ लेकिन करें क्या। ५ लाख के बजाय साढ़े ७ लाख ग्रांट कर दी गई, ५० लाख के बजाय ६० लाख लोन में रख दिया गया है और ५५ के बजाय साढ़े ६७ लाख इस साल रक्खा गया है। वह साढ़े १२ लाख इसमें से निकलता नहीं है।

यह भी कहा गया कि शहरी इलाकों के लिये कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, उस तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है मगर उनका यह कहना कि सुल्तानपुर में आज तक कुछ नहीं दिया गया इस संबंध में मुझे और ज्यादा तो याद नहीं लेकिन रोड ग्रांट्स देखने से मालूम होता है कि सन् १९४९–५० सुल्तानपुर के म्युनिसिपल बोर्ड को ३० हजार रुपया दिया गया। इसलिये यह कहना कि किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड को कुछ नहीं दिया गया बिलकुल गलत है।

[श्री मोहन लाल गौतम]

रूरल वाटरवर्क्स के बारे में मैं पहले कह चुका हूं। कोशिश है और हमारा प्रयत्न होगा कि हम रूरल वाटरवर्क्स की तरफ ध्यान दें और उसमें इस वक्त जो ट्यूबवेल्स हैं उनकी मदद से ओवरहेड टैंक बनेंगे।

पिथौरागढ़ की बात आयी। उस पर अच्छी तरह से विचार हुआ और पांच हजार रुपया दिया गया लेकिन श्रीनगर की न तो लोन्स की न ग्रान्ट्स की कोई अपलीकेशन्स आयीं। अगर आतीं तो उन पर विचार होता।

एक सदस्य---बहुत सी अप्लीकेशन्स आई हैं।

श्री मोहन लाल गौतम---अगर अर्जियां आई हैं तो उन पर उचित कार्यवाही की जायगी मगर मजबूरी यह है कि २६५ टाउन एरियाज हैं, ५० हजार रुपया है और १३ को मिला है इसलिये उनका नम्बर २० साल के बाद आता है। खैर, मैं इस पर जो कुछ भी हो सकेगा करने की कोशिश करूंगा, यही कह सकता हूं। पिथौरागढ़ वाले कहते हैं कि हमको टाल टैक्स लगाने दो और कुछ भाई इसकी मुखालिफत करते हैं। श्री चन्द्रसिंह जो ने कहा कि इस पर कन्ट्राडिक्शन है इसलिये इस पर विचार करना होगा। हास्पिटल दो खुले, एक स्त्रियों का और एक मरदों का लेकिन बहुत से इलाके हैं जहां हास्पिटल नहीं खुले हैं इसलिये हमको इन लिमिटेड रिसोर्सेज में सोचने की जरूरत है। जब चन्द्र सिंह जो प्रेसीडेंट थे, अगर उस वक्त उन्होंने कोई इस प्रकार की अप्लीकेशन दी होती तो मुझे विश्वास है कि उस पर उचित कार्यवाही होती। अब अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अप्लीकेशन ऐसी आई तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा, इतना ही मैं कह सकता हूं।

उपाध्याय जी का और कुछ दूसरे और सज्जनों का यह कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तोड़ दिये जायं और फिर उन्होंने एक एक करके यह कहा कि अस्पताल, प्राइमरी एजुकेशन, रोड्स आदि सरकार ले ले, यह एक बड़ा सवाल है। जब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का नया कांस्टिट्यूशन हमारे सामने आयेगा तब उसमें इन सब बातों पर विचार कर लिया जायगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की एक नयी शक्ल हो, यह चीज हमारे सामने पेश है और जब उस पर विचार होगा तब इन तमाम सजेस्चन्स पर विचार कर लिया जायगा। जब वह चीज इस हाउस में आयेगी तब मेरा ख्याल है कि आप लोग भी विचार कर लेंगे।

सीतापुर की वाटर वर्क्स की अप्लीकेशन अभी नहीं आयी है और उन्होंने वह कंडीशन्स पूरी नहीं की हैं जो उन्हें पूरी करनी चाहियें। गोरखपुर के लिये मैंने जरूर कहा था कि जुलाई से पानी हो जायगा। जहां तक पानी के विभाग का सम्बंध है वह शायद अपनी कार्यवाही सब पूरी कर चुका है। बिजली का कनेक्शन ज्योंही हमें मिल जायगा, त्यों ही पानी चालू हो जायगा ऐसी मेरी आशा है।

एक सवाल और बाल्मीकि भाइयों का है कि जमादार उनके ही हों, यह सारे प्रश्न जो इस वक्त हैं इनके लिये यही कहा जा सकता है कि जो कुछ हमसे हो सकेगा वह हम करेंगे।

जो और बातें रह गयी हैं उनके लिये यह न समझा जाय कि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया है। उनमें कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं। जिनके ऊपर हम दफ्तर में विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन के सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन यह मांग स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की आशा करता था कि माननीय मंत्री जी अपने प्रत्युत्तर में इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं।

आज डेढ़ साल हमारे प्रांत में लोकल बाडीज फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट को निकले हुये हो गये, इसी प्रकार सेंटर की लोकल फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट को निकले हुये दो साल हो गये। लेकिन सरकार अभी तक इस संबंध में कोई बुनियादी नीति नहीं अपना पाई कि ग्राम सभा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड और प्रांतीय शासन में टैक्सेशन का वितरण और आमदनी का वितरण किस प्रकार होगा। बार-बार माननीय मंत्री जी के सामने और सरकार के सामने यही शिकायतें आती रही हैं, यही उलझन पड़ती रही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों के पास कोई अपना ठोक से रुपया वसूल करने का और अपनी आमदनी को बढ़ाने का एक स्पष्ट जरिया नहीं है, जो कुछ है वह स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं बतलाया कि एक तरफ यह मांग आती है कि चुंगी लगाई जाय और दूसरी तरफ से यह मांग आती है कि न लगाई जाय। इस संबंध में जो रिपोर्ट निकलती है उस पर सरकार न जाने किस प्रकार विचार करती है और कितना समय उस पर लगाती है। मैं यह समझता हूं कि पहले यह कहा जाता है कि यह एक कमेटी के सामने जायगा और जब कमेटी की रिपोर्ट निकलती है तब यह कह दिया जाता है कि इस पर विचार हो रहा है, लेकिन कब तक विचार होगा और कब तक एक स्पष्ट नीति मालूम होगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। जैसे ऐलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपने लगाई है, अब अगर आप उसे वापस नहीं लेते हैं, कम नहीं करते हैं। तो उसकी सारी आमदनी आपको म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे देनी चाहिये। इसी तरह से सेल्स टैक्स का चौथाई हिस्सा आपको म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे देना चाहिये। जिस तरह से आप एक्साइज ड्यूटी सेंटर से लेते हैं, आप प्रांत की आमदनी को म्युनिसिपल बोर्डों और जिला बोर्डों को दें। माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़ों के बारे में बतलाया था कि रामसुन्दर जी ने साढ़े आठ लाख रुपया गलत बतलाया, लेकिन माननीय मंत्री जी ने खुद गलत बतलाया। माननीय मंत्री जी ने साढ़े आठ लाख रुपया जो बतलाया वह उन्होंने रिवाइज्ज एस्टिमेट पढ़ करके नहीं बतलाया बल्कि ओरिजिनल एस्टिमेट पढ़ करके बतलाया। अगर उसको देखा जाय तो सिर्फ एक लाख का फर्क है।

श्री मोहनलाल गौतम—रिवाइज्ड एस्टिमेट सन् १९५४–५५ में जब आयेगा तब मालूम होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सन् १९५३–५४ में ८४ लाख २५ हजार हैं। यह अगले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट का प्रश्न नहीं है। रामसुन्दर जी ने जो कहा था वह अगले साल का नहीं कहा था। तो माननीय मंत्री जी अगर अपने आंकड़ों को दोबारा देख लें तो ज्यादा स्पष्ट हो जायगा।

जहां तक अस्पतालों और स्कूलों की हालत का संबंध है, माननीय चन्द्र सिंह जी ने, माननीय कृष्णचन्द्र शर्मा जी ने और माननीय रामहेतसिंह जी ने बहुत कुछ बतलाया कि किस प्रकार म्युनिसिपल मकान खड़े हैं और कहीं कुछ इन्तजाम नहीं है। माननीय शिवनारयणा जी को हमारे हल्द्वानी पर तरस आया। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि आखिर उनको कुछ याद तो रहा कि वहां नालियां कैसी हैं। लेकिन ऐसी सैकड़ों हल्द्वानियां पड़ी हुई हैं इस प्रांत में। तो मेरा तो एक बुनियादी सवाल था माननीय मंत्री जी से, उनकी पार्टी से और उनकी सरकार से, कि जितनी ऐसी कमियां हैं उनको दूर करें। जहां तक हल्द्वानी का सवाल है मैं समझता हूं कि माननीय शिवनारायण जी ने हल्द्वानी की बात कह दी तो अब वहां की कमी जरूर पूरी हो जायगी।

साथ ही साथ टाउन एरियाज के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो बात कही कि केवल १३ टाउन एरियाज को ग्रांट दी गई और बाकी को नहीं दी गई। तो टाउन एरिया तो एक छोटा शहर ही माना जा सकता है। तो इतनी कम उनको ग्रांट दी जा रही है कि १३ टाउन एरियाज को ५० हजार और माननीय मंत्री जी ने खुद बतलाया कि दो हजार, साढ़े चार

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हजार और पांच हजार के बीच में है। तो पंचवर्षीय योजना में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ उठे हुये ही शहरों की तरफ ध्यान देना गलत है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह टाउन एरिया और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को जो ग्रांट या लोन देते हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि अब वह ग्रांट ज्यादा देने लगे हैं और लोन कम देते हैं। यह गनीमत है कि उनका ध्यान लोन्स की तरफ अब कम जा रहा है। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी दूसरी तरफ दूसरे प्रांतों की ओर निगाह डालें तो उनको मालूम होगा कि वह ग्रांट भी सबसे कम दे रहे हैं। यू० पी० में म्युनिसिपल बोर्डस और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बजट्स का केवल १२.२ प्रतिशत ग्रांट दिया जाता है। जबकि बिहार में, जो आपका पड़ोसी प्रांत है २८ प्रतिशत ग्रांट दी जाती है, मद्रास में १५ प्रतिशत, बंगाल में १५ प्रतिशत और बम्बई में १५ प्रतिशत ग्रांट दी जाती है। तो यू० पी० में आज भी सब से कम ग्रांट दी जाती है। तो अगर हम सत्ता का विकेन्द्री करण करना चाहते हैं, गांव पंचायतों को, जिला बोर्डों को, जिला प्लानिंग डिपार्टमेंट्स को ज्यादा शक्ति देना चाहते हैं तो हमें आर्थिक विकेन्द्रीकरण करना होगा। ताकत तो हम दे दें, ऐक्ट तो हम बना दें और आर्थिक मामले में उनको स्वावलम्बी न बनायें तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण एक कोरा विकेन्द्रीकरण रह जायगा। अब समय हो चला है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी आगामी वर्ष में म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की वित्तीय स्थिति को दृढ़ करेंगे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३---नागरिक निर्माण--कार्यों के लिये सहायक अनुदान (लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य) के अन्तर्गत ८५,५५,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन १२ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
८ मार्च, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

तहसील केराकट

गोमती नदी से

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	नरहन	२७	विश्नवार सारग
२	सैद खानपुर	२८	नैपुरा
३	गोपालपुर	२९	शहरबुद्दीनपुर
४	भितरी	३०	बेलाँव
५	बलुआ बिजईपुर	३१	पटखौली
६	हरिहरपुर	३२	विजईपुर
७	वरमलपुर	३३	केवटी
८	फरीदपुर	३४	वीरमपुर
९	चन्दवका	३५	बैरगिया
१०	चौबेपुर	३६	पसेबा
११	वीरो	३७	सरौनी पच्चिम पट्टी
१२	बलरामपुर	३८	सरौनी पूरब पट्टी
१३	पड़रछा	३९	सिहौली
१४	भगतोली	४०	चक पाली
१५	बड़वा	४१	हरीपुर
१६	चौबेपुर	४२	भडेहरी
१७	वरहपुर	४३	चकतरी
१८	बहरो	४४	मई
१९	रामगढ़	४५	अव्वार
२०	बलुवा	४६	टंडवा
२१	बरैछा	४७	उदय चन्वपुर
२२	हंदरपुर	४८	वमावल
२३	सखोई	४९	बेहड़ा
२४	खरचलपुर	५०	गोवरा
२५	नवाबाद जंगल शिवपुर	५१	बरैछा
२६	विश्नवार सागर	५२	भैंसा

सई नदी से

१	नहोरा	११	ऊदपुर
२	कोटी	१२	सरकोनी
३	केराव	१३	एतकादपुर
४	थान	१४	बहादुर
५	प्रधानपुर	१५	इजरी
६	बोवनमऊ	१६	मनह
७	लालपुर	१७	रसूलपुर
८	महिमापुर	१८	ताला तबारा
९	गौर	१९	भगरी
१०	इसमैला दुर्गाप्रसाद	२०	राजापुर

तहसील मछली शहर

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	केवटला	५	वखीरपुर
२	अवकारी	६	भटौलादुबान
३	मुलनापुर	७	कुसमौल
४	तुरकौली	८	बाल्हामऊ
		९	करतोरा

तहसील शाहगंज

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	नाम परगना
१	गोरा	करियात मेढ़ा
२	रामनगर	,,
३	कृष्णापुर	,,
४	राउतपुर	,,
५	रमनोपुर	,,
६	गजइनपुर	,,
७	कुम्मरपुर	,,
८	भूपतिपुर	,,
९	एहियापुर	,,
१०	शाहपुर	,,
११	बरहड़ा	,,
१२	सुर्तालो	,,
१३	समनपुर	,,
१४	बलुआ	,,
१५	बडेरी	,,
१६	कुशहा	,,
१७	बोबोपुर	,,

तहसील भंडियाहू

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	चर्तुभुजपुर	१४	पल्टूपुर
२	ओझापुर	१५	नेबादा
३	जोरौटा	१६	भौंरांस
४	सोनाई	१७	बडेरी
५	खंडवा	१८	दतांव
६	बडेरी	१९	चक दोस्त दियांबा
७	शाहपुर	२०	सोतीपुर
८	समनपुर	२१	महुआरी
९	भँसहा	२२	बनकट
१०	कुम्मरपुर बडेरी)	२३	भँसहा
११	रामनगर	२४	पौहा
१२	दियांबा	२५	कूढा
१३	बेलगहन	२६	कसनही

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
२७	मधईपुर	३९	उनर्चना कलां
२८	जमुआ	४०	उनर्चना खुर्द
२९	हसनपुर	४१	रामपुर नद्दी
३०	बकुनपुर	४२	चक ललहा
३१	ऊगापुर	४३	कटेसर
३२	ताजुद्दीनपुर	४४	भंजूपट्टी
३३	फत्तूपुर	४५	जेठपुरा
३४	मुहम्मदपुर	४६	बिशुनपुर
३५	पिपरा	४७	चक हंराठ
३६	सिकन्दपुर	४८	जेराठ
३७	चक कनयुआ	४९	भटौली
३८	फंलावर		

सूची

तहसील जौनपुर

क्रमांक	ग्राम	परगना	क्रमांक	ग्राम	परगना
१	रसूलपुर	सरेमू	२०	आलमगीरपुर	हवेली
२	मोथहा	,,	२१	छुन्छा	,,
३	गजफरपुर	,,	२२	जलालपुर	,,
४	बीबीपुर	,,	२३	बैजापुर	,,
५	सुकुलपुर	,,	२४	रामपुर	,,
६	मुहीउद्दीनपुर	,,	२५	करसावा	,,
७	पिडरा	,,	२६	दखिनपट्टी	,,
८	बागमुरतजा	हवेली	२७	बबरखा	,,
९	बहरोजपुर	,,	२८	आदमपुर	,,
१०	सुल्तानपुर	,,	२९	तुर्की बघेला	,,
११	कलन्दरपुर	,,	३०	नटौली	,,
१२	चकनौदन	,,	३१	हिन्दी बघेला	,,
१३	समोपुर कलां	,,	३२	छंगापुर	रारी
१४	उत्तरगांवा	,,	३३	बकवोपुर	,,
१५	जमलापुर	,,	३४	चवरी	,,
१६	हरदीपुर	,,	३५	सलामतपुर	,,
१७	नदियापारा	,,	३६	बखसपुर	,,
१८	खानपट्टी	,,	३७	बेलावा	,,
१९	प्यारेपुर	,,	३८	दरियानगंज	,,

क्रमांक	ग्राम	परगना	क्रमांक	ग्राम	परगना
३९	सुल्तानपुर	रारी	५३	बाग अख	हवेली
४०	केवटली खुर्द	,,	५४	रौजाजमाल खां	,,
४१	सलेडी	,,	५५	कलीचा बाद	,,
४२	सादनपुर	,,	५६	महरापुर	,,
४३	चाचकपुर	सरेमू	५७	सुल्तानपुर कोहड़ा	,,
४४	तारापुर	हवेला	५८	लीलापुर	,,
४५	मालीपुर	,,	५९	ताजपुर	,,
४६	धरनीधरपुर	,,	६०	सीहीपुर	,,
४७	उमरपुर	,,	६१	हसेनाबाद	,,
४८	जोगियापुर	,,	६२	पचहटिया	,,
४९	आराजी जोगियापुर	,,	६३	धमीपुर	,,
५०	शेखपुरा	,,	६४	जैतपुर	जफराबाद
५१	हरईपुर	,,	६५	समोपुर	,,
५२	जमीन पियार अली	,,	६६	लाडनपुर	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस० यू० पी० ए० पी० १५६ एल० ए०—१९५४—८५०।